राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १६५६ का ६७वां दिवस [संख्या ३६

गुरुवार, २३ अप्रेल, १६५६

विधान सभा की बैठक म० प० ८ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ११५३

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

नगरपालिका बीकानेर के हरिजन कर्मचारी

११५४. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): Will the Local Self Government Minister be pleased to State:-

(a) Is it correct that an employee of the Bikaner City Municipality, Shri Chanda Ram Harijan went on fast demanding an enquiry against the corrupt and unsocial activities of the sanitary inspector ?

(b) Is it also correct that before ascertaining the correctness or otherwise of the allegations made against the Sanitary Inspector, the Municipal Chairman dismissed the Harijan employee concerned ?

(c) Is it correct that all the Municipal employees staged a protest demonstration in this connection and had gone on strike ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (a) Shri Chanda Ram, the Municipal Conservancy Jamadar demanded immediate suspension of Shri Jeetu Singh Sanitary Inspector on the ground that he had asked for bribe from Teejki sweepress. This allegation was not supported by any evidence.

(b) No.

(c) They did struck work.

Page No.2

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिकायत थी। रिपोर्ट लिखित में थी क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो यह शिकायत थी, जमादार ने यह शिकायत की कि इन्स्पेक्टर कुछ रिश्वत मांगता है।

श्री मूलचन्द डागा : इसकी जांच किस ने की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल बोर्ड का काम है जांच करने का।

उत्तरी रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर का सरकारी कर्मचारियों पर ऋण

११५५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(क) क्या यह सही है कि उत्तरी रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, जोधपुर द्वारा दिया हुआ कर्ज (लोन) कई सरकारी मुलाजिमान में बकाया है ? यदि हां, तो किन किन में कितना २ और कब से ? कृपया इसकी एक 'तालिका' सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने कई मुलाजिमान की माहवारी तनख्वाह से इस कर्जे को चुकाने के लिए कटौती की थी ? यदि हां, तो किन किन की और कितनी ?

(ग) क्या यह सही है कि यह रकम सोसाइटी को जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों और यह रकम अब कहां है ?

(घ) सरकारी मुलाजिमान से इस रकम का भुगतान करवाने के लिए सरकार अब क्या व्यवस्था कर रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो उत्तर मांगा गया है उसमें कुछ रेलवे के सारे रजिस्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से मेम्बर हैं उनकी लिस्ट की कापी करवाने में कम से कम १० दस्ते कागज चाहिये और उसमें सारे टाइपिस्ट जितने हमारे महकमे में हैं लगा दें तो भी १० दिन में टाइप नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब यदि इस फार्म के अन्दर दिया जाय तो सूचना कलेक्ट करने में और तैयार करने में कम से कम २ महीने लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : इतने डिफाल्टर्स हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : सिर्फ डिफाल्टर्स के बारे में पूछा गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिफाल्टर्स की लिस्ट भी बहुत बड़ी लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह : कागज़ जो लगेंगे और जो भी समय उसमें लगेगा, मैं समझता हूं कि सरकार को इतना घाटा नहीं है कि एक दस्ता कागज लगने में सरकार को बहुत जबरदस्त घाटा आ जायगा जिसमें कि एक एडिशनल फाइनेन्स बिल सदन में लाना पड़ेगा और नये टैक्स लगाने की बात आयेगी। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

सोसाइटी का काफी रुपया लोग खा कर बैठे हैं। यह क्वेश्चन यदि असेम्बली में पूछा जायगा तो कई ऑफिसर्स जो कि डिफाल्टर्स हैं, हमारे सामने आयेंगे और रुपये के रियेलाइजेशन का क्वेश्चन आयेगा। मैं, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसी स्टेज के ऊपर जब कि क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष ने एडमिट कर लिया है और क्वेश्चन उत्तर देने के लिए प्रश्नों की सूची में उसको सम्मिलित कर लिया है उसके बाद इस प्रकार के कोई एक्सक्यूज लेना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी को आदेश दिया जाय कि इस समय नहीं बल्कि नेक्स्ट टर्न पर इस क्वेश्चन का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : डिफाल्टर्स के बारे में पूछा है तो इतनी बड़ी लम्बी लिस्ट नहीं हो सकती।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके संबन्ध में जो सूचना विभाग से आई है वह यह है कि इसको तैयार करवाने में ५ दस्ते कागज चाहियें और बहुत बड़ी संख्या में इसको टाइप करवाने के अन्दर टाइपिस्ट लगाने पड़ेंगे तब जाकर २० दिन में वह टाइप होगी।

श्री अध्यक्ष : कितने मेम्बर्स होंगे सोसाइटी में।

श्री नाथूराम मिर्धा : हजारों की तादाद में।

श्री अध्यक्ष : सारे डिफाल्टर्स नहीं हो सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे नहीं हैं फिर भी काफी तादाद में हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : डिफाल्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सोसाइटी के अन्दर की बात है। सोसाइटी का काम है वसूली करने का। वह आटोनोमस बोडी है उसमें सरकार क्या कर सकती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): यह अध्यक्ष महोदय, एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि १० दस्ते कागज लगेंगे This is a frivolous excuse. इन्फोर्मेशन जोधपुर से कलेक्ट कर सकते हैं और उनको हाउस में दे देना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इतनी इम्पोर्टेन्ट इनफोर्मेशन है उसको इस तरह से बाइ पास कर दिया जाय कि कागज ज्यादा लगेंगे, यह होगा वह होगा. मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी को आदेश दें कि इसका उत्तर जरूर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कुछ समय देंगे जवाब के लिए और कागज भी यदि चाहें तो।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : वसूली तो सोसाइटी अपने मेम्बर्स से खुद करेगी।

श्री भैरोंसिंह : This is certainly a matter of public importance. The state of affairs of that society must come before the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इसको नेक्स्ट सेशन के लिए रख दें।

Page No.4

श्री भैरोंसिंह : नेक्स्ट टर्न पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : तब तक सारी इनफोर्मेशन टाइप कर दें।

श्री भैरोंसिंह : मैंने इसको पिछले सेशन में दिया था उस समय यह लैप्स हो गया। दुबारा क्वेश्चन शुरू के सेशन में दिया और आज डेढ़ महीने के बाद में मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इनफोर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सके हैं तो उनकी मशीनरी क्या है,या यह हो सकता है कि सरकार के पास में डिफाल्टर्स के पास में नाम नहीं हैं और डिफाल्टर्स से रुपये के रियेलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं लिया उन ऑफिसर्स के खिलाफ सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा सकी। उस स्थिति के अन्दर इतना हो सकता है कि कागज़ की कमी हो तो मैं कागज़ आपको दे दूं या उसका पैसा दे दूंगा। कम से कम डिफाल्टर्स के नाम बता दें ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा वसूल कराया का सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह आप नई पद्धति शुरू नहीं करें कागज़ देने की।

श्री भैरोंसिंह : विधान सभा में सरकार चाहे तो दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : १५.१.५६ को यह प्रश्न आया था। जैसा कि आप (मंत्री महोदय) कहते हैं २ महीने चाहिए तो २ महीने से ज्यादा समय निकल गया। इसलिए आप जल्दी ही यह जानकारी मंगा लें।

श्री भैरोंसिंह : कब तक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जो जानकारी आई है वही बता दें।

श्री अध्यक्ष : उस जानकारी में ५ दस्ते लगते हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंट के पास से क्या लिखा हुआ मिला है कि इनफोर्मेशन नहीं दे सकते ? क्वेश्चन यह है कि गवर्नमेंट का रिप्लाई जो है वह डिपार्टमेंट के रिप्लाई पर बेस्ड होता है। डिपार्टमेंट ने क्या यह कहा है कि इनफोर्मेशन नहीं दे सकते ? या माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि इनफोर्मेशन नहीं दी जा सकती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनफोर्मेशन नहीं देने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह सोसाइटी गवर्नमेंट की नहीं है। वह एक ऑटोनोमस बोडी है और वह स्वयं ही लोन देती है और वापिस लेती है। जिन लोगों से वसूल नहीं होता है उनसे कोशिश करके वसूल करती है। सरकार उसके बीचमें पंचायत में नहीं आती है। उनके रजिस्टर की लिस्ट और जो सूचना मांगी गई है उससे बेसिस पर डेफिनेटली मेरे पास यह सूचना है कि इतने टाइपिस्ट और इतना कागज़ लगेगा और उतना टाइम लगेगा और उससे कोई यूजफुल पर्पज़ साबित नहीं होगा। सोसाइटी काम कर रही है जिनमें उसका बकाया है उनसे वह वसूल करती है। लोन दिया है उनसे लोन वसूल भी करती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि

Page No.5

(श्री श्रीभानसिंह)

इस क्वेश्चन से यूज़फुल पर्पज़ साबित नहीं होता यह जो आपने अभी कहा वह क्या डिपार्टमेंट ने इनफोर्मेशन दी है कि कोई यूज़फुल पर्पज़ साबित नहीं होता ? यह क्या डिपार्टमेंट की इनफोर्मेशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो जो इनफोर्मेशन आप जानना चाहते हैं उससे क्या यूज़फुल पर्पज़ साबित होता है ? यह आप बता दें ।

श्री भैरोंसिंह : This is not for you to decide but it is for the Speaker to decide what useful purpose will be served by it. Once the Speaker has to admit.

श्री अध्यक्ष : बहस की इसमें आवश्यकता नहीं है । सरकार को कुछ समय देगें उत्तर देने के लिए ।

श्री श्रीभानसिंह और श्री भैरोंसिंह : डेट फिक्स कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : इतना कहने के बाद आशा है मंत्री महोदय जरूर जल्दी उत्तर देंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : यह होना चाहिए कि आपकी तरफ से एक डेट निर्धारित कर दी जाय कि इस डेट को उत्तर दिया जाय सदन के अन्दर ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है कि जिनका सरकार आज उत्तर दे सकती है लिस्ट के अलावा ।

श्री अध्यक्ष : साथ ही लिये जायं तो अच्छा रहेगा ।

श्री देवनाथ के खिलाफ मुकदमा

११५६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) श्री देवनाथ, सदस्य विधान सभा, राजस्थान के खिलाफ कौन से जुर्म के अन्तर्गत मुकद्दमा कब दर्ज हुआ ?

(२) इस मुकद्दमे का चालान हुआ या नहीं, और हुआ तो कब ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) यह अभियोग भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६५ 'ए' के अन्तर्गत ता २१.१.५६ को दर्ज किया गया है ।

(२) यह सूचना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में प्रकाशित करना ठीक नहीं ।

(३) यह मामला....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : दो क्वेश्चन ही हैं जो कि एडमिट किये गये हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब फिर पढ़ दूं ।

(१) यह अभियोग भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६५ 'ए' के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।

(२) मामला अनुसन्धान में हैं ।

Page No.6

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कब का जवाबरह गया।

श्री मूलचन्द डागा : कब रजिस्टर किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : २१.१.५६को।

श्री मूलचन्द डागा : कितने दिन हो गये इन्वेस्टीगेशन करते हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : हिसाब लगा लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : कितना पीरियड हो गया है, साहब ?

श्री अध्यक्ष : जुर्म दर्ज करने के बाद इन्वेस्टीगेशन का पीरियड गिनना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : किसी मामले की इन्वेस्टीगेशन के लिए सात दिन से ज्यादा समय नहीं चाहिए। अगर ज्यादा दिन लगें तो वह मामला झूंठा है, ऐसा मानना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इतना समय इन्वेस्टीगेशन में लगने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता।

श्री श्रीभानसिंह : पब्लिक इन्ट्रेस्ट में डिटेल्स में नहीं जाना चाहते ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज़ किया मामला इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कौन अधिकारी तफतीश कर रहे है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एन्टी करप्शन ऑफिसर।

श्री मूलचन्द डागा : जो एक्यूज्ड है, उसके सिर पर तलवार लटक रही हैं और आठ महीने में इन्वेस्टीगेशन नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, यह शर्म की बात है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि इन्वेस्टीगेशन हो रही है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सत्य है कि माननीय सदस्य को परेशान करने के लिए विलम्ब किया जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मामला सिविल पुलिस से लेकर एन्टी करप्शन पुलिस को दिया गया हैं, लोकल को ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह ही डील करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो एन्टी करप्शन पुलिस को मामला क्यों दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे ही डील करते हैं, एन्टी करप्शन वाले।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या माननीय सदस्य ने गृह मन्त्री जी को निवेदन किया था कि उन्हें परेशान करने के लिए विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एस. डी. एम. वहां मौजूद हैं या उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : वहां अगर मौजूद हैं तो क्या ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वे एवीडेन्स को खराब कर रहे हैं, इनफ्लूएन्स करके एवीडेन्स को विरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एवीडेन्स को खराब कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या उनके विरुद्ध एवीडेन्स दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसके विरुद्ध।

श्री भैरोंसिंह : श्री देवनाथ के।

श्री रामकिशोर व्यास : यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह ठीक है कि श्री सुखदेव आर्य ने, जिन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी की थी, उसमें श्री देवनाथ से रुपया लिया था ?

श्री अध्यक्ष : We cannot go in to those details. केस सब जुडिस है, अभी इन्वेस्टीगेशन चल रही है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, one statement of the Minister is objectionable when he says 'thik hai' when an Hon'ble Member asked whether S. D. M. is influencing the witnesses. This is objectionable.

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा है, आप फर्मा रहे हैं, वह ठीक है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा है, ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने कहा ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे लिये भी ठीक है, आपके लिए भी ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने फर्माया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा।

श्री पी० के० चौधरी : It implies that you approve the exercising of influence by the S. D. M. over the witnessess.

श्री रामकिशोर व्यास : इनफ्लूएन्स किसे करेंगे, भाई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास सूचना है कि गवाहों को इनफ्लूएन्स करने के लिए मजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : जो वहां एस० डी० एम० हैं, उनके खिलाफ श्री देवनाथ ने शिकायत की थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री देवनाथ यहां मौजूद हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में श्री देवनाथ कोई एक्स्प्लेनेशन देना चाहें तो उनसे पूछा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह सही चीज़ नहीं होगी, उस पर इन्वेस्टीगेशन चल रही है इसलिए सदन में इस तरह का प्रश्न उठाया, जाय, यह अच्छा नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : वह चल रही है या चलाई जा रही हैं, इसमें अन्तर है। एक इन्सीडेन्स हुआ है, एम० एल० ए० को गिरफ्तार किया है और एक षडयन्त्र करके गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इन्वेस्टीगेशन के आधार पर मौन नहीं रहा जा सकता। मैं समझता हूं इसमें जबरदस्त क्लू है कि मजिस्ट्रेट को रुपया दिया गया।

श्री अध्यक्ष : न तो माननीय सदस्य ने शिकायत की थी, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं। यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ इस प्रकार केस बनाया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं, उनके कह देने से गलतफहमी दूर हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं। वे मन्त्री महोदय को कह दें। उसके ऊपर वे कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

रामगढ पचवारा गांव में रोशनी के लिए दी गई धन राशि

११५७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा सन् १९५३-५४ में रामगढ़ पचवारा की पंचायत के जरिये हरिनारायण त्रिपाठी को गांव में रोशनी का प्रबन्ध करने के लिये ३००) रु० दिये गये थे ?

(२) क्या सन् १९५३ में भूतपूर्व चेयरमैन श्री लुहाड़िया ने कन्या पाठशाला के उद्घाटन की सभा में जनता से रोशनी की चर्चा करते हुए यह कहा कि उक्त व्यक्ति को ३००) रुपये इस निमित्त दे रखे हैं ?

(३) क्या यह सच है कि रोशनी का कोई प्रबन्ध न करने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उसको एक महीने की और मोहलत देने पर भी उक्त प्रबन्ध नहीं हो सका ?

(४) क्या यह सच है कि उक्त रकम बिना किसी मंजूरी के अन्य कार्य में लगाई

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

गई एवं खर्च का झूंठा हिसाब पेश किया गया ?

(५) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को शिकायत करने पर उक्त मामले पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (१) ग्राम पंचायत, रामगढ़ पचवारा को ३००) रु० जिला बोर्ड जयपुर से सहायतार्थ दिये गये थे। उसमें रोशनी के प्रबन्ध करने का कोई इन्द्राज नहीं था।

(२) जिला बोर्ड में श्री लुहाड़िया के ऐसे भाषण का कोई रेकार्ड नहीं है जिससे इसका समर्थन किया जा सके।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा पंचायत के रेकॉर्ड की जांच करवा ली गई है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(५) जांच के निर्णय के पश्चात ही कार्यवाही होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह रुपया दिया किसको गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्राम पंचायत, रामगढ़ पचवारा को ३००) रुपये दिये गये।

श्री मूलचन्द डागा : यह हरिनारायण कौन है, साहब ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जवाब यह है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा को ३००) रुपये दिये गये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति ने लिये होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह पंचायत का सरपंच होना चाहिए।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Are you definite ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : होना चाहिए, पंचायत के सरपंच को रुपये मिलने चाहिए। मेरे पास जवाब आया है कि पंचायत के सरपंच को रुपये दिये गये।

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर दयाल।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसका जवाब दे दिया जाय।

सहकारी कृषि के निर्णयों को कार्यान्वित करना

११५८. **श्री रामेश्वर दयाल** (कोटा-डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :-

(a) What steps the Government has taken to implement the decision on Co-operative Farming ?

(b) Does the Government propose to bring forth necessary legislation so as to cover all uneconomic holdings under co-operative farming ?

Page No.10

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (अ) सरकार ने राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ब) उपरोक्त समिति के रिपोर्ट के पूर्व इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : यह समिति कब नियुक्त हुई और कब तक रिपोर्ट दे देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्जेक्ट तिथि तो याद नहीं, महीना, सवा महीना पहले नियुक्त हुई थी और पांच छः दिन में रिपोर्ट दे देगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : गंगा नगर के बी. डी. ओ. को आदेश दिये गये थे कि जिन काश्तकारों की टेम्प्रेरी कल्टीवेशन है उनको मज़बूर किया जाय कि कॉपरेटिव फार्मिंग के नाम पर ज़मीन पूल करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अजमेर के दफ्तर में अनियमिततायें

११५६. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि फर्स्ट क्लॉस मजिस्ट्रेट, अजमेर के अहलमद ने फाइलों के बस्ते को गायब कर दिया, कैश बुक में भी कई एन्ट्री नहीं हुई, मुकद्दमात वर्षों से रजिस्टर में दर्ज नहीं हुए, जुर्माने की रकम ऊपर ही वसूल कर ली गई व जमा भी नहीं हुई ? क्या इस बात की शिकायत मौजूदा नये मजिस्ट्रेट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की है ?

(२) यदि हां, तो यह किस क्लर्क व मजिस्ट्रेट की कार्यवाही है ? क्या किसी को इसकी जांच करने के लिए मुकर्रर किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : १. २. जी हां । सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट अजमेर ने ज़िलाधीश अजमेर को एक रिपोर्ट भिजवाई कि कुछ मिसलें अदालत के रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं तथा जुर्मानों के रजिस्टर में समुचित रूप से इन्दराज नहीं हो रहा है इस मामले में तहकीकात जारी है । और इसके पूर्ण होने से पूर्व निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मिसलों के बस्ते गायब करने की कार्यवाही अहलमद ने की ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसकी इन्वेस्टीगेशन कौन कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी हो जायगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या यह पता है कि जुर्माने की रकम ऊपर ही वसूल कर ली गई व जमा भी नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इन्क्वायरी का विषय है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह इन्क्वायरी कब से चल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या अहलमद को सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह वहां से हटा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रूव नहीं हो पाया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : फाइलें गुम हो गई और क्या प्रूफ होना चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी तहकीकात हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई प्राईमाफेसी एवीडेन्स नहीं मिली है कि फाइलें गायब की हैं और उसके साथ ही साथ सरकारी रकम भी हज़म की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इन्क्वायरी का विषय है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात सही है कि मजिस्ट्रेट भी उसमें शरीक थे ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : प्रूव होने पर किसी को सस्पेन्ड किया जाता है। अब प्रूव होने में क्या कमी थी जिसके लिए इन्क्वायरी हो रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें यह जानना चाहते थे कि कितनी मिसलें गायब हुई हैं और क्या पोज़ीशन है। ये सारी बातें मालूम हो जांय तब कार्यवाही करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या यह सही है कि जुर्माने की रकम वसूल करके ज़मा नहीं कराई।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी. के. चौधरी : केस प्रूव होने पर सस्पेन्ड किया जाता है Suspension is a penalty or what ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is a question of opinion सस्पेन्ड करना पेनल्टी नहीं होती है।

श्री पी. के. चौधरी : केस प्रूव हो जाय तो सस्पेन्ड क्यों करते हैं then the question comes of giving him the punishment.

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत

११६०. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(डॉ० बहादुरसिंह)

(१) धौलपुर नगरपालिका ने सन् ५८ में कितने व्यक्तियों को भवन निर्माण की स्वीकृति दी और कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये ?

(२) जो प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं, वह कब से हैं ?

(३) क्या धौलपुर नगरपालिका के एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के आचरण सम्बन्धी शिकायत भी सरकार के समक्ष उपस्थित हुई है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(४) क्या यह भी सच है कि नगरपालिका के सदस्यों ने भी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के विरुद्ध उनके व्यवहार की शिकायतें की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सन् १६५८ में १७४ व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये और ११० पर आवश्यक निर्णय लिया गया ।

(२) अब ३६ प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जो इस प्रकार है :

२ प्रार्थना पत्र दो वर्ष से

५ प्रार्थना पत्र एक वर्ष से

३ प्रार्थना पत्र छः माह से

६ प्रार्थना पत्र तीन माह से

१३ प्रार्थना पत्र एक माह से

७ प्रार्थना पत्र एक माह से कम समय से ।

(३) जी हां । यह विचाराधीन है ।

(४) सदस्यों द्वारा एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के विरुद्ध व्यवहार सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के आचरण सम्बन्धी शिकायत विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह इन्क्वायरी होकर अभी आई है, उसको देख रहे हैं ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आचरण सम्बन्धी शिकायत किसने की और कब की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाम याद नहीं जिन्होंने शिकायत की है । धौलपुर से शिकायत आई है ।

श्री मदनसिंह : आचरण की शिकायत क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसका व्यवहार अच्छा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किस रूप में आचरण की शिकायत है ?

श्री अध्यक्ष : इन्वेस्टीगेशन हो जायेगा, रिपोर्ट आ जायेगी, उस पर एक्शन ले लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्वे-

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह)

स्टीगेशन कब तक हो जायगी, कब तक कार्य-वाही की जायगी ,

श्री अध्यक्ष : इन्वेस्टीगेशन होकर रिपोर्ट आ गई है, यह कह रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख मुझे याद नहीं है, करने वाले माननीय सदस्य हैं । इन्क्वायरी होकर गवर्नमेंट के पास आ गई है, गवर्नमेंट उसे देख रही है ।

श्री भैरोंसिंह : किस बात की शिकायत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिटेल्स मुझे मालूम नहीं हैं ।

जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की ट्रकों से हुये एक्सीडेन्ट

११६१. **श्री सूरजमल** (फलौदी सु०) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम की किस किस नम्बर व कितने कितने टनों की परमिटों से राजस्थान में कितनी कितनी ट्रकें कब से चलाई गई ?

(२) इस कम्पनी के ट्रकों से आज तक कुल कितने एक्सीडेन्ट किस किस डिवीज़न में हुए ?

(३) क्या यह सही है कि इनकी ट्रकें सड़कों पर ५०–६० मील की रफ्तार से चलती हैं व आगे व पीछे से दूसरी किसी भी प्रकार की मोटरों को बिल्कुल साइड नहीं देते व रात के बाद बत्तियां भी डिम नहीं करते ?

(४) क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि इस कम्पनी की ट्रकें -कभी कभी दस टन यानी २७२ मन वज़न तक भी लादकर चलने से सड़कों के पुलियों के पाट टूट जाने का खतरा रहता है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इस समय केवल दो गाड़ियां नं० आर. जे. एल. ६१४२ व आर. जे. एल. ४३४३ चल रही है । यह फरवरी सन् १६५७ से चलती है और क्रमशः १८५ और २२० मन बोझा ढोने के लिये पास हैं ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली ।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

(घ) अभी तक ऐसी कोई बात-नोटिस में नहीं आई । आयन्दा के लिये चैकिंग स्टाफ को हिदायत करदी गई है ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : कितनी गाड़ियें चल रही हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो गाड़ियें मैंने कहा ।

श्री रामचन्द्र : आपने कल तो ऐसा फरमाया था कि ७ गाड़ियें चल रही हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् ५४ से ५७ तक ८ गाड़ियों के पर्मिट दिये गये थे ६ गाड़ियें राजस्थान के बाहर चली गई हैं । अब दो चल रही हैं ।

श्री रामचन्द्र : और राजस्थान की हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो कहता हूं कि ६ तो राजस्थान के बाहर चली गई अब दो चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भादरा की अदालत में Cognizable offences के चालान

११६५. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मुंसिफ, भादरा ज़िला गंगानगर को प्रथम श्रेणी दंड नायक के अधिकार राज्य सरकार द्वारा १ अगस्त, १६५८ को प्रदत्त किये जा चुके हैं? अगर हां, तो Cognizable offences के चालान पुलिस द्वारा उपरोक्त न्यायालय में क्यों नहीं प्रस्तुत किये जा रहे हैं?

(२) क्या स्थानीय बार एसोशियेशन की ओर से ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस सम्बन्ध की मांग प्रस्तुत की गई है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। चूंकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट भादरा के जुरिस्डिक्शन में उप ज़िलाधीश नोहर को भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त है, १७ सी. आर. पी. सी. के तहत उनका पारस्परिक कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जा रहा है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिये अभी तक किसी पी. एस. आई. की नियुक्ति भी नहीं हुई है। अतः उनके कोर्ट में Cognizable offences के चालान पेश नहीं हो सके है।

(२) जी हां बार एसोसियेशन की मांग पर कार्यवाही हो रही है।

श्री भीमसेन : यह मांग कब से चल रही है और कब तक पूरी हो जावेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायतों के चुनाव में हरिज़न पंचों की नामजदगी

११६३. **श्री रावतराम** (चुरू-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चुरू ज़िले की कितनी ग्राम पंचायतों के चुनाव सन् १६५८ में हुए? चुनाव की तारीख वार सूची देने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में हरिज़न पंच चुनकर नहीं आए? यदि हां, तो ऐसी कितनी तथा कौन कौन सी पंचायतें हैं?

(ग) क्या यह सही है कि जिन पंचायतों में हरिज़न पंच चुन कर नहीं आए हैं उनमें हरिज़न पंच नामज़द करने हेतु पंचायतों ने कमी के नाम प्रस्तावित करके सरकार को भेज दिये थे?

(घ) क्या यह सही है कि हरिज़न

(श्री रावतराम)

नामज़दगी के प्रश्न को बराबर टाला जा रहा है ?

(ङ) क्या यह सही है कि हरिजन पंचों की नामजदगी के लिये दलित वर्ग संघ व अन्य संस्थाओं से भी सरकार को लिखा गया है लेकिन उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? इसका क्या कारण है ?

(च) क्या यह सही है कि बहुत सी पंचायतों का पिछला कार्यकाल समाप्त हुए काफी अर्सा हो चुका है लेकिन उनके चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ? अब ये चुनाव कब तक हो जावेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ५६ पंचायतों के। तारीखवार सूची सदन की मेज़ पर रखवा दी गई है।

(ख) जी हां, २८ पंचायतों में, सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ग) हरिज़न पंच की नामज़दगी नहीं होती बल्कि अनुसूचित जातियों के पंच की नियुक्ति धारा ६ के अनुसार राज्य सरकार द्वारा होती है। धारा ६ के अन्तर्गत १५ पंचायतों में नियुक्ति की जा चुकी है। सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। ३ के विचाराधीन हैं अन्य पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां। चुरू ज़िला दलित वर्ग संघ का पत्र आया था जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(च) जी नहीं। अवधि धारा १७ के अनुसार १ साल की बढ़ाई जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रावतराम : आपने एक साल की अवधि बढ़ा दी है और वह एक साल की अवधि भी समाप्त होने जा रही है, इसलिये अब चुनाव कब तक हो जावेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५ हज़ार की आबादी है वहां पूरे हो रहे हैं। ५ हज़ार से ऊपर आबादी है अभी छोटी पंचायतें बनाई जा रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार ऐसा कानून बना रही है कि जब तक हरिज़न पंच चुनाव में नहीं आवे या उनका नोमिनेशन नहीं हो पंचायत अपना कार्य शुरू न करे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां पर इस सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं उनमें ऐसी बात नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : पंचायतें तो अपना काम शुरू कर देती है। तो क्या यह ऑब्लीगेट्री नहीं है कि जब तक हरिज़न पंच न आवे पंचायत अपना काम शुरू न करे।

श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना-सु०): मौजूदा समय में प्रोसीज़र क्या है और कितने समय में नामजदगी हो जानी चाहिये और उससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिये क्या इसके लिये कोई निश्चित समय है ?

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में साफ लिखा हुआ है।

श्री गोवरधनसिंह केन : क्या प्रोसीज़र है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये पंचायत या डिपार्टमेंट लिख कर भेज देता है।

श्री रावतराम : २८ पंचायतों के चुनाव हो गये हैं और अभी तक उसमें हरिज़न पंच का नोमिनेशन नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाकी के कर दिये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी में कोऑप्शन का प्रोविज़न है उसी प्रकार पंचायत में भी करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून हमारे ऐसे बने हुए हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क़ानून में परिवर्तन करेंगे।

श्री रावतराम : राजगढ़ की तहसील में कब तक चुनाव हो जावेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी हो जायेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या कोई पंचायत में हरिज़न पंच नहीं हों तो भी क्या उस पंचायत को कम्पलीट मानी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री रामचन्द्र : मेरा प्रश्न यह है कि आया उसको कम्पलीट पंचायत मानी जाती है या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कानून है कि अगर कोई हरिज़न पंच नहीं होता है तो सरकार उसको नामज़द करती है। नामज़दगी हो जाती है।

श्री रामचन्द्र : हरिज़न पंच के आने और न आने की कोई इम्पोर्टेन्स नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इम्पोर्टेन्स तो है इसीलिये नोमीनेशन रखा गया है।

श्री रामचन्द्र : हरिज़न पंच के बिना हरिज़नों के रिप्रेजेन्टेशन की कितनी अवहेलना होती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून ऐसा बना हुआ है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि जहां पंचायतें ज्यादा हैं वहां पर हरिज़न ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नाथूराम मिर्धा बोलने के लिये खड़े हुए और बोलने लगे।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं आया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने मुझे बोलने की आज्ञा दे दी है।

(दोनों में से एक व्यक्ति को बैठना चाहिये कि आवाज)

Page No.17

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्व का प्रश्न है।

(श्री नाथूराम मिर्धा बैठ जाते हैं)

जहां हरिजन ज्यादा हों वहां पर इस प्रकार का कानून रहना चाहिये। जहां ओकॉप्ट कर सकते है करना चाहिये। म्युनिसिपैलिटी में रूल्स है यहां पर भी होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इसका स्पष्ट जवाब दे दिया है। अगर आप न समझे तो इसका तो मैं क्या करूं ? इसके लिये कानून बने हुए हैं उसके अनुसार कार्य होते हैं। आपको चाहिये कि हरिजनों को चुनाव में लावें।

श्री मदनसिंह : आपको मालूम है कि संविधान मे कानून इसी ढंग के बने हुए हैं। आप कानून को पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पक्की सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था

११६४. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा पक्की सड़कों की मरम्मत कराने की क्या व्यवस्था है ?

(२) फुलाद ये कोट जाने वाली सड़क का किस सन् में निर्माण हुआ था ?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क कई स्थानों पर टूट गई है और इसमें जगह जगह गहरे गड्डे पड़ गये हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) निर्माण विभाग समय समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत करवाता हैं।

(ख) सन् १६४५-४६ में।

(ग) यह पक्की सड़क नहीं है वरन ग्रेविल की है और वर्षा में अक्सर टूट फूट हो जाती है।

(घ) जी हां। गैंग रोड़ पर काम करती है तथा सड़क के टूट फूट होने पर उसे ठीक कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११६५

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ११६६

श्री भैंवरलाल 'काला बादल'।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ११६७

श्री मंगलसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री गिरधारीलाल।

Page No.18

अलवर पॉवर हाउस की असन्तोषजनक हालत

११६८. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि अलवर पॉवर हाउस की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है व उसके लिए वहां के कुछ कर्मचारी भी जिम्मेवार हैं।

(२) क्या यह सत्य है कि अलवर पॉवर हाउस के एक इंजन के तोड़ने की शिकायत पर वहां के एक कर्मचारी का तबादला किया गया था और उसके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही थी ? अगर हां, तो वह इन्क्वायरी कब तक मुकम्मिल हो जाएगी ?

(३) क्या यह सत्य है कि वहां के कुछ और कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायतें हैं। लेकिन उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

(४) क्या यह सत्य है कि श्री राजबहादुर, मीटर इन्स्पेक्टर के खिलाफ अलवर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने रिपोर्ट की है कि यह अयोग्य व्यक्ति है ? अगर हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री, विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) ।

(१) कुछ समय पहले थी अब वैसी नहीं है। खराबी के लिये कौन जिम्मेवार था इसके लिये अभी निश्चय नहीं कहा जा सकता।

(२) यह साबित नहीं हुआ है कि सेट किसकी लापरवाही से टूटा।

(३) शिकायतें होती हैं। परन्तु तथ्य सिद्ध होने पर कार्यवाही की जाती है।

(४) श्री राजबहादुर नाम का कोई मीटर इन्स्पेक्टर नहीं है। एक मिटर अवश्य है उनके खिलाफ कुछ शिकायतें थी। इससे उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ११६६

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११७०

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

तहसील करनपुर में सन १९५७-५८ में बनी सड़कें

११७१. श्री उम्मेदीलाल (करौली-स०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील करनपुर, ज़िला सवाई माधोपुर में ५७-५८ में कौन कौन सी सड़कें बनवाई गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कोई सड़क निर्माण नहीं की गई।

श्री उम्मेदीलाल : क्या यह माना जावे कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आवश्यकता होगी लेकिन दूसरी योजना में तहसीलो के लिये जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसमें नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या मन्त्री महोदय बतावेंगे कि सड़क निर्माण का प्लान बनता है वह विलेज लेवल से आता है या गवर्नमेंट उसे जयपुर में ही बनाती है या तहसीलों से और पन्चायतों से या ब्लॉक कमेटियों से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार सभी को पूछती है। प्लान तो बहुत बड़ा बन कर आता है मगर उन पर रूपया लगाने में कठिनाई पड़ती है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेंट जो सड़कों को बनाना जरूरी समझती है उनको रखती है और दूसरे नीचे के सभी प्रोपोजलों को कट कर देती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्लान बहुत बड़ा बन कर आता है और उसमें सभी पॉइन्ट ऑफ व्यूज को ध्यान में रख कर काट छांट करनी ही पड़ती है। आप ही बतावें

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अभी बताने में देर है।

श्री श्रीभानसिंह : आप पीपल को एसोसियेट करते हैं और जब उनके सजेशन आते हैं तो उनको पूरा नहीं करते।

श्री नाथूराम मिर्धा : गांव गांव से सड़कों के लिए सुझाव आते हैं। ५०० करोड़ के खर्चे के सुझाव राजस्थान अकेले के लिए पहुँचे थे। आप देखें कि सरकार को ही उसमें देखना पड़ता है कि जिलों और डिस्ट्रिक्टों की इम्पोर्टेन्स के अनुसार कौनसा कट किया जा सकता है। और कितनों का प्लान रखा जावे। दूसरा प्लान जिस समय बना था उस समय सुझाव आये थे वे ५० करोड़ के पंचायतों आदि से आये थे। सरकार १५ करोड़ का प्लान लेकर सेन्टर के पास गई। सेन्टर ने ९॥। पौने दस करोड़ दिये। इसलिए बहुत से प्लान को रोकना पड़ा। प्लान्स जिस लेवल पर बनते हैं उसको मेन्टेन करना मुश्किल होता है इसलिए उसमें काट छांट करना जरूरी हो जाती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के दो प्रकार के दृष्टिकोण रहते हैं कि एक तहसील में तो बिल्कुल ही सड़कें नहीं बनाई जांय और दूसरी तहसील में सब सड़कें बना दी जायं। क्या गवर्नमेंट का सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में इस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी हम तहसील लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। हमारा इरादा था कि डिविजन्स को कनेक्ट कर दिया जाय, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स को और विदिन दी डिस्ट्रिक्ट वीन २ मी इम्पोर्टेन्ट मंडीज़ हैं, पांच हजार की आबादी के ऊपर के कितने गांव हैं, इन बातों को ध्यान में रख कर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी तहसीलों में सड़कें निकली हों।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : यह डिविजनल लेवल पर काम किया गया है या

(श्री गिरधारीलाल)

डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

नगर विकास मंडल, जयपुर द्वारा भूमि का अलॉटमेंट बन्द कर देने के सम्बन्ध में

११७२. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर शहर में नगर विकास मण्डल द्वारा किये जाने वाला भूमि का अलॉटमेंट बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि जमीन का अलॉटमेंट न करके उसे नीलाम द्वारा बेचने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो क्या इससे कम आय वाले लोगों को बसने के लिए भूमि प्राप्त करना संभव रहेगा ?

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। तारीख १७-२-५६ से।

(२) प्रश्न विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : क्यों का क्या उत्तर है। जयपुर शहर में अलॉटमेंट क्यों बन्द किया गया है, इस क्यों का क्या उत्तर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर शहर के लिए ही नहीं सारे राजस्थान के लिए बन्द किया गया है। बहुत सी शिकायतें थीं कि बहुत से लोगों को नहीं मिल रही है, गरीबों को नहीं मिल रही हैं, इसलिए सारा अलॉटमेंट का तरीका एग्ज़ामिन किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक अलॉटमेंट के बारे में सरकार नीति निर्धारित कर के अलॉटमेंट शुरू कर देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस नीति की शकल क्या होगी, यह तो मैं अभी नहीं बता सकता पर जल्दी ही कर रहे हैं।

डा० चन्द्रकला : तो आयन्दा जमीनें नीलाम दे देने का रखेगी या इसी तरह अलॉटमेंट किया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न विचाराधीन है कि किस तरह सारे मामले को रेग्युलेट करें ताकि किसी को किसी प्रकार की कम्प्लेन्ट न हो, पहले इस तरह की शिकायतें आई हैं कि बहुत से गरीबों को और कई लोगों को ज़मीनें मिलती ही नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : तो क्या यह माना जाय कि क्या इस प्रकार के आदेश सरकार ने दिये हैं वे कई नगरपालिकाओं में बहुत सी अनियमितताएं हुई उनके आधार पर दिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और दूसरी शिकायतें भी थीं उनमें अनियमितताओं की भी शिकायतें भी थीं और दूसरी भी कई बातें थीं।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन स्थानों के बारे में अनियमितताओं की शिकायतें आई हैं

Page No.21

(श्री भैरोंसिंह)

उनकी सरकार ने जांच करवाई है और उस जांच के आधार पर सरकार इस निर्णय पर पहुँची है कि विकास मंडलों से ये अधिकार ले लिए जांय।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कई तरह की शिकायतें थीं, जांच भी कराई गई है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इस जांच के निर्णय के आधार पर ही कि जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको अलॉटमेंट नहीं किये गए और जो डिजर्व करते थे उनको अलॉटमेंट नहीं किये गये, इस आधार पर ही सरकार ने विकास मंडलों से ये अधिकार छीने हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बिना पर नहीं, कई तरह की शिकायतें थीं कि हमको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, सदन में लम्बी लिस्टें पेश की गई थीं कि इन इनको नहीं मिला है, तो इस सारे मामले को रेग्युलेट करने के लिए यह किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जब अनियमितताओं के आधार पर सरकार ने हुक्म दिया है तो इससे पहले जो अनियमितताएं हुई हैं, जिनको मिलना चाहिये था नहीं मिला और जिनको नहीं मिलना चाहिये था उनको मिल गया, इसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं, नियमों में भी कुछ गलतियां थीं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को प्रायोरिटी देने का था और कई बातें थीं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

११७३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा, श्री श्रीभानसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में पशुओं की चराई के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि झालावाड़ तथा कोटा जिले में पशुओं की चराई के संबंध में नियम भिन्न भिन्न हैं? यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या सरकार कोटा जिले वासियों को भी झालावाड़ जिले वासियों के समान ही सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सारे राजस्थान के लिए एक नियम नहीं है। इन्टेग्रेटिंग यूनिट्स के जो अलग अलग नियम थे वही चालू हैं।

(ख) नियम एक ही हैं। चराई की दर भिन्न भिन्न है। इन्टेग्रेटिंग यूनिट्स में भिन्न भिन्न दरें थीं। इसी कारण भिन्न भिन्न हैं।

(ग) जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या सरकार ने इनको रेशनेलाइज़ करने के लिए कोई कमेटी बैठाई है?

Page No.22

श्री नाथूराम मिर्धा : हां पहले कमेटी बैठाई थी, उसने रिपोर्ट सब्मिट की थी पर फोरेस्ट के मामलात में सारी बातों की जांच करने के लिए एक दूसरी कमेटी बैठाई गई है, वह रिपोर्ट भी उस कमेटी को दे दी गई है कि वह कमेटी फोरेस्ट के और प्रोब्लम्स को देखने के साथ साथ इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से देखें।

श्री श्रीभानसिंह : जब सरकार ने यह कमेटी बैठाई और ग्रेजिंग की रेट फिक्स कर दी तो गवर्नमेंट ने कैसे यह आवश्यकता महसूस की कि इस नई कमेटी को यह रिपोर्ट देकर इस मामले को और एग्जामिन कराया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा :दूसरी कमेटी सुपीरियर केलिबर की है । और ज्यादा डिटेल्स में जा कर फोरेस्ट की सारी बातों को एग्ज़ामिन कर रही है। इसलिए उसको यह रिपोर्ट भी दे दी गई है कि फोरेस्टस की बातों के साथ साथ इस चीज़ को भी थोरोली एग्ज़ामिन करें।

श्री श्रीभानसिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया कि यह कमेटी सुपीरियर केलिबर की है तो यह बतायें कि पहले की कमेटी में इन्फीरियर केलिबर के कौन कौन पर्सनल्स थे और अब इस सुपीरियर केलिबर की कमेटी में कौन कौन पर्सनल्स हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्सनल्स के नाम मुझे इस समय मालूम नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जिस फोरेस्ट कमेटी को पहले की कमेटी की रिपोर्ट दी है उस कमेटी में किन किन व्यक्तियों को सुपीरियर केलिबर के समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कमेटी के चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनसे बड़े अफसर उस कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। यह कमेटी सारे फोरेस्ट्स के मामलों को देख रही है। तो इसको भी देख ले इसलिए वह रिपोर्ट इसको दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस इन्फीरियर कमेटी के चेयरमैन एक मंत्री महोदय थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं यह गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह : कौन थे ?

श्री नाथूराममिर्धा : चीफ कन्जर्वेटर भी नहीं शायद कन्जर्वेटर थे, उसके चेयरमैन न मन्त्री महोदय थे और न चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड थे।

श्री रामचन्द्र (डग सु०): क्या वह सही है कि झालावाड़ कोटा का चराई मामला उस कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेन्स में था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेन्स में यह नहीं था। एक दो साल पहले जो कमेटी बैठाई गई थी और उसने जो रिपोर्ट दी है। उसको वह रिपोर्ट दे दी गई है कि फोरेस्ट्स के सारे मामलात को देखने के साथ साथ इस मामले को, चराई के मामले को भी देखें।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इस कमेटी में कोई हरिजन हैं कि नहीं ?

(हंसी)

Page No.23

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम ।

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, हनुमानगढ़ की जीप नं० १३८५

११७४. **श्री रूपाराम** (नोखा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, हनुमानगढ़ जंक्शन की जीप नं० आर. जे. के. १३८५ की गाड़ी ११-७-५८ को हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर गई ?

(२) यदि हां, तो किस सरकारी काम से गई, किसने लॉग बुक में दस्तखत किये ?

(३) क्या यह सच है कि ओवरसियर बलवन्तसिंह को दबाव दे कर दस्तखत करवाये ? क्या यह भी सच है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री अमीरचन्द गुलाठी के दोनों लड़के निजी काम से इस जीप को गंगानगर ले गये और शाम को वापिस आये और जीप १०८ मील चली ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री मीणा-भाई) : (१) जी हां ।

(२) सरदार बलवन्तसिंह मेकैनिकल ओवरसियर के साथ जीप को कुछ स्पेयर पार्ट्स जो बहुत जरूरी थे लाने के लिये तथा टोकन लाने के लिये श्री गंगानगर भेजी गई थी ?

(३) दबाव दे कर हस्ताक्षर करने का प्रश्न नहीं उठता । जीप सरकारी कार्य से श्री गंगानगर गई थी, सरदार बलवन्तसिंह के साथ श्री गुलहाटी के दो लड़के थे ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या दोनों लड़के सरकारी काम से गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गाड़ी खाली जा रही थी इस लिये उसके साथ गये थे ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी गाड़ी में प्राइवेट पेसेन्जर्स नहीं बैठ सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राईवेट पेसेन्जर्स का सवाल नहीं सरकारी अधिकारी के बच्चे थे ?

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि सरकारी अधिकारी के बच्चे सरकारी अधिकारी की तारीफ में आते हैं ?

सिंचाई एंव गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): फेमिली की तारीफ में आते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकारी अधिकार के फेमिली मेम्बर्स सरकारी गाड़ी में ट्रेवल कर सकते हैं जब कि सरकारी गाड़ी सरकारी काम से जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : अकोमोडेशन हो तो बैठ सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : किस नियम से ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहां मना है ?

श्री भैरोंसिंह : यह नियम है कि सरकारी गाड़ी प्राइवेट काम में न ली जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : प्राइवेट काम में सरकारी गाड़ी को लिया जाय तो नियम

Page No.24

(श्री रामकिशोर व्यास)

के खिलाफ है पर सरकारी काम के लिये सरकारी अधिकारी जा रहा हो और उसमें अकोमोडेशन हो तो उसमें उसके लड़के यदि बैठ जायं तो क्या आपत्ति की बात है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकारी गाड़ी खाली जाती हो तो जनता का कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर के उसको रोक कर उसमें बैठ सकता है ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो उस अफसर की मर्जी पर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हाथ खड़ा कर देते हैं, खाली हो तो इन्सानियत के नाते बैठा भी लेते हैं, इसमें ऐसी क्या बात हो गई ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मोटर विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत किसी भी गाड़ी में जिसमें पेसेन्जर ले जाने का परमिट नही है किसी पेसेन्जर को, सरकारी अधिकारी को नहीं बैठाया जाय ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : किराये का मतलब है वहां तो।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ी कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी का हो गया कि तीन मंत्री महोदय इसका जवाब दे चुके हैं।

(हंसी)

श्रीमदनसिंह (दांता रामगढ़) : फेमिली वाले बैठ सकते हैं, मोटर ड्राइवर की फेमिली वाले बैठ सकते हैं। Family consists of 100 people. सुसरा है, जवांई, नाना है, चाचा है, कोई भी फेमिली में आ सकता है और बैठ सकता है। यह मंत्री महोदय ने कैसे जवाब दिया ? मैं पूछना चाहूंगा। मैं समझता हूँ किसी सरकारी गाड़ी में ड्राइवर की फेमिली अफसर की फेमिली नहीं बैठ सकती है। यह जो जवाब दिया है वह किस आधार पर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि गाड़ी खाली जा रही थी इसलिए उसमें दो लड़के बैठ गये।

श्री मदनसिंह : ऐसा है तो फिर सब बैठेंगे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कौन से सामान के लिए गंगानगर गई थी ?

श्री अध्यक्ष : स्पेयर पार्ट्स और टोकन के लिए गई थी।

श्री गिरधारीलाल : क्या वह स्पेयर पार्ट्स लाई ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि फेमिली के दूसरे मेम्बर्स के साथ बकरियां भी बंधी हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : वह फेमिली में नहीं आती है।

Page No.25

श्री गिरधारीलाल : वह गाड़ी कब गई थी और कितने दिन बाद वापिस लौट कर आई ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल : सामान लेकर नहीं आई थी और उसके लिए गई ही नहीं थी क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने दरियाफ्त कर फरमाया था।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि लड़कों को सिनेमा देखना था ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसी गाड़ी से वे लड़के वापिस आये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या बात हुई इसमें ?

श्री भैरोंसिंह : क्या बात हुई नहीं का सवाल नहीं है इसका जवाब दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी मर्जी होगी जो जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मर्जी का सवाल नहीं है। जो कोम्पिटेन्ट जवाब होगा वही तो देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : जो सही जवाब होगा वही दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : वे दोनों लड़के उसी गाड़ी में वापिस आये थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : एक जीप गंगानर गई थी, जो खाली थी इसलिए उसमें अधिकारी के दो लड़के बैठ गये। सरकार की ओर से कहा गया कि नियमों का उल्लघंन नहीं किया गया। यों बहुत से बैठा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे दो बच्चे वापिस उसी गाड़ी में आये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सामान के साथ आ भी गये तो उससे क्या मतलब निकलता है ?

श्री भैरोंसिंह : यह इन्टेशन शो करता है।

श्री गिरधारीलाल : प्रश्न केवल इतना सा है कि सामान लाया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : गाड़ी वापिस आयी, सामान उसमें नहीं आया। केवल बच्चों के लिए ही वह गाड़ी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : बच्चे वापिस उसी गाड़ी में आये या नहीं ? सामान नहीं आया है it clearly shows that the jeep was sent there only to take the boys and bring them back.

श्री रामकिशोर व्यास : सीधी सी बात है। इसमें नाराजगी की बात नहीं है। गवर्नमेंट काम के लिए इर्रिगेशन की एक जीप गंगानगर गई थी। अफसर जा रहा था उसमें दो लड़के बैठ गये। सरकारी गाड़ी में जगह थी गवर्नमेन्ट को कोई एक्स्ट्रा

(श्री रामकिशोर व्यास)

खर्चा नहीं करना पड़ा और कोई इर्रेग्यु-लेरिटी नहीं हुई। आप समझ लीजिये कि वे लड़के वापिस उसने आये।

श्री गिरधारी लाल : ऑफिसर का नाम क्या है?

श्री रामकिशोर व्यास : बलवन्तसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या हनुमान गढ़ से गंगानगर १०८ मील है!

श्री रामकिशोर व्यास : आना जाना है।

श्री श्रीभानसिंह : गंगानगर से हनुमानगढ़ कितना मील है?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब में दिया है।

श्री मदनसिंह : ट्रान्स्पोर्ट के अन्तर्गत ऐसा रूल है कि जीप में इतने आदमी बैठ सकते हैं। उस नियम के विरूद्ध आदमी ज्यादा थे या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन आदमी ज्यादा नहीं माने जा सकते।

श्री मदनसिंह : नियम के विरुद्ध थे क्या?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे है कि तीन आदमी थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको दस आदमी के साथ बैठे हुए देखा है।

श्री मदनसिंह : समान के साथ एक भी आदमी बैठने का नियम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : तीन आदमी थे तो क्या ऑफिसर ड्राइव कर रहा था और कोई ड्राइवर नहीं था? दो बच्चे थे और।

प्रश्न संख्या ११७५

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११७६

श्री चन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री धर्मपाल पंवार।

राजस्थान केनाल पर इंजीनियरों की नियुक्ति

११७७ श्री धर्मपाल पवार (श्रीमती सतवन्तकौर द्वारा पूछा गया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या राजस्थान केनाल पर इन्जीनियरों की नियुक्तियां पूर्णतया हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल के चीफ इन्जीनियर टैकिनकल स्टाफ की नियुक्ति करने में उदासीन रहे हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(श्री धर्मपाल पंवार)

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल का कार्य बहुत ही मन्द गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इस रवैये से निश्चित समय के अनुसार राजस्थान केनाल का कार्य पूरा हो सकेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग : (श्री भीखाभाई) : राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए इन्जीनियरों की नियुक्तियें जारी हैं। इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल पॉवर कमीशन तथा अन्य राज्य सरकारों को लिखा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं । योजना के अन्तर्गत अब तक की प्रगति संतोषप्रद है। आशा है कि कार्यों को निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अनोपसिंह।

सर्जीकल स्पेशलिस्ट और लेक्चरार बनाने के आधार

११७८. श्री अनोपसिंह (बालोतरा-डा० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सर्जीकल स्पेशलिस्ट और लेक्चरार बनाने के लिये क्या आधार रखा गया है ?

(ख) क्या जिन्होंने १६५६ से पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो उनको न लेकर बाद में डिग्री लेने वालों को सीनियर स्पेशलिस्ट पद पर नियुक्त कर दिया गया ? ऐसे कितने हैं जिनको यह पोस्ट मिली और क्यों ?

(ग) क्या कोटा अस्पताल में किसी डॉक्टर को स्पेशल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है ? वह कौन है और किस आधार पर ऐसा हुआ।

उप-मंत्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) सर्जीकल स्पेशलिस्ट व लेक्चरार बनाने के आधार निम्नलिखित हैं :

सीनियर स्पेशलिस्ट

(१) एम.बी.बी.एस. हो अथवा इसके बराबर कोई दूसरी योग्यता प्राप्त हो।

(२) सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है या इसके बराबरी के कोई अन्य क्वालिफिकेशन्स युरोप, यू.एस.ए.व यू.के.के किसी केन्द्र से प्राप्त की हो।

(३) कम से कम १० वर्ष तक सर्जरी का कार्य किया हुआ हो अथवा जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पर लगातार ५ वर्ष से कार्य कर रहा हो।

(४) दूसरी स्टेट से कार्य करने वाले डॉक्टर जो बतौर सिविल सर्जन, रीडर व डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहा हो इस पद के लिए चुने जा सकते हैं परन्तु ऊपर के गद्यान्शों में दी गई योग्यता होनी चाहिये।

जूनियर स्पेशलिस्ट

(१) एम.बी.बी.एस. अथवा इसके बराबरी की कोई दूसरी योग्यता प्राप्त हो।

Page No.28

(श्री भीखाभाई)

(२) सर्जरी में पोस्टर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की हुई हो जैसे एम.एस. व एफ.आर. सी.एस. तथा पांच साल का सर्जरी के काम का अनुभव हो।

लेक्चरार

(१) एम. बी.बी.एस. अथवा इसके बराबरी की कोई दूसरी योग्यता प्राप्त की हो।

(२) सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की हो।

(३) जिनको पढ़ाने की योग्यता है उनको प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) सरकार ने १९५५ में एक बोर्ड स्पेशिलिस्ट आदि के चुनाव के लिये नियुक्त किया था। इस बोर्ड द्वारा चुने गये डॉक्टरों को ही स्पेशलिस्ट के पद पर रखा गया है। अतः पहले या बाद में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सीनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर किसी डॉक्टर की सन् ५४ के बाद नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) कोटा अस्पताल में दो स्पेशलिस्ट है। एक डॉक्टर जयदेव प्रसाद जो सिनियर स्पेशलिस्ट मेडीकल के हैं तथा दूसरे डॉक्टर के. एन. शर्मा सर्जरी के जूनियर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर के.एन. शर्मा ने एफ.आर.सी.एस. की डिग्री प्राप्त की है। इसलिये उनको उस समय तक के लिये जब तक कि जन सेवा आयोग द्वारा जूनियर स्पेशलिस्ट चुन कर नहीं भेजा जाता है अस्थायी तौर पर जूनियर स्पेशलिस्ट बनाया गया है। डॉक्टर के.एन. शर्मा की योग्यता का विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ११७९

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

मुकन्दगढ़ नगरपालिका का चुनाव

११८०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर)**: क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) मुकन्दगढ़ नगरपालिका के निर्वाचन कब सम्पन्न हुए ?

(२) क्या यह सही है कि दो सदस्यों के मनोनयन में विलम्ब के फलस्वरूप नई नगरपालिका को अब तक सत्ता हस्तान्तरित नहीं की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) २३-१२-५८ को।

(२) जी नहीं। दिनांक १८ मार्च १९५९ को नव निर्वाचित बोर्ड ने कार्यभार सम्हाल लिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यहां इतने दिन का समय कैसे लगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोमीनेशन के लिए रिकमन्डेशन आती है, डिपार्टमेंट उसको एग्ज़ामिन करता है। अब तो फाइनल हो गया है और चार्ज ले लिया है।

Page No.29

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कलेक्टर ने कब रिकमन्डेशन की थी और कब सरकार ने स्वीकार की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनवरी फरवरी में ऑर्डर्स दे दिये थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि नगरपालिका के ८ सदस्यों की सिफारिश की थी, उनको स्वीकार नहीं किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

प्रश्न संख्या ११६५

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्व का है अतः इसका जवाब दिलवा दिया जाय।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा निर्णीत मामले

११६५. **श्री मोहरसिंह** (चूरू-श्री भैरोंसिंह द्वारा पूछा गया) :

(क) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अब तक कुल कितने केसेज़ दर्ज किये गये हैं ?

(ख) उनमें से कितनों की जांच होकर फैसला हो चुका है और कितने पेन्डिंग हैं ?

(ग) जांच किये गये केसेज़ में कितने सच्चे और कितने झूठे पाये गये ?

(घ) अब तक कितने केसेज़ में किन किन लोगों को क्या क्या सज़ायें दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) दिनांक ३१-१-५६ तक २६० केसेज़ (अभियोग) पंजीबद्ध किये गये।

(ख) १०१ अभियोगों का अनुसंधान पूर्ण हो चुका हैं तथा १८६ अभियोग अनुसन्धानान्तर्गत है। सबसे पुराना अभियोग इस विभाग में २६-८-५७ का अनुसन्धानान्तर्गत है।

(ग) ६१ अभियोग पूर्णतया सिद्ध हुये तथा ४० अभियोग असिद्ध पाये गये।

(घ) १५ अभियोगों में न्यायालय द्वारा दण्ड प्रदान किया गया उनमें से ७ प्राचीन अभियोग थे। जो जन रक्षा विभाग में पंजी बद्ध थे तथा अनुसन्धान भ्रष्टाचार विरोध विभान के अन्तर्गत था। सम्पूर्ण अभियोगों का वर्णन संलग्न सूची में है जो कि सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : जिन केसेज में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उनमें से कितने केसेज़ का चालान हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६१ का हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : Out of ?

श्री रामकिशोर व्यास : १०१.

श्री भैरोंसिंह : बाकी के केसेज़ का चालान क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

पंचायतों की प्रगति की रिपोर्ट का प्रकाशन

११६६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् ४८ से ५८ तक पंचायतों की प्रगति के बारे क्या सरकार ने प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रकाशित की है? यदि की है तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) :

समय समय पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सन् ४८ में पंचायत विभाग स्थापित नहीं हुआ था व ५८ की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

(सूची अनुपलब्ध)

जिला जालोर में रबी अभियान

११६७. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाड़ा) (श्री अनोपसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालोर में रबी अभियान को सफल बनाने हेतु सन् ५८ में कितना व किस किस प्रकार का गेहूं, का बीज़ वितरण किया गया है? कृपया तहसील वार आंकड़े बताइयेगा?

(ख) उक्त बीज़ से पैदावार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) रबी अभियाम को सफल बनाने हेतु ज़िला जालोर में सन् १९५८ में जितना व जिस प्रकार का गेहूं वितरण किया गया उसके तहसीलवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं।

नाम तहसील	किस्म गेहूं बांटा गया					
	सी ५९१.			एन. पी. ७१८.		
	म.	से.	छ.	म.	से.	छ.
१ अहोर	५४९०	२२	११	२०५	०	०
२ जालोर	५४३८	२२	१४	६८	७	०
३ जसवंतपुरा	५४१५	३५	१३	११५	३३	०
४ सांचोर	१७४०	२०	२			

नाम तहसील	किस्म गेहूं बांटा गया		
	आर. एस. ३१-१ म.	से.	छ.
१ अहोर	१	१८	१२
२ जालोर	५०	०	०

योग १८०८५-२१-८ ३८९-०-० ५१-१८-१२

कुल योग १८,४२६ म, से० ४ छटांक।

चूंकि अभी फसल की कटाई हो रही है अतएव प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

श्री अनोपसिंह : जिला जालोर में जितने गेहूं के बीज़ की मांग थी उसमें से कितने प्रतिशत मांग पूरी की गई?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह प्रतिशत मेरे पास नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री वली मुहम्मद।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है अतः इसका जवाब दिलवा दिया जाय।

डिविजनल पंचायत ऑफिस बन्द किये जाने के सम्बध में

११६६. श्री वली मोहम्मद (चोहटन-श्री भैरोंसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या स्वायत्त शासन विभाग की ओर से डिविजनल पंचायत ऑफिस बन्द कर दिये गये हैं ?

(२) यदि हां तो उनके अधिकार किसको दिये गये हैं, यदि किसी ऑफिस को दिये गये हैं तो क्या क्या अधिकार दिये गये हैं ?

(३) यदि नहीं तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) डिविजनल पंचायत अधिकारियों को राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत इन्क्वायरी और सुपरवीजन के अधिकार प्राप्त हैं। इस विभाग के पुनर्गठन के सिलसिले में ज़िला पंचायत अधिकारियों को व दूसरे अधिकारियों को अब से ज्यादा अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिला पंचायत अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त होने के बाद पंचायतों की दिक्कतें ज़िला स्तर तक ही सुलझाया करेंगी।

(३) प्रश्न दो के उत्तर के बाद यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : जब तक डिविजनल पंचायत अधिकारी ज़िला पंचायत के अधिकार नहीं मिलते उस वेकुम के समय में क्या व्यवस्था आपने की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुपरवीज़न और इन्क्वायरी का काम जिला पंचायत अधिकारी करते हैं जो हैडक्वार्टर में हैं वे अन्य काम करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : चूंकि ज़िला पंचायत ऑफिसर को नियमों के अन्तर्गत अधिकार नहीं हैं, डिविज़नल पंचायत ऑफिसर के काम को निपटाने का वैसी हालत में चीफ पंचायत ऑफिसर के दफ्तर में काफी काम जमा हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुपरवीज़न और इन्क्वायरी का ताल्लुक है वे करते हैं उनको अधिकार है उसके अलावा बजट आदि का जैसे दो हजार की जगह चार हज़ार की स्वीकृति देना, वह काम यहां हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : डिविज़नल पंचायत ऑफिसर से अधिकार लेने से पहले क्या इस बात पर विचार नहीं किया कि ये अधिकार दूसरे अधिकारियों को देने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारा हैड ऑफिस सब काम करता है।

श्री भैरोंसिंह : करते हैं यह ठीक है किन्तु डिविज़नल पंचायत ऑफिसर से जब ये पॉवर्स लिये गये तो वे पॉवर्स किनको दिये जाय वह पॉवर्स लेने के पहले आपने निर्णय किया या नही ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पॉवर्स इन्क्वायरीं और सुपरवीजन हैं, वे तो डिविज़नल पंचायत ऑफिसर अब भी करते हैं वे डी० पी० ओ० के थ्रू भेजते हैं डायरेक्ट यहां आ जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिविज़नल पंचायत ऑफिसर को कुछ अधिकार थे। ज़िला अधिकारियों को वे देने के सम्बन्ध सरकारके सामने कोई प्रस्ताव है अधिकार आप देना चाहते हैं इस बात का निर्णय आपने उसे अधिकार लेने से पहले क्यों नहीं लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डी० पी० ओ० को पॉवर्स लिमिटेड थे। उनको एबोलिशन करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। यहां पर हैड ऑफिस में बैठे वे देख लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने कुछ अधिकार देने के सम्बन्ध में कहा कि यह प्रश्न विचाराधीन है तो क्या विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा अधिकार देने के सम्बन्ध है डी० पी० ओ० की गई पोस्ट क्रिएट हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

श्री रुपाराम

(अनुपस्थित)

श्री फतेहसिंह

(अनुपस्थित)

पावटा प्रागपुरा से डाबला तक चलने वाली बसों पर बकाया टैक्स

११६६. **श्री चन्द्रसिंह** (बहरोड़-रामकरसिंह द्वारा पूछागया): क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पावटा, प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली से डाबला और निजामपुरा को बसेंज चलती हैं।

(२) क्या यह भी सही है कि उनमें काफी टैक्स बकाया है ?

(३) यदि हां, तो किस किस का कितना है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(४) क्या सरकार शीघ्र ही वसूली की कार्यवाही करेगी।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : [१) जी हां।

Page No.33

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) नहीं। केवल एक गाड़ी आर० जे० एल० ५१६ में १-४-५१ से ३०-५-५१ । तक का टैक्स बाकी है ।

(३) उत्तर प्रश्न २ में आ गया है ।

(४) कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

६. ८. म० पू०

विधायी कार्य

राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६५६.

(अग्रेतर विचार-विमर्श-एवं पारण)

लैन्ड रेवेन्यू बिल की क्लॉज १८ पर दो संशोधन है, एक तो माननीय मन्त्री महोदय का और दूसरा रावराजा श्री सरदारसिंहजी उणियारा का ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मन्त्री महोदय का संशोधन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : वे अभी पढ़कर सुना देंगे । वह सर्कुलेट नहीं हुआ है क्योंकि कल इस सेक्शन को डेफर कर दिया गया था । वह इस बात पर कि इस बारे में मन्त्री महोदय संशोधन पेश करेंगे अत: उनको यह मौका देने के लिये डेफर कर दिया गया था । आज उन्होंने संशोधन पेश कर दिया है जो अभी आपके सामने आ जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को संशोधन पेश करने का मौका दिया गया इसका हम विरोध नहीं करते जैसा भी संशोधन वे चाहे पेश करें । लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि उन संशोधन पर हमें भी विचार रखने का मौका मिलना चाहिये । चूंकि माननीय मंत्री महोदय का संशोधन सर्क्युलेट नहीं हुआ हैं अत: उसकी इम्पोर्टेन्स के बारे में आज ही विचार नहीं किया जा सकता । वे अमेंडमेंट मूव कर दें उसके बाद हमें इस बात की इज़ाजत होनी चाहिये कि कल इस पर वाद-विवाद कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : कल इस सारे विधेयक पर वाद-विवाद हो चुका था । केवल क्लॉज़ ही बाकी रह गया था, उस पर माननीय मन्त्री महोदय को संशोधन पेश करने की इज़ाजत दी जाती है, उसके बाद में इस पर बहस हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अनुसार एक दिन पहले नोटिस मिलना चाहिये कि फलां फलां अमेंडमेंट मूव किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : विशेष परिस्थिति में ही उनको अमेंडमेंट मूव करने की इज़ाजत दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : उनको अमेंडमेंट मूव करने दिया जाय इसमें हमें विरोध नहीं है । मगर उस पर विचार करने के लिये भी हमें समय मिलना चाहिये जब कि रूल्स के अन्दर कायदा है कि अमेंडमेंट मूव करने के लिये एक दिन का नोटिस चाहिये ।

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन खैर, नहीं मिलता है तो निवेदन करूंगा कि मूव कर दें और फिर उसे कल तक स्थगित किया जावे ताकि उस पर हम बहस के लिए विचार कर सकें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ १८ में मेरे अमेन्डमेंट हैं। वे इस प्रकार हैं : In clause 18 of the Bill inserting new section 140 A, following amedment be made:

In Sec. 140 A, sub section (1) which is sought to be inserted, omit the words 'for the time-being' and add the words 'at the time of such entry' at the end.

श्री दामोदरलाल व्यास : आखिर में क्या एड करने के लिए बताया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'at the time of such entry'.

श्री अध्यक्ष : Omit the words 'for the time being' and add the words 'at the time of such entry'.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): What will be the difference ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं इस वास्ते डिलीट कराना चाहता हूं कि इसमें जो लिखा है 'फोर दी टाइम बीइंग' तो इसे हटाकर इसके बजाय 'एट दी टाइम ऑफ सच ग्रान्ट' इसमें एन्टर कर दिया जावे। क्योंकि जब एन्ट्री करप्शन होगा उस समय कौनसा कानून लगेगा, आज का लगेगा या पहले का लगेगा या जिस वक्त एन्ट्री करेंगे उस वक्त कोई दूसरा कानून लगेगा।

श्री अध्यक्ष : और भी संशोधन हैं आपके।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दूसरा मेरा संशोधन एक प्रोविज़ो जोड़ने के बारे में है।

The following proviso be added to sub-sec. (1) of Sec. 140A. "Provided that no such entry relating to Khudkasht made on or before the 1st day of January, 1949 shall be challanged" तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि एक कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। और दूसरा यह है In section 140A., sub-sec. (2), which is sought to be inserted, the words 'Five Years' be substituted by the words 'one year'. तो माननीय अध्यक्ष मेरा यह निवेदन है कि यह जो इसमें टाइम लिमिट होना चाहिये। अगर आपको यह सिर्फ किसी विशेष वर्ग को खुदकाश्त के लिए तकलीफ देने के लिए रखना है, और माननीय मन्त्रीजी इसके लिए उत्सुक हो रहे हैं तो सीलिंग जो वे लारहे हैं उसको क्यों नहीं इम्पोज़ कर देते हैं जल्दी से। इस तरह क्यों तकलीफ देते हैं। एन्ट्री के लिये बीस चालीस वर्ष से भी जो खुदकाश्त में हैं, उसके लिये भी चैलेन्ज हो सकता है तो कम से कम जागीर रिज़म्पशन एक्ट में भी ४६ से पहले का माना है तो इस तरह से इसमें भी यह माना जा सकता है कि ४६ से पहले का जिनके पास खुदकाश्त में है उसके लिए तो चैलेन्ज नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : ५ साल के बजाय एक साल रक्खा जावे, यह भी तो आपका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'The words 'Five years' be fubstituted by the words 'one year'. पांच की जगह वन ही अर्ज करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है...

श्री भैरोंसिंह : On a point of order sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन पेश कर रहे हैं, वह संशोधन अभी मेम्बर को सक्युलेट होकर नहीं मिला है। रूल १२१ में एक दिन के पहले यदि इस प्रकार का नोटिस नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज करेंगे हाउस में, जब तक कि आप इसके लिये कोई विशेष अनुमति प्रदान न करें। मैं समझता हूं इस बिल में यह क्लॉज़ बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इसके सम्बन्ध में यदि कोई टैकनिकल किसी प्रकार का अमेन्डमेंट होता तो शायद उस पर रूल्स को रिलेक्स करो या माननीय अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार के द्वारा इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर देते। पर जो संशोधन ये पेश करने जा रहे हैं वह इस बिल का यदि कलेजा कहा जावे तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस तरह के इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेंट को फिर चाहे वह माननीय सदस्य की तरफ से या किसी भी सदन के सदस्य की ओर से पेश किया जावे इस पर विचार करने के लिए एक दिन का नोटिस आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि वे पहले अपने इस अमेन्डमेंट को सक्युलेट करावे और फिर एक दिन की अवधि समाप्त होने पर यहां विचारार्थ प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध की मैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति चाहूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं थोड़ी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। कल इस बिल पर जब डिसक्सन हो रहा था, उस वक्त ही अमेंडमेंट पेश करने के लिए मुझे अनुमति मिली थी। पर अमेंडमेंट मेरे पास उस समय था नहीं इसलिये उसे पेश करने के लिए ही उस क्लॉज़ को आज के लिए डेफर किया गया था। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि आप अपने विशेष अधिकारों को काम में लेते हुए इस रूल को इसके लिए रिलेक्स करें। इसके बाद अगर माननीय सदस्य इस पर आपत्ति करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ओरिजिनल क्लॉज़ को ले लिया जावे। ओरिजिनल क्लॉज़ को ही पास कर लिया जावे। मुझे यह मन्जूर है। मैं अमेन्डमेंट मूव नहीं करूंगा। एक तरफ अमेन्डमेंट इसलिए पेश करता हूं कि सदन के काफी माननीय सदस्यों की यह इच्छा है और उनकी इच्छाओं का इसमें समावेश करना चाहता हूं। और फिर केवल इस बात पर कि यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सब्स्युलेट नहीं हुआ और केवल इस टेकनिकल बात पर एडजोर्न करवाएं तो इसको मैं पसन्द नहीं करूंगा । आप स्पेशल पॉवर से इस सम्बन्धी नियम को रिलेक्स करके मुझे अमेन्डमेंट मूव करने की मन्जूरी फरमावें । अगर मन्जूरी नहीं फरमाते हैं तो फिर चाहूँगा कि जिस प्रकार बिल में है, वैसा ही पास कर दिया जावे । वे इसे नहीं चाहते ऐसा कह दें ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इस अमेन्डमेंट को चाहने और नहीं चाहने का प्रश्न नहीं है । वह मेरे और उनके किसी के हाथ की बात नहीं है । वह तो सदन के अधिकार की बात है कि वह चाहे या न चाहे । मैं उन अधिकारों को हाथ में नहीं ले सकता । वह तो बिल जब पेश होगा तो उस समय देखा जावेगा कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है । प्रश्न यह है कि कल की अनुमति के अनुसार अमेन्डमेंट को तो आप मूव कर सकते हैं । पर उसके बाद यह नहीं कि आप उस पर सोचने का हमको समय न दें । तो इसके अन्दर जो प्रावधान है उस पर विचार करने के लिए एक दिन का समय दिया जावे । जिस समय क्लॉज़ डेफर किया गया कल उस समय हाउस यह नहीं चाहता था कि अमेन्डमेंट न आवे, अमेन्डमेंट मूव करने के लिये ही उसे डेफर किया गया था । पर विचार करने के लिये कितने समय की आवश्यकता है, यह तो नियम के अनुसार ही तय करने का सवाल है । नियमानुसार वह समय दिया जावे और इसके बाद में वाद विवाद हो । कौन नहीं चाहता है इसे और कौन चाहता है, यह तो हाउस की बात है । निर्णय जो भी लेना है वह लेगा । पर यह परम्परा और नियम है कि किसी भी अमेन्डमेंट पर विचार करने का समय मिलना चाहिए । नियम है एक दिन का नोटिस देने का और फिर यह तो एक विशेष महत्वपूर्ण अमेन्डमेंट है । तो इस विचारधारा को लेकर मैं अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इस स्थिति में अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग न करें और इसे आज ही पास करने की अनुमति प्रदान न करें । वैसे भी यह कल तक पास होने वाला था । उन सब बिलों के लिये तीन दिन का समय अलॉट था । इसमें इतना भी कोई तकाज़ा नहीं तो स्वाभाविक रूप से कल पर रख दिया जावे तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये । इसे आज मूव कर दें और कल विचारार्थ रख दिया जावे । इस प्रकार की अनुमति दे दी जावे ।

श्री अध्यक्ष : आप मूव करना चाहते हैं इसे या नहीं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मूव करना चाहता हूँ और यह चाहता हूं कि कल भी साफ कहा था कि मैं इसे मूव करना चाहता हूँ और इसीलिए एडजोर्न हुआ था ।

श्री अध्यक्ष : वह तो जैसा आपने कहा अमेन्डमेंट नहीं हो तो भी....

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं चाहते हैं, तो मैं इसके लिये भी तैयार हूँ कि जैसा क्लॉज़ है वैसा ही रहने दीजिये । क्योंकि केवल एक टैक्निकल फला को लेकर इसे कल के लिए रक्खे जाने की बात हो तो यह मुनासिब नहीं होगा । पोसिबल भी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने उसे देखा ही नहीं, चाहते नहीं चाहने का सवाल ही नहीं पैदा होता । What is the amendment, I have not seen that yet.

श्री सोहनलाल भटनागर : यह अमेन्डमेंट क्या है, वह तो आना चाहिए । इसके बिना क्या कहा जा सकता है कि वह इतना बड़ा कॉम्प्लीकेटरी नहीं है जिसकी वजह से समय चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Are you serious about this amedment in the first place ?

श्री दामोरलाल व्यास : yes sir, I am very serious. Quite serious sir. वरना तो अमेन्डमेंट ही क्यों लाता । जहां तक मैं समझता हूं अमेन्डमेंट को मूव करने का मतलब ही मेरा यह है कि इसके द्वारा मैंने विरोध को एडजस्ट किया है । तो इस संशोधन का लाना लीस्ट इनकन्वीनिएन्स है । इसमें कानून की कोई अवहेलना भी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो बात ठीक है आपने एडजस्ट किया है । लेकिन एड्जस्ट किस ढंग से किया है, आपकी लेंग्वेज में किया है । किस भावना से एड्जस्ट किया है ? उस चीज़ पर विचार करने के लिए मौका दिया जाये और मौका देने में आपको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए । अगर इसके लिए आप कहते हैं कि रूल्स के कारण एड्जस्ट करना है तो ठीक है । अगर मूल भावना में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो रूल्स के कारण कोई कठिनाई हुई है, तो उसमें भी आप एड्जस्ट कर लीजिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसको पेश करूं ताकि माननीय सदस्य को मालूम भी हो जाये कि मेरा अमेन्डमेन्ट क्या है ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रेस कर रहे हैं ? In the first place, I want to know whether you really want to bring it ? पर आल्टरनेट में आप कहें कि इसको पास कर दिया जाये या नहीं If you are really serious, I can consider it.

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the amendment is concerned, I do want to put it.

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, एक दिन का नोटिस इस अमेन्टमेन्ट को पेश करने के पहले नहीं मिला है । कल जो इसको डेफर करने के लिए हुआ था उसकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा । अब प्रश्न रह जाता है कि अब इसको प्रस्तुत करने की इजाज़त दी जाये या नहीं ? उसके लिए रूल्स को रिलेक्स कर देते हैं । जैसा कि आपने बताया यह बहुत आवश्यक प्रश्न है । लेकिन यह ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता है । हालांकि यह अमेन्डमेन्ट बहुत ही सिम्पल अमेन्डमेन्ट है । इसलिए इस बात को देखते हुए अमेन्डमेन्ट पेश करने की मैं आज्ञा देता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन फिर आज इसको पास नहीं करने दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : अमेन्डमेन्ट पेश करने का मतलब है कि आज ही इस पर डिबेट करेंगे

(श्री अध्यक्ष)

और आप (श्री भैरोंसिंह से) भी अपना दृष्टिकोण अभी ही रख दें।

श्री भैरोंसिंह : यह कैसे हो सकता है, हमने अभी तक अमेन्डमेन्ट ही नहीं देखा है।

श्री अध्यक्ष : यह अमेन्डमेन्ट इतनी सीरियस नेचर का नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : और जिस नेचर से माननीय मंत्री महोदय पेश करने जा रहे हैं, वह भी सिम्पल नेचर है इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं कह रहा था कि यह अमेन्डमेन्ट बहुत सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : इतना सीरियस नहीं जितना कि क्लॉज़ सीरियस है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट को जरूर कहीं न कहीं पढ़ लिया होगा।

मेरा अमेन्डमेन्ट माननीय अध्यक्ष महोदय इसकार है :

"In clause 18 in the new Section 140 (a) sought to be inserted after the words "relating to Khudkasht" add the following words :

"in respect of any Bir or Jore, which was used by a Jagirdar as a grass preserve and let out for grazing either after the grass was cut or removed or before, with or without any grazing fee."

यह मेरा अमेन्डमेन्ट है। इस अमेन्डमेन्ड से मेरा मतलब केवल इतना है कि वह भोड़ या बीड़ कि जो रिज़म्पशन से पहले गांव वाले उस गांव के मवेशियों के लिए या आसपास के गांवों के मवेशियों के लिए 'विथ आर विदाउट फी' चरने के लिए होती थी वह खुद काश्त में दर्ज नहीं हो सकती थी कानूनन और न होनी ही चाहिए। यह अमेन्डमेन्ट साधारण सा है और यह इसलिए पेश किया है ताकि किसी को इसमें कोई इन्कनविनियेन्स न हो।

श्री अध्यक्ष : और जो माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : यह तो आपका बीड़ के लिए है लेकिन जो खुद काश्त में ऑलरेडी है उसके लिए आप क्या कहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य जो उनियारा से आये हुए हैं, उन्होंने पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में जो डिबेट हुई उसका जवाब मिल रहा है या आप अमेन्डमेंट के बारे में बोल रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I will make a suggestion that under clause 132, he can bring an amendment but then no motion of passing the Bill can be moved if anybody objects. So

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) :

(श्री भैरोंसिंह)

But this is not the stage of passing the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : But why do you interfere ?

श्री अध्यक्ष : This is premature. Since we have started t e debate, why you. . .

श्री पी० के० चौधरी : When an Hon'ble Member was objecting that this debate be postponed, I would rather suggest that to accommodate him . . .

श्री दामोदरलाल व्यास : I would request the Hcn'ble Speaker that it could have been advocated at the proper time. It is no time now.

श्री अध्यक्ष : It is very clear and the Hon'ble Members will speak.They are limiting the operation.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister might be thinking to get it passed to day...

श्री अध्यक्ष : If the clause would have been of such a nature, I would have postponed it and we have done it so many times. I don't think this amendment is of such a nature.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेन्डमेंन्ट) बिल, १९५९ सदन में कल से विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इसमें बाकी के क्लॉजों को छोड़ कर के यदि इसके क्लॉज़ १८ पर गंभीरता से विचार किया जाये तो हमारे सामने दो कठिनाइयां पैदा होगी। एक कठिनाई सरकार की ओर दूसरी कठिनाई जिनके ऊपर इस क्लॉज़ का प्रभाव होने वाला है, उन व्यक्तियों की। मैं चाहूंगा कि यह दोनों कठिनाइयां सदन के समक्ष रखी जायें। जहां तक सरकार की कठिनाई का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कई जागीरदारों ने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एन्ट्रीयां करवा कर इतनी भूमि पर अधिकार कर लिया है कि जो वास्तव में उनकी खुद काश्त नहीं थी। और जो भूमि वास्तव में उनकी खुदकाश्त में नहीं थी आज उस भूमि के संबंध में केवल सैटिलमेन्ट रिकॉर्ड में उसकी एन्ट्री है। इस नाते से वह उसको खुद काश्त में रख कर उसका लाभ उठाना चाहें, मैं समझता हूँ कि उनको सरकार की ओर से लाभ नहीं दिया जाये इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। यह बात सही है कि कई स्थानों पर कई जागीरदारों के पांचपांच और छः छः हजार बीघा जमीन है और जिनकी पांच पांच छः छः हजार बीघा जमीन है वह खुद काश्त की किसी भी परिभाषा में और विशेष तौर पर उन परिस्थितियों में जब कि उस भूमि पर एक दिन भी हल नहीं चलाया गया हो वह भूमि खुदकाश्त की परिभाषा में नहीं आ सकती और ऐसा भी मैं समझता हूं कि यह खुद काश्त की परिभाषा में नहीं आनी चाहिये। लेकिन प्रश्न एक पैदा होता है कि हम किसी भी धारा को या किसी भी कानून में संशोधन को इस रूप में प्रस्तुत करें कि उससे सरकार की कठिनाई दूर हो जाये लेकिन उसके साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उनके ऊपर भी उसका विपरीत असर

(श्री भैरोंसिंह)

पड़े तो मैं निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन से अर्ज करूंगा कि उसके कारण से सरकार जिन लोगों से जमीन लेना चाहती है। इस क्लॉज के अन्तर्गत केसेज री-ओपिन करके उस प्रकार के लोग सरकार की निगाह में बहुत कम होंगे। उस प्रकार के लोगों से जो जमीन ली जायेगी वह जमीन जो ली जानी चाहिये उस प्रकार के केसेज़ बहुत कम होंगे। राजस्थान के अन्दर मैं ऐसा समझता हूँ कि गोचर भूमि की आड़ में या ग्रेजिंग फी की आड़ में सरकार जिन लोगों को एग्जम्प्शन देने वाली है वह भूमि या व्यक्ति बहुत कम होंगे। ग्रेजिंग फी ली जाती थी या नहीं सबसे मोटा प्रश्न यह है कि जागीरदारों में एक संघर्ष पैदा होगा। जागीरदार अपनी जमीन को रिटेन करने के लिए रिकार्ड ऑफ राइट्स में जो खुदकाश्त के नाम पर एन्ट्री हुई है उसको साबित करने के लिए उसकी ओर से ऐसा प्रयास किया जायेगा कि जो एन्ट्री हुई है वह सही है और इसकी ग्रेजिंग फी लिया करते थे। इस प्रकार जब यह साबित हो जायेगा तो जो खुदकाश्त के नाम से एन्ट्री हुई है वह वाजिब है। अब संघर्ष आयेगा। ग्रेजिंग फीस पब्लिक के इन्टरेस्ट में प्रश्न अराइज होता है। पब्लिक इसको दिया करती थी या नहीं इसके दो तरीके हैं। जिस समय जागीर रिजम्प्शन हुआ और कम्पेन्सेशन के लिए क्लेम्स सबमिट किये और जागीरदारों ने अपनी इन्कम ग्रेजिंग फी के नाम से दिखाई है या नहीं सबसे मोटा जो प्रूफ मेरे ख्याल से यह होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत कम ही ऐसे जागीरदार होंगे जिन्होंने कम्पनसेशन में अपनी आमदनी को ग्रेजिंग फी के नाम से नहीं दिखाया है। उन्होंने आमदनी को दिखाया है इसके बाद में कईयों के कम्पन्सेशन फाइनल हो गए और फाइनल होने के बाद में ग्रेजिंग फी का प्रश्न अराइज होता है। आज प्रश्न पैदा होता है मान लीजिये कि डिस्प्यूट खड़ी हो गई। इसमें यह आता है कि ग्रेजिंग फी वसूल होती थी या नहीं और खुद काश्त है या नहीं। इस झगड़े के प्रश्न को लेकर अगर उसका असर कम्पेन्सेशन के ऊपर पड़ता है। तो उन केसेज़ का क्या होगा जो कि फाइनल हो गए। जहां तक मैंने सुना है, अभी मैंने उस अमेन्डमेंट को देखा नहीं है अगर उसमें कुछ गलती है तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जैसी भावना माननीय मंत्री जी ने बताई है उसके अनुसार ग्रेजिंग फी के नाम से यदि किसी ने जमीन रिटेन करने की इच्छा की तो सरकार के डिस्क्रिशन के ऊपर होगा कि किसी को खुश किया जाये या नहीं।

अब एक तरफ प्रश्न आयेगा खुश करने वालों का, लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न पैदा होता है कि जब से एक्ट लागू हुआ है, मैं समझता हूं १-७-१६५६ से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ, तो १-७-१६५६ से लेकर जितनी भी इस प्रकार की ऐन्ट्रीज हैं उन एन्ट्रीज़ को चेलेन्ज़ किया जा सकता है। किसी भी दिन चेलेन्ज़ किया जा सकता है कि वह एन्ट्रीज़ करेक्ट है या नहीं। आज यह हम सब मान कर चलते हैं कि राजस्थान में जमीन की कमी है, यह भी मान कर चलते हैं कि सरकार की तरफ लैंडलैस टिनेन्ट्स और सब टिनेन्ट्स या ऐसे टिनेन्ट्स कि सरकार के ऐसे काम के द्वारा जिनको एक तरफ टेनेन्ट्स के राइट्स एक्र्, हुए हैं और दूसरी तरफ जो टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स थे उनके राइट्स

(श्री भैरोंसिंह)

लिये गये। आज इस प्रकार के कल्टीवेटर्स के सामने एक दिक्कत है जमीन प्राप्त करने की। वह हर कीमत पर ज़मीन प्राप्त करना चाहता है। पैसा दे सकता है, मुकद्दमे बाज़ी कर सकता है, रिश्वत देकर गलत एन्ट्री करा कर, गलत सबूत तैयार करके किसी तरह से ज़मीन हड़पने की वह कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि यह सबटिनेन्ट जो है, किसी एक वर्ग विशेष की, किसी एक क्लॉस विशेष पर मैं लान्छन नहीं लगाना चाहता हूँ, परन्तु राजस्थान में एक संघर्ष है जमीन जोतने वालों का और दूसरे वे जो ज़मीन स्वयं जोतते नहीं हैं। दोनों में संघर्ष कई दिनों से चला आ रहा है। उस संघर्ष में हमने कुछ टिनेन्सी एक्ट के मारफत किसी प्रकार के राइट दिये हैं, जिनको राइट सबलेट करने के हैं उनको राइट्स दिये हैं कि ज़मीन पर काश्त करते रहें हैं। जो ज़मीन पर काश्त करते हैं और काश्त कर रहे हैं उनको टिनेन्सी एक्ट में सबलेटिंग के अधिकार दिये हैं। सबलेटिंग के बाद में इजेक्ट करने का अधिकार दिया है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि इजेक्ट करने की एक अलग से व्यवस्था है। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि वही व्यक्ति जो सबलैट किये हुए हैं या कोई भी व्यक्ति जो ज़मीन पर काश्त नहीं करता है वह एन्ट्री के क्वेश्चन को लेकर चैलेंज कर सकता है। वह भी चैलेंज आज नहीं। सरकार यह कहती है कि ५६ से ५६ तक सरकार के सामने ऐसे मामले पेश हुए जिनका सरकार फैसला करना चाहती है तो कुछ समझ में आ सकता है कि सरकार उनको दुरुस्त करना चाहती है। सरकार के सामने उनके केसेज़ है जिसके कारण सरकार के सामने डिफिकल्टी पैदा हुई है। आज एक प्रश्न आ गया है कि कोई एक केस रीओपन किया जा सकता है चाहे वह ५ बीघे का हो, चाहे १० बीघे का हो, चाहे ५० बीघे का हो। अलॉटमेंट के क्वेश्चन को लेकर कोई दरख्वास्त दे सकता है कि यह जो एन्ट्री हुई हैं, यह एन्ट्री गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि काश्तकारी कानूनों में सरकार ऐसा कई बार कहती हैं, कि सरकार कई बार इस प्रकार के उपदेश भी देती है, काश्तकार सभाओं में भाषण करती है, कि कृषकों के दिमाग के अन्दर इस बात की सिक्योरिटी पैदा की जाय कि जिस ज़मीन को वह जोतता है उसको कोई छीनने वाला नहीं हैं। सिक्योरिटी ऑफ टिनेन्ट एग्रीकलचरल लेजिस्लेशन्स का एक क्रीड है। उस सारी बात को ध्यान में न रखकर सरकार जो पीसमील में लेजिस्लेशन ला रही है और लाकर कृषकों के दिमाग में एक एटमोस्फियर ऑफ अनसरटेन्टी पैदा करना चाहती है। सरकार एक कायदा लाकर किसी एन्ट्री के गलत होने या न होने के प्रश्न को चैलेन्ज करना चाहती है और वह चैलेन्ज कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सन् ५६ तक खुदकाश्त नहीं थी। उसके बाद में खुदकाश्त मिली तो ५६ तक ही नहीं बल्कि सन् ६१ तक इन दो वर्षों के बाद भी कोई व्यक्ति चाहे तो चैलेन्ज कर सकता है। उसका मतलब यही हुआ कि आज से कोई व्यक्ति जब उसको यह इजाज़त मिलती है कि ६१ तक चैलेन्ज कर सकता है तो वह किसी तरह से किसी प्रकार का एटमोस्फियर बनाकर किसी तरह से जमीन में घुसकर बैठना चाहे सबलेटिंग के जरिये जमीन में घुसकर बैठे इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है सन् ६१ में जाकर कह दे कि सन् ५६ में जो एन्ट्री हुई थी वह एन्ट्री गलत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एन्ट्री के प्रश्न को लेकर इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की अनसरटेन्टी पैदा करेंगे। आज चाहे माननीय मंत्रीजी यह कहें कि केवल खुदकाश्त होल्डर्स में ही इस प्रकार की अनसरटेन्टी रहेगी। मैं आपको बताऊं कि खुदकाश्त होल्डर्स चाहे कम हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत है। आज खुदकाश्त होल्डर्स जागीरदार के रूप में नहीं हैं कृषक के रूप में हैं। कृषकों का कौन सा भाग है, यह अलग बात है, लेकिन उस भाग में यदि यह अनसरटेन्टी रहती है कि किसी भी समय सबटिनेन्ट या किसी व्यक्ति से उसको संघर्ष करना पड़ सकता है, तो निश्चित रूप से उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। आज जिस तरह की अनसरटेन्टी यहां हो रही है, मैं अभी अभी गंगानगर गया था और गंगानगर इलाके में विशेष तौर से रायसिंह नगर तहसील के अन्दर कई काश्तकारों को टेम्प्रेरी अलॉटमेंट हुए हैं और टेम्प्रेरी अलॉटमेंट के अन्दर ५ वर्ष से ज्यादा के काश्तकार हैं और किसी तरह से उनको परमानेन्ट राइट्स नहीं दिये हैं, उनकी जमीन दूसरे लोगों को अलॉट कर रहे हैं। उनके अलॉटमेंट के बाद उनको राइट्स कन्फर कर रहे हैं। उनके मुकाबले में टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स के मुकाबले में दूसरे लोगों को अधिकार मिल जाय इसकी कोई बात नहीं। दूसरे लोग तैयारी कर लें और कब्जा कर लें इसकी कोई बात नहीं है लेकिन उन बेचारों को परमानेन्ट राइट्स नहीं मिलते हैं तो उनके दिमाग में यह है कि वे टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स हैं हमेशा के लिए इस प्रकार के फेक्टर्स बन रहे हैं। उसका असर प्रोडक्शन पर हो रहा है। लेकिन, खैर, सरकार के बी. डी. ओ. ले जाकर, टेम्प्रेरी राइट्स हैं चाहे १० वर्ष से काश्त करते हों, इसकी रसीदें उनके पास में हैं गिश्त गिरदावरी की, उनको मजबूरन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मजबूर किया है। कई बेचारे काश्तकार तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयरहोल्डर बनने से महरूम रह गये।....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): But how is it relevant to this Clause. I don't know ? They are neither Jagirdars, nor the Khudkasht is involved in it. I don't know why this is being repeated here.

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूँ ...

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा, कि रेलेवेन्सी को ऑब्जर्व किया जाय। जो क्लॉज़ है उसके ऊपर बोला जाय। एक क्लॉज़ जमीन की है और दुनियां भर के मामलों पर बहस कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी, वन मंत्री जी से बातों में मशगूल थे इसलिए इस मामले में जो कुछ मैंने बात कही वह उन्होंने सुनी नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने एक एक शब्द सुना है। आप नहीं कह सकते हैं कि मशगूल था बातों में।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस में कहने को कह सकते हैं कि एक एक शब्द सुना है लेकिन हाउस में सबने देखा है कि आप बातचीत कर रहे थे और बातों में मशगूल थे इसलिए सुना कुछ नहीं। लेकिन, खैर, आपने कह दिया इसलिए इत्मिनान है कि आपने सुना होगा।

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

मैं उनको कह रहा था वह इसलिए कह रहा था कि आज इस प्रकार का काश्तकारों के दिमाग में अनसरटेन्टी का भाव पैदा होता है, वह इनसिक्योरिटी का भाव किस तरह से नुकसानदायक होता है उसको बताने के लिए रायसिंहनगर में, टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स थे उनके दिमाग की हालत प्रस्तुत की है। मैं समझता हूँ कि वह प्रमाण इस बात का है कि काश्तकारों के दिमाग में अनसरटेन्टी होने से काश्तकारों की किस प्रकार की हालत बनती है, उस बात को लेकर, मैं समझता हूं, कि राजस्व मंत्रीजी उसको स्वीकार करेंगे। उस प्रकार के उदाहरण देना इस प्रसंग के अन्दर काफी रेलेवेन्ट था। और अब प्रश्न यह पैदा होता है और माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे, और मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, उनका कहना बहुत वाजिब भी होगा कि आज रेवेन्यू एक्ट में, टिनेन्सी एक्ट में जागीर या रिजम्पशन एक्ट में जब कभी भी कोई संशोधन आते हैं तो उन संशोधनों का असर सारे राजस्थान पर होगा या नहीं, लेकिन कुछ केसेज जो हमारी सरकार के सामने आते हैं उन केसेज में सरकार के हाथ बन्धे हुए हैं। उन केसेज़ के अन्दर सरकार कुछ कर नहीं सकती है, इसलिए उनको संशोधन लाना पड़ा। इस संशोधन का सार केवल यह है कि जिन लोगों के पास ज़मीन बहुत ज्यादा है और ज़मीन बहुत ज्यादा होने के कारण से भी वह ज़मीन ली जा नहीं सकती। भले ही एन्ट्री फ्रिबूलस हुई है, लेकिन एन्ट्रीज़ गलत होने के बावजूद भी उनका अधिकार जायज है, उनको अधिकार से वंचित करने के लिए संशोधन किया जाय तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं होगी और मैं सरकार का समर्थन करूंगा। मेरे समर्थन का आधार यह है कि जागीरदारों ने गलत एन्ट्रीज़ करवा कर ज़मीन पर अधिक सेफ गार्ड कर रखा है। अब प्रोटेक्शन चाहते हैं कि बीड़ और जोड़ का उपयोग कैसे भी हो सकता है, किसी भी खुद काश्त होल्डर के लिए हो सकता है। इस सारे लिटीगेशन को बन्द करने के लिए तथा काश्तकारों के दिमाग में जो अनसर्टेन्टी का एटमोसफियर बना रहेगा, इसके लिए यह क्लॉज़ लाये। इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, वह इस ज्यादा जमीन को नहीं रख सकेगा। उससे नीचे की जो जमीन है, और जिस पर दो तीन साल से कब्जा है, उस सूरत में जमीन की एन्ट्री को किसी प्रकार चैलेंज नहीं किया जा सकता है, यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन जो सीलिंग से ऊपर ज़मीन है और उस ज़मीन में काश्त नहीं हुई है, उसके बारे में सरकार अपनी नीति निर्धारित करे, यह बात समझ में आ सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन भूमि के बारे में, एट्रीज़ के बारे में एक डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर किसी कमजोरी का फायदा उठा कर कोई व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, वह एट्रीज़ को चैलेंज करके, मुकद्मेबाजी में फंसा कर यह स्थिति उत्पन्न करेगा कि वह मजबूर होकर ज़मीन को छोड़ दे। इस बिल में जो धारा पेश की है, उसमें यह चीज़ कहीं नहीं दिखाई देती कि छोटे छोटे जागीरदार और जमींदार काश्तकार बन गये हैं, उनके केसेज़ री–ओपिन नहीं होंगे, उनको किसी प्रकार की गारन्टी दी हो। अब यह प्रश्न आता है कि जिस समय जागीर रिज़म्शन एक्ट पास हुआ, एक खुद काश्त इन्क्वायरी कमेटी बैठी, उसने जो खुद काश्त की परिभाषा दी, उसको देखें, अध्यक्ष महोदय, तो

(श्री भैरोंसिंह)

उसके बाद कोई सेशन राजस्थान विधान सभा का ऐसा नहीं होगा कि जिसमें खुद काश्त के पोइन्ट पर लैंड रेवेन्यू एक्ट में, टिनेन्सी एक्ट में और जागीर रिज़म्पशन एक्ट में हर प्रकार के छोटे छोटे डाउट्स को लेकर एक दो नजीर को सामने रख कर संशोधन रखने की व्यवस्था न की हो। उनमें बराबर संशोधन होते आये हैं। इस खुद काश्त के प्रश्न को लेकर जो पीसमील लेजिस्लेशन की कार्यवाही हुई है, उससे बहुत असंतोष है। सरकार को चाहिए कि ऐसी कार्यवाही करे कि उनके मस्तिष्क में पजेशन की सिक्योरिटी रह सके, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए खत्म कर दें। सरकार की इच्छा है कि लोगों के पास ज्यादा ज़मीन नहीं रहनी चाहिए, सीलिंग के कारण से लोगों की ज्यादा ज़मीन छिन जायगी। आज इस प्रश्न को लेकर उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब सीलिंग का प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को लाने की क्या आवश्यकता है? मैं कहता हूं कि सीलिंग का क्वेश्चन आता है तो भी इस पोइन्ट को लाने की आवश्यकता है। अगर इस धारा में संशोधन कर देते हैं तो जिस ज़मीन की एन्ट्री फ्रीबूलस हुई है, उनको कम्पेन्सेशन सीलिंग होने पर मिल सकता है या नहीं। इस प्रकार के केसेज़ बहुत कम है, जहां मिल सकेगा, और जिन पर डिस्प्यूट अराइज होगा लेकिन इस प्रकार के केसेज़ बहुत होंगे, जिनमें एन्ट्रीज़ के प्रश्न को लेकर झगड़े पैदा होंगे। सरकार की मन्शा यह है कि राजस्थान में खुद काश्त होल्डर्स और काश्तकार में संघर्ष नहीं हो रहा है, उसमें मिलने की भावना हो रही है। कई वर्ष तक झगड़ा चलता रहा और अब वह झगड़ा खत्म होकर सद्भावना का वातावरण पैदा हुआ है, उससे सरकार को खतरा पैदा होता है और सरकार चाहती है कि वह संघर्ष चलता रहे। यह दृष्टिकोण तो समझ में आ सकता है। दृष्टिकोण, जिससे आपस में लड़ने की मनोवृत्ति पैदा करना चाहते हैं, समझ में आ सकती है। अगर लड़ाने का प्रश्न नहीं है, दो वर्गों में संघर्ष कराने का भाव नहीं रखते हैं तो सरकार को कम से कम तीन चीजें निश्चित् रूप से करनी चाहिए, एक तो यह कि जिसका वर्षों से खुद काश्त जमीन पर कब्जा है, जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे वह भरण पोषण करता है, उसे एन्ट्री के प्रश्न को लेकर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर चैलेज नहीं किया जायगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जो कई वर्षों से काबिज है, वह उस जमीन का उपयोग कर सकेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि जो ज़मीन का वर्षों से अधिकारी था, उसे कानूनी दृष्टिकोण से अनभिज्ञ होने के कारण डिमार्केशन के सम्बन्ध में उसे कोई राहत नहीं मिली है, उसका कानूनी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार अहित नहीं किया जाय। अगर किया गया तो मैं कह सकता हूं कि राजपूत समाज में एक वर्ग इस तरह का है, जिसका डिमार्केशन कहीं नहीं हुआ है। जागीर रिज़म्पशन के समय खुद काश्त का रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, सैटिलमेंट चल रहा है लेकिन उस ज़मीन पर 'आदमी का कब्जा है। अब पुरानी एन्ट्रीज को लेकर वर्षों से उसके पजेशन को छीन कर उसे डिस्प्लेस करने की बात कर ली तो हर जगह डिस्प्यूट खड़े हो जायेंगे। जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके पक्ष में इसमें धारा रखें, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन कर दें, तो पहले यह देखें कि जिस ज़मीन को चैलेंज करने वाले हैं, उसमें

(श्री भैरोंसिंह)

खेती होती है या नहीं। अगर होती है तो कुछ समय निर्धारित कर दें कि इतने समय तक काश्त कर लें और जो इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उसको भोगे और जब तक एन्ट्रीज के ऊपर सरकार निर्णय नहीं ले।

अब दूसरा प्रश्न आता है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, With your permission, I wanted to clear that this amendment now restricts the scope of this section only to Jor and Bir and not to Khudkasht. If you would have read my amendment, you would have not said that. It relates only to Jor and Bir and to Khudkasht. आप ख्याल कर रहे हैं कि हर खुद काश्त की एन्ट्री पर झगड़े हो जायेंगे। आप मेहरबानी करके मेरे अमेंडमेंट को पढ़िये। जिसकी जिस्ट मैं ने शुरू में रख दी है। आप बहस फर्मा रहे हैं, उससे पहले उसको पढ़ लें, समझ लें. It is not within that scope.

श्री भैरोंसिंह : आप अमेंडमेंट को सक्यूलेट कर दें तो समय लिया जायगा। आपने कह दिया, उसे मैं रट लूं यह सम्भव नहीं है। अमेंडमेंट अभी तक सक्यूलेट नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे कॉपी दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉपी दी है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे कॉपी दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : वह आना चाहिए It is not intelligible.

रावराजा श्री सरदारसिंह : जोड़ और बीड़ काश्त हो रही है, जो जोड़ और बीड़ के नाम से हैं, उस पर भी यह लागू होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो पहले जोड़ और बीड़ थी, उसको खुद काश्त में दर्ज करा लिया है तो चैलेंज हो सकता है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : उस पर अगर काश्त कर रहे हैं तो उसको आप छीनेंगे ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगर काश्तकार खुद काश्त पर काश्त कर रहा है और जागीरदार नहीं कर रहा है तो उसके लिए चैलेंज हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जोड़ और बीड़ में जो जमीन थी, उसकी एन्ट्री हो गई और खुद काश्त हो गई। अब यह प्रश्न आता है कि जोड़ और बीड़ को री-ओपन करते हैं तो खुद काश्त को री-ओपन करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : खुद काश्त अलॉटेड है, उसको री-ओपन करने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह आता है कि कई जागीरदारों ने, जिनके पास जोड़ और बीड़ की जमीन थी, उसको खुद काश्त

(श्री भैरोंसिंह)

होल्डर ने जमीन सब-लेट की है और उसको काश्त करने के लिए दे दी। अब प्रश्न आता है कि जो जागीरदार को भूमि अलॉट हुई है, एन्ट्री में उसका नाम था वह फ्रिबूलस है या नहीं। अगर इन सब चीजों पर निर्णय करके किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि जो एन्ट्री थी वह गलत थी तो उसका असर उन लोगों पर होगा जिनको जागीरदार ने किसी न किसी समय पर जमीन लेट आउट कर दी थी। मैं चाहूंगा कि इसमें काफी कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। उस पर विचार करने के लिए, जो अमेंडमेंट पेश किया है, उसको सर्क्यूलेट किया जाय ताकि उसे अच्छी तरह स्टडी करके अपने विचार पुट अप कर सकें। ऐसी आप व्यवस्था देंगे तो अच्छा होगा। मैं भाषण समाप्त करने से पहले, माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि जिस तरह की अमेंडमेंट की भाषा है उसको केवल मात्र यहां रखने से उसके सेन्स को नहीं समझा जा सकता। उसे सर्क्यूलेट करने के बाद उस पर वाद विवाद पुनः चालू किया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बीड़ और जोड़ के नाम से जो ज़मीनें हैं वे इस वक्त काश्तकारों के खुद काश्त में हैं, वहां पर काश्तकारों ने कुंए खुदवा लिये हैं और काश्त करते हैं, इसके लिये बड़ा संघर्ष हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : बीड़ और जोड़ को खुद काश्त में ले गये है तो खुद काश्त की एन्ट्री खत्म हो गई, उन पर भी असर पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एन्ट्री ही नहीं हुई, काश्त करते थे एक्च्युअली...

श्री अध्यक्ष : काश्त करते थे वे री-ओपन नहीं होंगे।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अभी अभी जैसलमेर में सैटिलमेंट हुआ और खुद काश्त की ज़मीनों को बीड़ और जोड़ लिख दिया, किसी को पूछा तक नहीं।

श्री अध्यक्ष : बीड़ और जोड़ के साथ साथ कहा कि जहां चराई की जाती थी फसल काट लेने के बाद या फसल बोने से पहले।

श्री मदनसिंह : पर सबूत क्या होगा कि सैटिलमेंट गलत हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। यहां सदन में और बाहर आवाज उठाई गई थी कि हज़ारों बीघा ज़मीन जागीरदारों ने अपने नाम से खुद काश्त में दर्ज करा दी हैं जो उनकी नहीं थी। खुद काश्त की डेफिनेशन में लिखा है : Any land recorded as Khudkasht in Survey or Settlement records. तो इसमें पजेशन को कोई सवाल नहीं था, सैटिलमेंट हुआ था उस समय जागीरदार पॉवर में थे और रियासतों के सैटिलमेंट के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जो विभाग थे, वे जागीरदारों के प्रभाव से प्रभावित थे इस लिये उन लोगों ने अपनी खुद काश्त में उन ज़मीनों को दर्ज करा लिया। आज एक एक तहसील में हज़ारों बीघा ज़मीन ऐसी है कि जिस पर कभी काश्त नहीं हुई, जो किसी के पजेशन में नहीं थी उनको जागीरदारों ने अपनी खुद काश्त में दर्ज करा लिया। इसके लिये सदन में और दूसरी जगह भी आवाज उठाई गई और मन्त्री महोदय ने कई बार आश्वासन दिये और लैंड रेवेन्यू का अलग बिल पेश किया था, अब कन्सोलिडेटेड रूप में यह रखा है। यदि मन्त्री महोदय का संशोधन माना जाता है, इन्नोसेंटली माना जाता तो कोई हर्ज नहीं था पर धारा १८ में जो प्रोविजन हैं उनकी सारी स्प्रिट को मन्त्री महोदय के अमेंडमेंट से खत्म किया जा रहा है। ओरिजिनल बिल में था कि पजेशन के प्रश्न पर हर मामले को री-ओपन किया जा सकता है। किसी की ज़मीन में जहां पजेशन उनका था, खुद खेती करते आ रहे हैं, उनका तो प्रश्न ही पूरा नहीं होता, जो खेती करते हैं उनको बेदखल करने का प्रश्न नहीं पर लैंड रिफोर्म्स एन्ड जागीर एबोलिशन अमेंडमेंट बिल पास किया उसके माफिक जागीर कमिश्नर की बजाय लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर को अधिकार दे दिये हैं। पहले जागीर कमिश्नर को ही अधिकार था, लैंड रेकॉर्ड ऑफिसर को नहीं था, वह बिल कल पास कर दिया है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इतना क्यों कर रहे हैं सीलिंग ही लें आइये न!

श्री सोहनलाल भटनागर: सीलिंग में मुआवज़ा देना पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह मुआवज़ा दें न दें, रीज़नेबल दें न दें आपके हाथ में है।

श्री सोहनलाल भटनागर: तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो खुद काश्त है उसको वैसा ही रखा जाय पर मैं देखता हूं कि जहां इस तरह के केस हैं कि हज़ारों बीघा ज़मीन जो किसी के पजेशन में नहीं थी, उस ज़मीन को अपने नाम खुद काश्त में गलत एन्ट्री करवा ली, उन केसेज़ को री-ओपन करना चाहिये।

दूसरा संशोधन उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वैसे इससे इसकी सारी की सारी स्प्रिट मारी जाती है पर उन्होंने रखा है कि १६४६ के बाद के हैं उनको री-ओपन किया जाय, उनका संशोधन लिबरल था पर मन्त्री महोदय ने तो और भी ज्यादा लिबरल करने को कोशिश की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस धारा को ही विलोपित कर दिया जाय। लैंड रेकॉर्ड में बीड़ की एन्ट्री नहीं होती, जैसा सैटलमेंट में दर्ज है, रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज होता आया है तो इस सारे क्लॉज से कोई पर्पज सर्व नहीं होता और मैं आशा करूंगा कि मन्त्री महोदय इसको दुबारा सोचें। जो गलत एन्ट्रीज़ की गई हैं उन केसेज को री-ओपन किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): माननीय

(श्री भीमसेन)

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह एक फैक्ट है ....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : वास्तव में इनकी लड़ाई है या सोनारी लड़ाई है ?

(हंसी)

श्री भीमसेन : यह एक फैक्ट है कि जागीरदारों ने खुद काश्त के नाम से बहुत सी ऐसी जमीनें दर्ज कराई हैं जो न उनके पजेशन में थी और न उन जमीनों पर कभी काश्त की गई थी, इसके उदाहरण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे उधर के इलाके में पूंगल और सत्तासर के जागीरदार हैं उन्होंने अपनी खुदकाश्त के नाम से १० हजार बीघा जमीन दर्ज करा रखी है, वह जमीन न कभी उनके पजेशन में थी और न कभी उस जमीन पर काश्त की गई थी और खुदकाश्त के नाम से उस जमीन का मुआवजा लिया और फिर जब सीलिंग लागू होगा तो दुबारा खातेदारी के नाम से उस जमीन का मुआवजा लेंगे और इस तरह से जो जमीनें उनके कब्जे में नहीं रहीं उनका नाजायज फायदा उठायेंगे। सैटिलमेंट के समय जागीरों पर इनका अधिकार था इस लिये इन्होंने गलत एन्ट्री कराई। ये जमीनें इनके नाम खुदकाश्त दर्ज हो जाने के बाद कई वर्षों तक इन्होंने इस नीयत से छुपा रखा कि कहीं जनता इसके विरुद्ध आवाज न उठाये। पर अब सीलिंग का प्रश्न आ रहा है तो उन जमीनों को दूसरों को बेच रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह खुद काश्त की एन्ट्रीज बिल्कुल गलत हैं, इस गलती को दुरुस्त करने के लिये सेक्शन १८ रखा गया था कि इस बेजा हरकत को दुरुस्त किया जाय।

कई केसेज ऐसे हैं कि जहां गांव के गांव आबाद हैं और वे जमीनें जागीरदारों के खुदकाश्त में दर्ज हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ओरिजिनल क्लॉज़ है, उसे ज्यों का त्यों पारित किया जाय।

१० म० पू०

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो एमेन्डमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और साथ साथ माननीय मंत्री महोदय को उन दिनों कि याद दिलाता हूं जिस समय यह मामला पंडित पंत को सुपर्द किया गया था और प्रधान मंत्री व पंत से समझौता हुआ उसमें स्पष्ट रूप से यह रखा गया था कि जो बीड़ और जोड़ हैं वे जागीरदार के सैटिलमेंट में रहेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): कहां है आप बतावें।

श्री मदनसिंह : आप विराजिये मैं बतादूंगा। मैं निश्चित रूप से बता दूंगा। राजस्थान और सौराष्ट्र में भी यह तय हुआ था कि जितने जोड़ और बीड़ हैं वे जागीरदारों के खुद काश्त में होंगे। उनको लेकर जागीरदारों ने यह किया। जहां तक बड़े बड़े जागीरदारों का प्रश्न है जिनके पास दस दस हज़ार और बीस बीस हज़ार बीघा जमीन है और वे खुदकाश्त नहीं कर सकते, वे क्या उनकी सारी फेमिली मिल कर भी उतनी

(श्री मदनसिंह)

जमीन का खुद काश्त नहीं कर सकते। लेकिन बीड़ ऐसा शब्द है जिसमें छोटे जागीरदार और बड़े जागीरदार सभी आ जाते हैं। लोगों के पास बीड़ और जोड़ तीन तीन बीघा तक है और उनको भी आप समाप्त करना चाहते है। छोटे छोटे जागीरदारों के पास बीड़ और जोड़ आधा बीघा से लेकर पौन बीघा तक हैं। इस तरह से एक बीड़ और जोड़ के शब्द को लेकर बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं और जागीरदारों के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है। मैं यह कहूँगा कि एक एक रुपये की आय के भी जागीर हैं उनको लेकर सभी जागीरों का जिक्र किया जाता है। मैं यह कहूंगा कि सीकर, खेतड़ी या उनियारा आदि बड़ी बड़ी जागीरें हो सकती है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो या जिसके पास बीड़ और जोड़ की ५०० बीघा से ज्यादा जमीन हो उनके लिये आप स्पेसिफिक बात कह सकते हैं। या आपका, सीलिंग का जो भी आधार है, उसके आधार पर कहते तो उचित होता। मगर हर जागीरदार के नाम पर यह कहना कि जोड़ और बीड़ की जमीन है और उन्होंने सैटिलमेंट करा लिये हैं, यह उचित नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि मुश्किल से ५ या १० बड़े बड़े जागीरदार होंगे जिनके पास आवश्यकता से ज्यादा ज़मीन होगी। बाकी दूसरों के पास दो चार बीघा होगी। कई स्थानों पर जहां पर जागीरदारों ने सैटिलमेंट का विरोध किया जैसे शेखावाटी आदि की तरफ अधिकारी जा नहीं सकते थे वहां पर वे तीन मील की दूरी पर पड़े रहकर पुलिस के जरिये से सैटिलमेंट किया। इसलिये कब जोड़ लिखा गया और किसको पूछ कर लिखा गया, यह पता नहीं। हाल ही में जैसलमेर में आपने देखा होगा। वहां उन गांवों में आपका कोई आदमी नहीं पहुंचा और उस आदमी से नहीं मिला जिसकी जमीन थी। उसने अपनी मर्जी आई जिस प्रकार से लिख दिया। यह गलत लिखा गया। आज भी जैसलमेर में इसप्रकार से लिखा गया है। यह बीड़ का टाइम है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले होगा। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार बीड़ और जोड़ की समस्या को लेकर यह कानून बनाना उचित नहीं होगा।

माननीय राजस्व मन्त्री इस बात को भूल गये हैं कि इस हाउस में इस प्रकार का कानून बना हुआ है कि जिसने भी ज़मीन नाजायज़ तरीके से दबाली है उसको एक महीने या दो महीने की सज़ा का प्रावधान रखा हुआ है और इस प्रकार का कानून बना हुआ है। इसलिये आज इस कानून के बनाने की भी जरूरत नहीं रहती। इसके लिये स्पेशल कानून बना था कि किसी जागीदार ने यदि फ्रॉड से ज़मीन दबाली हो तो उसके लिये सज़ा का प्रावधान है। यह कानून सदन के बीच में बन चुका है तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार कानून यहां पर क्यों लाया जा रहा है और इस कानून की क्या आवश्यकता थी। फिर आपके यहां सीलिंग आ ही रहा है। उसके अनुसार बराबर टुकड़े होंगे एक आध महीने में यह भी आनेवाला है तो फिर ऐसा कानून नया बनाना क्यों जरूरी है ? इसके पीछे पोलिटिकल अर्थ है। आज आप जानते हैं कि काश्तकारों और जागीरदारों के बीच में काफी अंश में समझौता हो चुका है। इससे आपकी १९६२ में आनेवाली कुर्सियां हैं करीब करीब खिसक चुकी है। उनको किस तरह से सुरक्षित करें। पहले जाटों और राजपूतों का प्रश्न था और आज

(श्री मदनसिंह)

वही का वही संघर्ष आप खड़ा करना चाहते हैं, बीड़ और जोड़े के कानून को पास करके। आप यह चाहते हैं कि इसको कानूनी रूप दे कर संघर्ष पैदा करना। कोई व्यक्ति २० वर्षों से किसी ज़मीन को काश्त करता है और केवल किसी दूसरे पडोसी से पूछ कर उसको सैटिलमेंट में लिख लेते हैं। पड़ोसी गलत खबर देता है तो भी आप उसको लिख लेते हैं मगर उस व्यक्ति से नहीं पूछते जिसके कब्जे में ज़मीन है और जो उस पर वर्षों से काश्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि सैटिलमेंट वालों ने यदि दूसरी एन्ट्रीज़ भी ठीक की है तो बीड़ और जोड़ों की एन्ट्रीज़ भी सही दर्ज की है। अगर एक को चैलेंज किया जाता है तो दोनों को चैलेंज करना चाहिये और दूसरी अपने आप चैलेंजएबल होती है। अगर सैटिलमेंट वालों ने दूसरी एन्ट्रीज़ गलत दर्ज की है तो जोड़ और बीड़ को भी गलत एन्ट्र किया है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि अगर किसी जागीरदार ने फ्रॉड से ज़मीन ले ली है तो उसके लिये आपके यहां पर नियम मौजूद है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अपना कानून की तरफ से जवाब नहीं दें और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जवाब देंगे और वाकई में माननीय मन्त्री महोदय को जागीरदारों से हमदर्दी है और वे जागीरदारों को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि काश्त के धन्धे में जागीरदार लगे हों और ज़मीन का पूरा पूरा फायदा उठावें और जितनी ज़मीन पर उन्होंने रुपया खर्च किया है उसका पूरा पूरा फायदा उठावें तो आपको चाहिये कि उनके लिये प्रबन्ध करें और अगर ऐसी भावना नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि जिन विचारों को लेकर सरकार चल रही है कोऑपरेटिव बेसिस को लें तो कोई भी नागरिक काश्त करने के लिये तैयार नहीं होगा। वे लोग समझेंगे कि काश्त में सरकार भाकरा, चम्बल आदि की तरफ पक्के काश्तकार रखना नहीं चाहती और इधर सैटिलमेंट ने गलती से जो भी एन्ट्रीज़ कर दी है तो उसके अनुसार वे काश्तकार नहीं रहेंगे। इस तरह से जब तक किसी काश्तकार को यह मालूम नहीं होगा कि वह इस ज़मीन का काबिज़ है तभी वह उस पर ठीक तरह से काश्त कर सकेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसका राजनैतिक जवाब देंगे। अगर वे प्रजातन्त्र के ढंग से और आर्ग्यूमेंट के ढंग से कोई जवाब दें तो समझ में आ सकता है। जिन लोगों के पास १०,२० हज़ार बीघा बीड़ की ज़मीन है उनके लिये तो उचित हो सकता है लेकिन जिन लोगों के पास दो दो तीन तीन बीघा ज़मीन है उनके लिये क्या कार्यवाही हो सकती है। मैं समझता हूं कि अब आज कांग्रेस के पास इसके सिवाय और कोई चीज़ नहीं रही। यदि कोई अच्छी से अच्छी चीज़ रखी जाती है तो कहते हैं कि यह राजाओं के समय में रखे जाते थे और राजा लोग अन्याय करते थे। मैं समझता हूं कि यह सब फिजूल की बातें हैं यह कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो अपोज़िशन भी सहयोग देने के लिये तैयार है। मगर जैसा गृह मन्त्री महोदय ने फरमाया कि मैं तो मेरी मर्ज़ी आवेगी जैसा जवाब दूंगा। आप ऐसा कह सकते हैं और कर सकते हैं क्योंकि आपका राज्य है। मगर इसमें शोभा नहीं दिखाई देती है और लोग हसेंगे। अध्यक्ष

Page No.51

(श्री मदनसिंह)

महोदय, इसके लैन्ड रेवेन्यू के, प्रेक्टिकल ही कितने रूप बनते हैं। इसलिये इस पर दो दिन बहस के लिये रखते तो अच्छी तरह से इस पर बहस हो सकती थी कि काश्तकारों पर इस का क्या असर होगा। जिस समय जोश में आ कर अपने विचार व्यक्त करते हैं उस समय मेन्टली क्या हालत होती है। इसलिये इस पर ठीक तरह से तभी विचार हो सका है यदि इसके लिये दो दिन का समय रखा जाए। तेजी में भाषण होते हैं और उस समय यह रहता है कि हमारे आॅग्यूमेंट रहने चाहिये। उस समय सही बात मालूम नहीं होती। इससे एक बड़े तबके पर असर होने वाला है इसलिये इस पर एक दिन और रखा जावे तो उचित होगा। मैं समझता हूँ कि सरकार इसमें क्या करना चाहती है। सरकार बीड़ और जोड़ों की जो काश्त है उनको इस तरह से ले कर कोआॅपरेटिव बेसिस पर लेने की योजना है। हम सब समझते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सारा सदन और सदन के माननीय सदस्य इस पर गंभीरता से विचार करें कि जिन लोगों के वोट लेकर हम यहां पर आये हैं उनका क्या होगा जो लोग वर्षों से जिस ज़मीन पर काश्त करते हैं और जिनको आपने कह दिया है कि यह जमीन आपकी है उस पर इसका क्या असर होने वाला है। केवल हम उन लोगों को यह विश्वास दिला कर यहां आये हैं, वोट लेकर कि जितने काम हैं उसमें हम उनकी रक्षा करेंगे और उनके लिये सब कुछ कहेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सभी लोग विचार रखेंगे तो उचित होगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राजस्थान लैन्ड रिफाॅर्मस एमेंडमेंट बिल पेश हुआ है।

श्री मदर्नसिंह (दांता रामगढ़) : I congratulate you Mr. Raghuvir Singh ji Sahib.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Why do you envy him ?

श्री अनोपसिंह : और इसकी क्लाॅज़ १८ से हमें इस तरह के राइट्स होने की इच्छा हो गई है कि जो एन्ट्रीज खुद काश्त के नाम से इन्टर हो चुकी हैं उसको चैलेंज किया जा सके। आप इस तरह के एक्ट ला रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं और जिस पर कोई समय का बार नहीं। जिसके अन्दर यह समय रखा हो कि ५ वर्ष या पांच वर्ष के बाद भी अगर कोई किसी की शिकायत करे तो आप टंटा छेड़ सकते हैं और एन्ट्रीज को बदली जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस प्रकार के सैटिलमेंट का मकसद क्या है? सैटिलमेंट से यही मतलब है कि एक आदमी को यह विश्वास हो सके कि यह चीज मेरी है और यह मेरी नहीं है। यदि इसके लिये कोई समय निर्धारित हो तो वह सोच सकता है। जब समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं रहती तो वह यह समझता है कि यह जमीन कभी भी कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और वह जमीन उसके हाथ से जा सकती है। आज मेरे को समझ में नहीं आता कि खुदकाश्त के नाम से कोई चीज़ नहीं रहेगी कौनसा व्यक्ति या जागीरदार ऐसा है जो यह कह सके कि यह जमीन मेरी है। जब उसको खुद काश्त से लेना देना नहीं है फिर उसके पास क्या चीज़ रहती है। आप इस प्रकार के बराबर एमेन्डमेंट लाते हैं

Page No.52

(श्री अनोपसिंह)

और इस प्रकार की चीजें लाते हैं जिससे उनका विश्वास हटता जाता है । मैं समझता हूं कि न तो कोई खुद काश्त है न कोई जागीरदार है । सीलिंग आएगी सब के बराबर राइट्स हैं । किसी को ऐसा नहीं होगा कि किसी के स्पेशल राइट्स हो गये हों । यह मैं मानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है कहने के लिये यह हो सकता है कि वह जोड़ और बीड़ पर रहेगा और सारी एन्ट्रीज को री-ओपिन नहीं करता है । मेरे समझ में नही आया कि ऐसा भी कोई जोड़ जिसकी एन्ट्री हो चुकी है और वह उस जोड़ पर काश्त भी करता है । मान-लीजिये कि १०० एकड़ की जमीन है और वहां २५, ३० बीघा खेती होती हो उस काश्त को न माना जाय और सारा का सारा पूरा टोटल एरिया है, जोड़ है, उसको मान कर क्योंकि तुम्हारे जोड़ नाम से जमीन की एन्ट्री हुई है इसलिए नहीं रख सकते, उसमें वह २५, ३० बीघा की काश्त करता है तो उसको कैसे चैलेन्ज किया जा सकता है, चाहे एक साल से काश्त करता आ रहा हो या दस साल से । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जोड़ है, बड़ी जमीन है, अगर वहां काश्त करता है तो उसके राइट्स तो पैदा हो जाते हैं । उसने मेहनत मजदूर लगा कर जो कुछ किया है उसको चेलेन्ज नहीं किया जाना चाहिये । पूरी जमीन जोड़ के नाम से एन्टर हो गई हो, इस तरह की गलती हो गई है, किसी ने जोड़ के नाम से एन्टर कर लिया, उसमें काश्तकार काश्त करता है तो उसको चेलेन्ज नहीं किया जाना चाहिये । जैसा कि पूर्व वक्ता ने अभी सदन में पेश किया कि ऐसी ऐसी एन्ट्रीज़ हैं जहां सीलिंग से एरिया कम पड़ता है वहां पर चाहे जोड़ के नाम से या बीड़ के नाम से किसी नाम से एन्टरी हो गई है उसको चेलेन्ज नहीं किया जाना चाहिये । मैं भी अर्ज करूंगा कि वह चेलेन्ज नहीं होना चाहिये, सीलिंग के आधार से यदि ऊपर निकलती हो तो हो सकता है । जोड़ वगैरह हैं और सीलिंग से कम हैं तो वहां चेलेन्ज नहीं होना चाहिये ।

यह संशोधन ऐसा है कि इसके ऊपर भी राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेन्डमेन्ट बिल को देखें तो पता चलता है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाता और वहां जाकर इस पर पूर्ण रूपेण विचार होता कि इसके क्या इम्प्ली-केशन्स हो सकते हैं तो उचित होता । यहां इसको फोर्सडली आज पास कराना चाहते हैं यदि लेजिस्लेशन का कोई तरीका नहीं है । रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय को जल्दी सी रहती है कि जल्दी जल्दी पास हो जाय और वे पीस मील में लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं । लेकिन इसका असर पड़ेगा । "Instead of any Bir or Jor" उसके बजाय यह होना चाहिये "That jor which is in the possession of a particular cultivator for the khudkasht or his own actual cultivation over there..." उसको टच नहीं किया जाना चाहिये । इस तरह का संशोधन रखा जाकर फिर से इसको सदन में प्रस्तुत किया जाय ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने, और उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट्स रखे हैं मैं उनका विरोध करता हूं । अध्यक्ष महोदय, यह बात आज हमारे सामने कोई नई नहीं आई है कि जागीरदारों ने नाजायज़ तरीकों से और मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजस्थान के जागीर-

Page No.53

(श्री गिरधारीलाल)

दारों की, सदन से राजस्थान गवर्नमेंट की कमज़ोरी रही है उसका नाजायज़ फायदा उठाने की जो प्रवृत्ति रही है और सदा से ही, जिस वक्त जागीरदारी समाप्त हो रही थी, उस वक्त भी समय के अनुकूल ये लोग नहीं चल रहे थे और सरकार की कमजोरी से हर तरह से 'आन्दोलन करके, सदन में किसी प्रकार टेम्पो बना कर वह कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट बिल है, इसमें कोई लम्बी बात नहीं थी। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसको प्रवर समिति में सौंप दिया जाय। मैं तो कहता हूं कि यह तो बिल्कुल सीधी बात है। जिन जागीरदारों ने गलत एन्ट्रीज़ करा ली वह ठीक नहीं कहा जा सकता है। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी उसको ठीक नहीं कहेंगे।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): वह तो कानून बन चुका है।

श्री गिरधारीलाल: तो मैं कह रहा था कि गैर कानूनी तरीके से जिन्होंने ज़मीन दर्ज कराई है उनसे ज़मीन वापिस ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीलिंग आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले जैसलमेर गया था जिसका एक दफा मैंने सदन में भी ज़िक्र किया था। जैसलमेर एरिया ऐसा है कि वहां पहले पैमाइश नहीं हुई थी। जब हुई तो जागीरदारों, राजा महाराजा ने सारी की सारी ज़मीन, जिसको किसान सैकड़ों वर्षों से, पीढ़ियों से काश्त करते थे, उन्होंने दर्ज करा ली थी। जागीरदार वर्ग प्रभावशाली रहा है। गांवों में समूह है। वे सरकारी कर्मचारियों से नाजायज़ फायदा उठा सकते हैं और उन्होंने नाजायज़ फायदा उठाया है। यदि इसकी सरकार जांच करे तो हजारों गलत एन्ट्रीज़ मिलेंगी। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि लिमिटेशन रख दीजिये। जैसे ५ बीघा से अधिक दर्ज कराई उसको रिजेक्ट कर दीजिये। चोरी, चोरी ही होती है, चाहे वह एक रुपये की चोरी हो चाहे हजार रुपये की। गलत तरीके से ज़मीन दर्ज कराई है।

श्री मदनसिंह: ज़मीन थी किसकी जो चोरी कर ली?

श्री गिरधारीलाल: आपकी नहीं थी।

श्री मदनसिंह: नाम बताइये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): प्रजा की थी। आप ही कहते थे।

श्री गिरधारीलाल: आपको पता चल जावेगा कि किसकी थी। यदि माननीय मंत्री महोदय ने और उनियारा से आये माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखे हैं उनको मान लिया जाय तो जो सीलिंग का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है। अगर सीलिंग लगाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करना चाहते हैं, अनाज का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं तो कुछ व्यक्तियों ने नाजायज़ तरीकों से ज़मीन दबा रखी है उसको वापिस लेना पड़ेगा। समय के अनुकूल नहीं था। लेकिन जागीरदारों से समझौता किया गया, उनका स्वार्थ था, लड़ाई झगड़ा पैदा किया इसलिए कि मुआवजा अधिक मिले। सीलिंग कर रहे हैं, सरकार ज़मीन कब्जे में लेगी इसलिए सरकार से अधिक से अधिक मुआवजा हासिल किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि गरीब काश्तकारों के हित में आप यह सोचें कि गलत फायदा उठाया है जागीरदारों ने तो उनसे जमीन वापिस ली जाय। जो गलत इन्दराजात जागीरदारों ने करा लिये हैं उनको वापिस लिया जाय। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो संशोधन रखा है उसका तो उल्टा

(श्री गिरधारीलाल)

असर होता है। इन शब्दों के साथ में हाउस से निवेदन करूंगा कि जब कि हमारी सरकार समाजवादी समाज की रचना का स्वप्न ले रही है वैसी हालत में इस प्रकार का जो संशोधन है वह उचित नहीं है। जागीरदार अपनी ज़मीन का इन्दराज़ात करवाकर ज्यादा से ज्यादा मुआवज़ा लेना चाहते हैं। इस प्रकार का टेम्पो बनाकर ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं····

श्री मदनसिंह : आपका मतलब है इसके अन्दर जागीरदार शब्द जोड़ दिये जांय। दूसरे काश्तकारों के भी तो जोड़ और बीड़ ले रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : इससे गरीब काश्तकार नहीं मरेगा।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दलील विरोध पक्ष की ओर से दी गई है कि जागीरदारों के कब्जे में जो जोड़ और बीड़ है उनको नहीं लेना चाहिये। उसका मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जागीरदार वर्ग है वह हमेशा से प्रभावशाली वर्ग रहा है वह अपने प्रभाव को काम में लेकर के इस तरह की मनोवृत्ति से काम लेना चाहते हैं। जितनी भी दलीलें दी गई और उनमें जो भी बताया गया कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन जिनके पास है वह भी ले लीजायगी लेकिन जिसके पास गैर कानूनी तरीके से ज़मीन रही हुई है, मान लीजिये किसी के पास कुछ नहीं है और वह चोरी करके लाता है तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी अवश्य होनी चाहिये। मैं आपको बताऊं जागीरदारों द्वारा जितनी भी गोचर की भूमि थी आज से नहीं बरसों से जो इस प्रकार की भूमि थी पीढ़ियों तक रही उस ज़मीनों पर भी जागीरदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया है····

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : सीकर में भी तो ज़मीन दबाई थी क्या उसके भी इन्दराजात है ?

श्री किशनसिंह : आप घबराते क्यों हैं। अध्यक्ष महोदय, जागीरदारों ने यहां तक कि जो श्मशान की भूमि थी उसको भी जागीरदारों ने अपने नाम इन्दराज़ करवा लिया। दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने भी। उनके यहां तक बड़ा तालाब है उस तालाब के पास की जमीन जिसकी कीमत ६० हजार रुपये लग सकती है उस सारी जमीन को अपने कब्जे में कर रखा है।

श्री मदनसिंह : एक दफा रिपीट कर दें मैंने सुना नहीं है।

श्री किशनसिंह : उस ज़मीन के लिये कहते हैं कि वह मेरी थी। आपने उसे ताकत से हासिल की है और अब भी उसको दबा रखी है उसके लिये बारबार कहा जाता है फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। १०० बीघे से ऊपर की ज़मीन को छूट देते हैं तो हजारों नाम ऐसे निकलेंगे जिन्होंने गोचर भूमि गायें चरने की जो भूमि है उनके कागज़ात अपने कब्जे में कर रखे हैं और उन कागजातों में ज़मीन का कब्जा उनका खुद का दिखाया जा रहा है। आप कहें तो वह भी बता दूं। इसलिये राजस्व मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। और जैसा क्लॉज़ है वैसा ही पास होना चाहिये।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, यह तो मानी हुई बात है कि जो जागीरदार वर्ग है वह जमीन के मामले में ज्यादा समझता है। उनका खानदानी पेशा

(श्री लच्छूराम)

यह रहा है और उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य भी किया है । अब तक जितने भी खुदकाश्त के इन्दाराजात हुये है वह बहुत गलत तरीके से किये गये हैं । यह बात सही है कि बहुत सी गोचर भूमि बड़े बड़े बीड़ जो हमेशा से सार्वजनिक काम में आते रहे हैं जहां गाय भैंसें चरा करती थीं उन भूमियों को खुदकाश्त में लिखा रखा है । इसमें जो संशोधन लाया गया है उसमें सरकार की यह मन्शा थी । इस प्रकार से नाजायज तरीके से जिन्होंने ज़मीन खुदकाश्त में दर्ज करा दी है उन से जमीन को छीना जाय । लेकिन मंत्री महोदय न मालूम जागीरदारों के साथ में कम्प्रोमाइज करके यह संशोधन लाये हैं या किस प्रकार लाये हैं यह हम नहीं कह सकते । लेकिन उनके संशोधन को देखते हुए यही प्रतीत होता हैं कि जोड़ और बीड़ के केस री ओपन हो सकते है यह जागीरदारों के साथ कम्प्रोमाइज करके ही संशोधन लाया गया है । मैं, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार के बीड़ और जोड़ों का शामिल कर दिया जाय तो इस क्लॉज़ की जो मंशा है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है । बीड़ और जोड़ के इन्दराजात कम हो ऐसी बात नहीं है । जिस ज़मीन पर जागीरदार काश्त नहीं करते गलत तरीके से खुदकाश्त में लिखाने के लिए सारी ज़मीन को ले ली गई है इस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूँ । इस संशोधन से बिल की मूल जो मंशा थी उसको ही बदल दिया गया मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री महोदय ने जागीरदारों के साथ मिल करके कम्प्रोमाइज़ करके यह अमेन्डमेंट मूव किया है ...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने भी कोई कम्प्रोमाइज़ किया है या नहीं ?

श्री लच्छूराम : एक तरफ तो आप समाजवादी समाज की व्यवस्था चाहते हैं दूसरी तरफ जो भूमि सुधार के क्रान्तिकारी कानून बन जाते हैं उनको भी अमेन्ड करने की कोशिश करते हैं । मैं यह नहीं समझता कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर खुदकास्त की ज़मीन अपने नाम पर करा ली है उसको इस संशोधन द्वारा दुबारा जांच करवा कर के रखने का तरीका आपने क्या सोच कर रखा है और वह भी केवल बीड़ और जोड़ तक ही सीमित किया गया यह क्यों ? ऐसी हालत में जो ओरीजनल क्लॉज़ है वैसा ही पास होना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ १८ रखा गया है राजस्व मन्त्री द्वारा रखा गया है और जो संशोधन उणियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उन दोनों का मैं विरोध करता हूं । पहला जो प्रोविजन है धारा १४० में : All entries made in the record of rights shall be presumed to be true until the contrary is proved." लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धार १४० के अन्तर्गत । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा एक ऐसा समय था जिस समय रियासतें स्वतन्त्र हुई थी उनके बाद जो राजकर्मचारी थे, पटवारी से लेकर उच्च श्रेणी के कर्मचारी वर्ग था उनके द्वारा जो सैटिलमेन्ट हुआ उसमें इन्दराजात करा दिये । उनके करने के बाद यह मालूम हुआ कि कई बीड़ और जोड़ खास तौर से

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं पाली जिले के लिये अर्ज करूंगा, वहां पर बड़े बड़े बीड़ और जोड़ जो सार्वजनिक काम में आते थे वहां मवेशी चरते थे ऐसे बड़े बड़े बीड़ और जोड़ के अपने नाम करवा लिया। एक तरफ तो गोचर भूमि की कमी है हम चाहते हैं, कि हमारा पशुधन का विकास हो लेकिन दूसरी तरफ गोचर भूमि है उसको खुदकाश्त के नाम से दर्ज करवा दिया गया है। आज उस पार्टी के सदस्य जो हिन्दुस्तान की भूमि में गऊ के नाम पर आन्दोलन किया करते हैं उन्होंने बड़े बड़े बीड़ और जमीन को खुदकाश्त में दर्ज करा लिया है। जिस जमीन पर घास पैदा होती है उस जमीन पर जो एन्ट्रीज़ हो चुकी है उन एन्ट्रीज़ का संशोधन कराया जा रहा है। यह सवाल ऐसा है जिसमें प्रगतिशील विचारधाराओं के व्यक्तियों को मदद, व योगदान देना चाहिये था। लेकिन एक बात उन्होंने की है। हमारे राजस्व मन्त्री ने केवल उस चीज को कन्फाइन कर दिया जोड़ और बीड़ तक और संशोधन में यह रक्खा After the words 'relating to k udka ht' add t e following:—

"in respect of any beer or jor which was used by a jagirdar as a grass preserve and let out for grazing either after the grass was cut or removed or before, with or without grazing fee" तो सारा जो क्लॉज़ रक्खा गया था उसके संशोधन की मंशा यह थी कि जिन जागीरदार भाइयों ने अपनी जायज खुदकाश्त की जमीन के अलावा और दूसरी बड़ी लम्बी चौड़ी जमीन जो दबा ली है या एन्क्रोयर कर ली है और उसके लिये किसी तरह से पटवारी से मिल कर या सैटिलमेन्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर रिकॉर्ड में इन्दराज़ बदलवा लिये हैं और अपने पक्ष में करवा लिये हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं तो उस चीज़ की दुबारा जांच हो। हम चाहते हैं वे अपने अधिकारों की रक्षा करें। पर इसके साथ साथ अगर वे इनका दुरुपयोग करते हैं और ज्यादा जमीन ले ली है तो मालूम यह हुआ कि इस संशोधन का क्या मकसद है :

"where a dispute arises as to the correctness or otherwise of any entry in the record of rights relating to Kh dkasht..." अगर खुदकाश्त की करेक्टनेस को कोई चैलेन्ज करता है तो उसके बाबत में प्रूफ या सबूत देंगे और उस हालत में अमेन्डमेंट करने का मतलब यह है कि आपने जो अमेन्डमेंट रक्खा था राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत उसके अन्दर केवल आपने कन्फाइन कर लिया जोड़ और बीड़ के नाम पर। जो खुदकाश्त जमीन नहीं थी, जागीरदार केवल उस पर लटाई लेते थे, पर उन्होंने अपनी होशियारी से या किसी प्रकार से अपने नाम में लिखवा ली और आपने जब अमेन्डमेंट किया और इसके २४ घंटे बाद ही दूसरा अमेन्डमेंट पेश कर दिया जो वितरित भी नहीं किया गया, और जैसी इस पर लम्बी चौड़ी स्पीचें होती हैं और क्लॉज़ १८ पर होती हैं और लिखित में आता है कि जोड़ और बीड़ तक कन्फाइन करते हैं तो क्या किया जाता है। एक मकसद आपके जीवन में यह था कि जिन्होंने खुदकाश्त को अपनी जमीन के अलावा नाजायज तरीकों से दूसरी जमीन दबा ली है उसकी जांच की जावे और अगर पांच साल से पुरानी नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

पाई जावे तो कब्जा ले लिया जावे । बिल्कुल सीधा सादा अमेन्डमेंट था । और जरूरी भी था । और जब कि आपने देखा कि कानून बनाने के उपरान्त भी उन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया किसी तरह से पटवारी आदि से मिलकर, एस. ओ. से ए. आर. ओ. से मिलकर और उसमें जोड़ बीड़ का इन्दराज़ करा लिया तो इसके लिये अमेंडमेंट आ जाता है 'कन्फाइन्ड टू जोड़ एण्ड बीड़' तो समझ में नहीं आता कि उनका उद्देश्य क्या था । अगर किसी ने खुदकाश्त के नाम पर मुआवजा दिया तो सैंकड़ों बीघा जमीन अपने में मिलाली और वह रिकार्ड था "where a dispute arises as to the correctness or otherwise of any entry in the record of rights relating to khudkasht, the decision of such dispute shall be based on possession of the particular piece of land..." तो इसमें भी करेक्टनैस को चैलेन्ज करने का प्रूफ करने का मौका देना चाहिये था । पर आपने तो इसको कन्फाइन कर दिया जोड़ और बीड़ में । तो मेरी समझ में जो अमेन्डमेन्ट रक्खा है कि जोड़ और बीड़ पर तो इसका मतलब केवल यह है कि हम केवल गोचर भूमि के लिये छोड़ने की जो जमीन है उसी तक सीमित हैं । आप क्षमा करेंगे कि ऐसी अगर जोड़ बीड़ की जमीन है जिसमें उन्होंने ट्रैक्टरों से काश्त कर ली है तो उसके लिये क्या पता लगावेंगे आप । वे तो यही साबित करेंगे कि यहां बीड़ और जोड़ था ही नहीं, और हम तो सैटिलमेन्ट के वक्त भी काश्त करते थे ।

तो सवाल यह है कि दूसरी भी जमीन है जो आज उनकी खुदकाश्त की डेफीनेशन में आ चुकी है पर जो वास्तव में उनकी नहीं है उसको चैलेन्ज करके साबित किया जा सकता है, वह जमीन भी वापिस ली जानी चाहिये । तो अगर आप इन एन्ट्रीज को चैलेन्ज करना चाहते हैं तो आपका यह संशोधन अधूरा है ।

इस संशोधन से पता लगता है कि आप किसी तरह अपने एटीट्यूड को माइल्ड करना चाहते हैं । इसके लिये जो शासन पर बैठते हैं, उनको कलम में मजबूती रखनी पड़ती है । यह नहीं कि इधर उधर मिलकर चलना शुरू करें । जब इधर उधर मिलने की कोशिश करते हैं और जो भी समझौता परस्पर की बात के द्वारा कुछ ऐसा वैसा करना चाहते हैं, तब इसमें जो सिद्धान्त, आदर्श और उद्देश्य है उसकी हत्या होती है ।

सवाल यह था खुदकाश्त की जमीन दी गई जागीरदारों को । हमने उनको जीने के लिये उनके एग्ज़िस्टेन्स को बनाये रखने के के लिये जमीन दी । पर जिन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जमीन ज्यादा कब्जे में कर ली, और इस तरह से अपने जीवन को भी कलुषित किया और पटवारी के जीवन को भी कलुषित किया, सैटिलमेन्ट अधिकारियों का जीवन भी कलुषित किया तो आज पश्चाताप का समय आया है कि वे अपने जीते जी ही जो गलतियां की हैं उनका पश्चाताप कर लें । मैं प्रार्थना करूंगा कि पाली जिले में जहां छोटे बड़े गांवों में ६० प्रतिशत में जागीरें हैं काफी इस प्रकार की जमीनें अधिकार में ले ली हैं । उस हालत में उनकी जांच के लिये हम एन्क्वायरी के लिये संशोधन चाहते हैं । वह संशोधन रक्खा गया और इसके बाद ही २४ घंटों में दूसरा

(श्री मूलचन्द डागा)

संशोधन रक्खा जावे तो इससे आपका उद्देश्य जो लैंड रेवेन्यू में पहले संशोधन से था वह अधूरा रह जावेगा। तो इस दृष्टि से इसे डेफर किया जावे और कई दिन तक सोचा जावे, एक दो दिन के लिये डेफर कर दिया जावे। हम चाहते हैं कि इन सबकी जांच की जावे और न्यायालय में इसकी जांच हो। वे स्वयं भी नहीं चाहते कि किसी समझौते के आधार पर उनको जमीन मिले, या किसी काश्तकार की जमीन मार कर उनको मिले। जागीरदारों ने भी साबित किया है कि वे भी देश की प्रगति के साथ एडजस्ट होना चाहते हैं। अगर रिकॉर्ड की गलती साबित होती है तो वे भी उसको दुरुस्त करवाने को तैयार हैं। पर आपने उस संशोधन को कनफाइन किया है जोड़ और बीड़ तक। पर इसमें भी मुश्किल है कि कोई ट्रैक्टर से उसमें खेती कर दी हो तो साबित फिर वैसे ही करना होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जागीरदार तो अपनी एन्ट्रीज की जांच करा देंगे पर आप अपनी एन्ट्रीज भी करेक्ट करवाने को तैयार हैं भी ?

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल सही बात है। एक संशोधन हमारी तरफ से भी होना चाहिये मैं इस बात को मानता हूँ। अगर आपकी जमीन रह गई है तो वह आपको मिलनी चाहिये। हम भी चाहते हैं इस इस बात को। आपकी यह बात अच्छी लगी। हमारी गलतियों को भी सुधारा जावे। आखिर हम जिन्दगी में इसीलिये हैं कि ज्यों ज्यों प्रगति करते जावें अपनी भूलें सुधारते जावें।

श्री मदनसिंह : जो कांग्रेसी एम० एल० ए० जागीरदार हैं उनके पास ज्यादा जमीन है। वे भी तैयार हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तो खुला आक्षेप है। या तो वे बतावें किस एम० एल० ए० ने जमीन दबाई है नहीं तो फिर इस प्रकार से कहना उचित नहीं है।

श्री किशनसिंह बट्टड : आप बता दीजिये।

श्री मदनसिंह : आपकी तो बीसियों बता दूंगा मैं। चन्द्रा सीकर का जाट है।

श्री मूलचन्द डागा : यह झगड़ा करने का मौका दिया जा रहा है। जो पार्टी आपस में लड़ रही हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। तो इसमें था "(2) An application or proceeding under sub-section (1) for the correction of an entry relating to khudkasht made in the record of rights..." तो इसमें सारी की सारी इन्क्वायरी करने का अवसर आपने दिया है। तो मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन के बारे में एक बार और विचार करें और इसको यहां तक ही सीमित नहीं रहने दें अन्यथा इसका जो ऑब्जेक्ट है वह फ्रस्ट्रेट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धारा १८ पर बहस चल रही है मैं इस पर जो दो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं, उनका विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय यह जो संशोधन आया है

Page No.59

(डॉ० बहादुरसिंह)

कि खुदकाश्त की भूमि पर जो इस प्रकार के मामलात थे उन पर पुनर्विचार करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत तौर पर एन्ट्री करवाई है या इस प्रकार का कोई विवादग्रस्त मामला है उस पर विचार किस प्रकार से हो तो इन सब बातों में संशोधन करने के लिए उन व्यक्तियों से जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से उस भूमि पर कब्जा कर लिया है जो कि गोचर है या दूसरी प्रकार की भूमि है और उनको खुदकाश्त की भूमि इन्दराज करा ली है । सवाल यह है कि आज अपने गांवों के अन्दर एक समस्या जो सबसे ज्यादा विकट बन गई है वह है चराई की । मेरा इलाका शायद जागीरदारी का नहीं हो करके जमींदारी का है वहां भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जमींदार लोगों ने भूमि बेचना प्रारम्भ कर दिया है और भूमि बेचकर के इस बात की कोशिश करते हैं कि जो गोचर भूमि थी उसको किस तरह से खुदकाश्त या दूसरे काश्तकारों के लिए सेल कर दी है और फिर काश्तकार इस बात का प्रयत्न करता है कि वह उसकी खुदकाश्त की भूमि थी । बहुत से लोगों ने जब राजस्थान में भूमि सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और विधान सभा अग्रसर हुई भूमि सुधार कानूनों को बनाने के लिए तो जो लोग कानूनों से वाकिफ थे या जो आगे आने वाली प्रगति से भिज्ञ थे उन लोगों ने बड़े प्रयत्न से यह कोशिश की कि सारी भूमि को खुदकाश्त के नाम से इन्दराज करा ली और फिर सब-टिनेन्ट्स नियुक्त कर लिए और निश्चित रूप से जब सब-टिनेन्ट्स को टिनेन्सी राइट्स मिले तो वह खुदकाश्त में इन्दराज हो गई । अब सवाल यह आता है कि जो माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है वह बहुत ही सीमित संशोधन है । अगर किसी व्यक्ति ने खुदकाश्त की ज़मीन उसके पास है और वह वास्तव में खुदकाश्त की भूमि थी और कोई व्यक्ति उसको चेलेन्ज करता है तो उसमें एतराज की क्या बात है । हां, यह हो सकता है कि बीड़ थी या जोड़ थी और उसमें कुआ बनवाया और अब खुदकाश्त है उसमें यह समस्या अलग है । इस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन यह नहीं है कि आप उसको चेलेन्ज नहीं कर सकते । अगर वह वास्तव में खुदकाश्त की भूमि है तो वह तो रहेगी उसमें दो राय नहीं हो सकती और जो भी निर्णय होगा वह होगा । लेकिन अगर वह चराई की भूमि है और उस व्यक्ति ने गलत इन्दराज कराके उससे जो फायदा उठाया है वह गलत चीज़ है । क्योंकि आगे जो कानून बनने जा रहा थे, उससे बचने के लिए यह व्यवस्था की तो मैं समझता हूं कि जो लाभ कानून से मिलना चाहिए काश्तकार को और दूसरे ग्रामीणों को वह उससे वंचित रह गए । इस संशोधन से मैं समझता हूं कि जो कानून विधान सभा ने बनाया था इस संशोधन के अनुसार पूरा लाभ ले सकेंगे इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें और जो लाभ आप देना चाहते हैं वह बहुत सीमित लाभ होगा । उन ग्रामवासियों को जिनको कि हम भूमि सुधार कानूनों से देना चाहते थे इसलिए जो दो संशोधन प्रस्ताव हैं उनका विरोध करता हुआ मूल क्लॉज़ का समर्थन करता हूं और इस आशा से समर्थन करता हूं कि जो काश्तकार हैं उनको इससे पूरा पूरा लाभ होगा ।

श्री अध्यक्ष : रावत श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में अगर देखा जाये तो यह बिना काम की एक दलील खड़ी हो रही है। जागीरदार जिनका कि आज से आठ दस वर्ष पहले ही अस्तित्व खत्म हो गया था उनको बिना काम इस फ्रेज़ोलोजी में खींचा जाता है। यह भी मैं ठीक नहीं समझता और इसी बात को लेकर जागीरदार भी इस प्रश्न को उठायें तो इसकी विशेष आवश्यकता भी नहीं है।। जैसे जागीरदारी शब्द को खास तौर पर रखा गया और इस पर दलील की गई और फ्रोज़ोलोजी में इसको इन्सर्ट किया गया और खास कर के इसी वजह से यह प्रश्न आता है। अगर देखा जाये तो यही प्रश्न सीलिंग के बाद आता तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं था। सीलिंग के बाद जमीन का एरिया निर्धारित कर दिया जायेगा तो फिर इस सवाल के उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं था। सवाल यों है और यह परिस्थिति इस प्रकार है कि अभी ही नहीं हेंड ओवर और टेकओवर के बीस वर्ष पहले जितने भी जागीरदार थे उन सब की जागीर के लिए जो प्रजा और राजाओं दोनों की व्यवस्था के लिए हजारों की तादाद में घोड़े दौड़ा करते थे और उन घोड़ों के लिए बीड़ की आवश्यकता होती थी। बीड़ शब्द उस समय निर्धारित हो गया था। आज के बीस पच्चीस वर्ष पहले जिस समय डेमोक्रेसी का स्वप्न भी नहीं था उस समय घोड़ों की आवश्यकता नहीं समझी जा करके रुपये बंध गये और बीड़ खत्म हो गई। उन बीड़ों की जमीन जागीरदारों के अपने ही कामों में नहीं आई बल्कि दूसरे भी जो गरीब काश्तकार या जैसे पाई कहलाते हैं उन लोगों में बांट दी। एक जोड़ या जोड़ के साथ बोड़ के शब्द से ही इतना डरा क्यों जाता है और इसके लिए इतना क्यों विचार किया जाता है। वह भी एक ज़मीन का हिस्सा है और जमीन के मामले में इस प्रकार के नाम हैं वह अक्सर आ जाया करते हैं। तो जिस समय यह गोचर भूमि नहीं रहेगी और सीलिंग के बाद जब जमीन का निर्धारण हो जायेगा तो यह सवाल आप ही आप खत्म हो जायगा। तो इसका प्रश्न ही नहीं आयेगा। इसके लिए अगर यह प्रसंग आयेगा और बीड़ों की जमीन हजारों बीघा की तादाद में पहले खालसाई गांव थे वहां भी जोड़ थे और ज्यादातर जोड़ वह कहलाते थे जैसे मन्दिरों के वास्ते हजारों बीघा भूमि ले ली जाती थी। जैसे कि बीकानेर के देशनोक में माता जी का मन्दिर है और वह हजार बीघा में है उन जमीनों को भी जोड़ शब्द से ओरण शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो उनके ऊपर शब्द के हिसाब से ही प्रश्न को ले लिया जाना अनुचित होगा। इसके लिए जागीरदारों का तो प्रश्न ही नहीं रहा हैं। जागीरदारों के एवज़ में जैसे पहले जागीरदार थे वह सब काश्तकारों की केटेगरी में आ रहे हैं। तो उनके लिए जाट और दूसरे खेतीहर खेती करते हैं उन सब की जमीनों में भी बाज़वक्त जोड़ और बीड़ का प्रश्न आता है तो इसके लिए एक अंधाधुंध तौर पर इन शब्दों के वास्ते ऐसा प्रावधान किया गया तो यह एक तरह से ऐसा उथलपुथल मचा देगा राजस्थान में शांत वातावरण में राजपूत और काश्तकार दोनों के कंधे से कंधा मिला कर के खेती के काम में इस समय लगे हुए हैं वह बड़ी मुश्किल से जो शांति उपलब्ध हुई है अशांति का प्रश्न उपस्थित हो

(श्री अध्यक्ष)

जायेगा। आज के कई वर्षों पहले यह सवाल आया था कि जो जागीरदार और काश्तकार के बीच में भेद हैं वह सारे अब डेमोक्रेसी के समय में और जो वक्त के तकाजे के साथ में शांत हो चुका है इसको बिना काम खदेड़ना भी ठीक नहीं है।

जैसे कि मंत्री महोदय ने यह प्रश्न उठाया था तो उसके वास्ते जहां तक मेरा अन्दाज़ है, हो सकता हैं कि मिसअन्डरस्टुड हो गये हों। उनके भावों का जो विगुम्फन है उसका हम लोगों ने ठीक अन्दाज नहीं किया हो और इससे जैसे पहले के जागीरदार और जो दूसरे माननीय सदस्य हैं वह बिना काम इस चीज़ के वास्ते वातावरण को बड़ा विक्षुब्ध करके आगे बढ़ाना है। सवाल आता है एक सरल सा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए शब्द 'बीड़' और 'जोड़' रेज भी हो जायं तो भी इसके अन्दर कोई बात नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि 'बीड़' शब्द जागीरदारों के लिए कभी न कभी आ गया और 'जोड़' शब्द खालसा के गांवों में खेती करने वालों के वास्ते ही आता है। शब्दाडम्बर की सबब से इस तरह का क्वेश्चन, यह प्रश्न उठाते हैं उसकी इसमें न तो आवश्यकता है और न उनकी जरूरत होनी चाहिए।

श्री रघुवीरसिंह जावली (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो प्रोविज़न सैक्शन १५ का संशोधन पेश किया गया था उसके मुकाबले में जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने पेश किया है वह किसी हद तक रीज़नेबल है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि दो तरह के ऐसे 'बीड़' और 'जोड़' हैं उनमें से एक ऐसे बीड़ और जोड़ हैं जिनको कहा जाता है कि हजारों बीघा जमीन खुदकाश्त के नाम से अपने नाम पर एन्ट्री करवाली और वह उनके नीचे दबी हुई है और यह रीज़नेबल है। उसके कारण से जो लोग उसमें चराई करते थे, मवेशी चराते थे उनको कठिनाई हो रही है। दूसरे कुछ ऐसे केसेज है जिनमें वहां पर जमीन थी नहीं जागीरदार के पास, और उन्होंने जो कुछ भी बीड़ और जोड़ खेती करने के लिए १०,२० बीघा तोड़ लिया और उसमें खेती करते हैं और वही उनका जरिया ए मास है। बहुत मुमकिन यह है कि शायद राजस्व मंत्रीजी के संशोधन से वे लोग झगड़े में न पड़ जायेंगे जिनके पास में जमीन बहुत थोड़ी है और सीलिंग लिमिट से बहुत कम हैं जमीन है, ऐसे लोगों की एन्ट्री रीओपन होगी तो अनिश्चत-काल तक उन्हें पता नहीं रहेगा कि यह हमारी जमीन है, वह रहेगी या न रहेगी। उनको कन्सीडर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस संशोधन के साथ प्रोविज़न और जोड़ दिया जाय।

"Provided that no such entry shall be liable to be called in question if the total area of khudkasht in the possession of the jagirdar does not exceed twice the minimum area prescribed for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 180 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955)."

मैं यह निवेदन करूंगा कि १८० सेक्शन के अन्दर जो प्रेस्काइब्ड किया हुआ है वह वही जमीन की मियाद है जो एक फैमिली होल्डिंग है, और फेमिली होल्डिंग से

(श्री रघुवीरसिंह जावली)

ट्वाइस का मतलब यह है कि जो सीलिंग लिमिट कर रहे है उसमें वह जमीन जो कि ट्वाइस है कम होगी । ऐसी स्थिति में यह तो मानना पड़ेगा कि जो कोई भी जागीरदार जोड़ या बीड़ की जमीन में से गुजारे लायक जमीन में काश्त कर रहा होगा उसकी एन्ट्री चेलेन्ज नहीं होनी चाहिए । वह एन्ट्री नहीं बदलनी चाहिए, और उसी को सेफगार्ड करने के लिए, उसी के बचाव के लिए मैं एक अपना संशोधन आपके सम्मुख पेश करता हूं । यह प्रोविज़ो अगर उसमें लगा दिया जाता है तो जो छोटे जागीरदार हैं जो छोटे खुदकाश्त होल्डर हैं जिनके पास में थोड़ी थोड़ी जमीन है उनके दिमाग में से यह अनिश्चितता हट जायगी । जिस जमीन पर वह खेती कर रहा है, उसमें गुजारा कर रहा है उन लोगों का इस झगड़े से उनका बचाव हो जायगा । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक प्रोविजो लगा दिया जाता है तो जो छोटे छोटे जागीरदार खुद-काश्त होल्डर्स हैं उनके दिमाग में से यह समस्या दूर हो जायगी । अब रहा बड़े बीड़ और जोड़ का सवाल तो वह तो सीलिंग आने से चला जायगा । वह आप इस कानून के मातहत लाना चाहते हैं तो ले लें फर्क इतना पड़ेगा कि पहले मुआवजा मिल जाता और अब मुआवज़ा नहीं मिलेगा अगर नहीं मिलता है तो न मिले । प्रश्न केवल यह है कि जो छोटे जागीरदार हैं, छोटे भूस्वामी जिन्होंने थोड़ी सी जनीन बीड़ और जोड़ में से काश्त के लिए रख ली है उन पर अपना ग्रेजिंग राइट्स मानकर छीन लें तो वे बेघरबार हो जायेंगे । इसलिए उनके बचाव की जरूरत है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह प्रोविज़ो एक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो उनकी समस्या हल हो जायेगी ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अमेंडमेंट के खंड पर उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं । जो बिल के अन्दर प्रस्तावित क्लॉज़ है उस क्लॉज़ को हम मान सकते हैं कि किसी सिद्धान्त के ऊपर है, मगर उस क्लॉज़ के अन्दर यह शब्द जोड़कर चलें कि वह क्लॉज़ केवल जोड़ और बीड़ पर लागू होगी तो इसका मतलब यह होगा कि हम जो है वे संशोधन किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि किसी कारण विशेष को लेकर करना चाहते हैं । अगर किसी काश्तकार को, गांव वालों को या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि खुदकाश्त की जो एन्ट्री हुई है अगर वह एन्ट्री नाजायज हुई है और उस एन्ट्री को दुरुस्त करवाने की जरूरत है तो चाहे वह बीड़ की ज़मीन हो या जोड़ की ज़मीन हो चाहे किसी किस्म की ज़मीन हो, अगर हक दिया जाय तो सब तरह की ज़मीन पर हक दिया जाय । हो सकता है कि दूसरी ज़मीन भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ में होगी केवल बीड़ या जोड़ ही डिस्प्यूटेड एरियाज़ में नहीं होगी, लेकिन सिद्धान्त की दृष्टि से हक अगर दिये जाते हैं तो सब तरह की खुदकाश्त की ज़मीन के बारे में दिये जाय चाहे बीड़ हो, चाहे जोड़ हो, डिस्प्यूटेड एरियाज़ होते हैं तो संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए । अगर हम आज इस तरह का संशोधन जैसा कि बिल के अन्दर प्रस्तावित है उसको न करके केवल बीड़ और जोड़ तक ही सीमित करते हैं तो उन काश्तकारों का जिनका सैटिलमेंट डिपार्टमेंट के

(श्री तेजाराम गहलोत)

अहलकारों की बदमाशी से समझें या दानिश्ता नियत समझें, किसी काश्तकार की ज़मीन खुदकाश्त में एन्टर कर ली गई है तो आज के टिनेन्सी एक्ट या लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है कि वह काश्तकार उसको दुरुस्त करा सके, क्योंकि मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में खुदकाश्त का प्रोविज़न है, अगर सैटिलमेंट के रेकॉर्ड के अन्दर कोई भी ज़मीन खुदकाश्त के अन्दर दर्ज कर ली गई है तो वह खुदकाश्त ही मान ली जायगी और हमारे अधिकारी एस. डी. ओ. या जो कोई भी अधिकारी हैं जिनको रेकॉर्ड ऑफ राइट में एन्ट्री दर्ज करने का अधिकार है वह उस प्रोविज़न से जाकर दुरुस्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन पास कर रहे हैं सैद्धान्तिक दृष्टि से उसको किसी चीज़ तक सीमित नहीं करते हुए जैसा है उसी हालत में रखा जाय। अगर संशोधन करना जरूरी है तो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि उनियारे से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है वह व राजस्व मंत्री जी ने बीड़ और जोड़ तक सीमित किया है उसको न करके जैसा यह संशोधन है वैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू एमेंडमेंट बिल को क्लॉज़ १८ के तहत जो १४० धारा में एड करने का प्रोविज़न रखा गया है, और जिसमें यह बताया गया है यदि खुदकाश्त की ज़मीन को एन्ट्री के विषय में कोई गलती रह गई हो तो उसको करेक्ट करने के लिए मौका दिया जाय। इस पर इस सदन में बहुत विचार विमर्श हो रहा है। और इस बात को चेलेंज किया जा रहा है कि एक बार गल्ती या किसी भी तरह से अच्छी नियत से या बुरी नियत से इन्द्राज़ हो गया है उसको वेलिड माना जाय।

११ म० पू०

अध्यक्ष महोदय, अगर गल्ती हो गई है और उस गलती के द्वारा राजस्थान को जनता के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उस गल्ती को दुरुस्त करने का सबको अधिकार है और राजस्थान सरकार को भी इस गल्ती को दुरुस्त करने के लिये पूरी तरह से तैयार रहना चाहिये। इस धारा में यह बतलाया गया है कि खुदकाश्त के बारे में अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको करेक्ट करने के लिये कार्यवाही की जाय। मन्त्री महोदय ने संशोधन रखा है कि यह गलती करेक्ट करने की कार्यवाही जोड़ और बीड़ तक ही सीमित रखी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि किस विशेष विचार से, सदन में जो वाद-विवाद होता है उससे प्रभावित हो कर वे यह संशोधन लाये हैं। यदि न्याय पूर्ण दृष्टि से विचार किया जाय तो इसकी मूल धारा को, जैसी है वैसी ही रखी जाय। किसी ने भली बुरी नीयत से अनलॉफुली पजेशन ले लिया है तो उसको करेक्ट करने का पूरा अधिकार होना चाहिये।

इसलिये उनियारा से आये हुए माननीय सदस्य ने और स्वयं मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखे हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): On a point of clarification, Sir,

माननीय सदस्य विरोध करते हैं पर जोड़

Page No.64

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

और बीड़ के नाम से हरिज़नों ने जो काश्त की है और जोड़ तथा बीड़ की ज़मीनों में हरिज़नो ने कुंए खुदवाये हैं, इससे तो हरिज़नों का बड़ा नुकसान होगा।

श्री रामचन्द्र : सबसे ज्यादा अहित तो हरिज़नों का ही होगा।

श्री अध्यक्ष : अब बहस काफी हो गई है इस क्लॉज़ पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : मै जवाब दे दूं ?

श्री अध्यक्ष : हां जवाब दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर, सदन में काफी सदस्यों ने बहस में भाग लिया है...

११.२ म० पू०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि खुदकाश्त एन्ट्रीज़ के बाबत बहुत से कॉन्सीक्वेन्सेज़ हो सकते हैं, अगर मौजूदा क्लॉज़ को बदस्तूर रखा जाय तो। इस पर माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये। जहां तक ज़ागीरदारों और खुदकाश्त का क्वेश्चन है, इसमें दो ढाई लाख ज़ागीरदार इन्वोल्व्ड हैं, उनके लिये यह कानून बना दें कि उनके खुदकाश्त के क्वेश्चन को फिर से खोल दिया जाय, रीओपन कर दिया जाय तो यह एक ऐसी प्रोब्लम होगी एक बहुत बड़ी मुकदमेबाजी शुरू हो जायगी, जिसको न सरकार पसन्द करेगी और न सदन ही चाहेगा कि इस प्रोब्लम को इस तरह खड़ा कर दिया जाय जाय। खुदकाश्त का प्रश्न है उसके लिये खुदकाश्त की परिभाषा रखी है कि सैटलमेंट के रेकर्ड में खुदकाश्त की एन्ट्री हो गई है उसको खुदकाश्त माना जाय। रेकर्ड ऑफ राइट्स में क्या एन्ट्री सैटिलमेंट में होती है उसके आधार पर हर काश्तकार को खातेदार को अधिकार है कि उस कानून के अन्दर जो निश्चित समय दिया हुआ है, उस समय के अन्दर वह अपने उज़रात पेश कर सकता है और फैसला करवा सकता है, सैटिलमेंट के अधिकारी से। यह सैटिलमेंट का कानून हर एक के लिये एप्लाई होता है, ज़ागीरदार पहले ज़ागीरदार थे, अब तो वे काश्तकार हैं, तो यह कानून सबके लिये लागू होता है। ज़ागीरदार ने अगर खुदकाश्त में किसी की ज़मीन की एन्ट्री करा ली तो इसके लिये स्पेशल लॉ की आवश्यकता नहीं जो ऑर्डिनरी लॉ है, कानून है उसके तहत उसको कार्यवाही करनी चाहिये। हर एक को इस कानून के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : कौन सा कानून है जिसके ज़रिये इस तरह की गलत एन्ट्री को चैलेंज़ को कर सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी बताता हूं। टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ १०५, १०६ देख लीजिये। मेरी ज़मीन है और ज़ागीरदार के नाम दर्ज हो गई है, तो जो खुदकाश्त होल्डर है, जिसके नाम दर्ज नहीं हुई है वह इसको चेलेंज़ कर सकता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सैटिलमेंट पीरियड में ही कर सकता है, बाद में नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बाद में करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भीमसेन : सदस्यों की राय है कि इस क्लॉज़ को है जैसा ही रखा जाय, इस लिये इसको रखा जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे भी राय मालूम है, मुझे कहने दीजिये। एक दूसरा प्रोविज़न है कि सैटिलमेंट के बाद भी कर सकता है...

श्री सभापति : There is some definite provision in the Land Revenue Act.

श्री भीमसेन : गांव वाले गोचर भूमि के नाम से इस्तेमाल करते हैं हाउस साइड से....

श्री दामोदरलाल व्यास : हाउस साइड से क्या सम्बन्ध है गोचर भूमि का? I have not been able to follow.

हर एन्ट्री को करेक्ट कराने के लिये अधिकार है। जो प्रोविज़न मामूली आदमी की एन्ट्री को करेक्ट कराने के लिये है वही ज़ागीरदार की एन्ट्री को करेक्ट कराने का प्रावधान है। जो जोड़-बीड़ थे, जो ज़मीन रिज़म्प्शन के बाद में सरकारी ज़मीन होनी चाहिये, सिवाय चक में होनी चाहिये थीं, उसको खुदकाश्त में दर्ज करा लिया तो इसको करेक्ट कराने के लिये कार्यवाही की जा सकती है। जिस वक्त एन्ट्री हुई उस समय वह ज़मीन काश्त में होनी चाहिये तभी खुदकाश्त में वह दर्ज हो सकती है...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : जब स्पेशल लॉ से मान लिया है कि एन्ट्री सैटिलमेंट के रेकॉर्ड में हो उसको करेक्ट माना जायगा, खुदकाश्त माना जायगा तो जनरल लॉ कहां लागू होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को अभी मालूम नहीं है, कल ही सदन में इस प्रकार का लॉ पास किया गया है कि स्पेशल लॉ में यदि मान भी लिया गया हो तो भी सैटिलमेंट अधिकारी को अधिकार होगा कि उसकी सुनवाई कर के फैसला करे। स्पेशल लॉ से ज़ागीरदारों को कोई अधिकार मिल गया हो ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ गये हैं। सैटिलमेंट ऑफिसर के पास इसका अधिकार रहेगा न कि ज़ागीर कमिश्नर के पास, वह बिल कल ही पास हुआ है।

श्री भीमसेन : सैटिलमेंट होने के बाद में यदि डिस्प्यूट हो तो क्या कर सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपना जवाब दे दूं .. Sir, it is not correct procedure that I should be submitted to cross-examination here.

श्री भीमसेन : हमारा अधिकार है कि हम क्लेरिफिकेशन के लिये जवाब मांगें।

श्री सभापति : Now it is time that the hon. Mintster should be allowed to reply to the debate, and this is the correct procedure.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will try to reply to all the points.

श्री सभापति : There should be no interruptions.

श्री दामोदरलाल व्यास ; एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे कि सैटिलमेंट होने के बाद डिस्प्यूट हो तो क्या कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिक्लेरेट्री सूट हर समय फाइल किया जा सकता है कोई बार नहीं है, काश्तकार जब भी चाहे कर सकता है।

यहां तो सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑर्डिनरी लॉ है लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि सैटिलमेंट की एन्ट्री को करेक्ट करने के लिये, चाहे काश्तकार हो चाहे ज़ागीरदार हो या खुद सरकार हो सबके लिये प्रोसीज़र है कि सैटिलमेंट ऑफिसर या असिस्टेन्ट सैटिलमेंट ऑफिसर के पास दरख्वास्त देकर करेक्ट करवा सकता है। ३७ दफा ज़ागीर रिज़म्पशन एक्ट की है कि रिज़म्पशन हो जाय और डिस्प्यूट हो, किसी और की खुदकाश्त की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है या काश्तकार की ज़मीन है उसके बारे में कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया हो तो ज़ागीर कमिश्नर सुनवाई कर सकता था, यह वैसे सैटिलमेंट अधिकारी का जुरिस्डिक्शन था पर उससे ले लिया था ज़ागीर कमिश्नर द्वारा सुनवाई करने का रखा था, उस एनोमोली को ठीक करने के लिये कल ही एक बिल पास कराया गया है कि ३७ में कुछ भी हो सैटलमेंट के रेकार्ड की एन्ट्री की सुनवाई सैटिलमेंट ऑफिसर या असिस्टेन्ट सैटिलमेंट ऑफिसर कर सकता है। स्पेशल लॉ का प्रोटेक्शन न किसी ज़ागीरदार को है और न खुदकाश्त होल्डर को है, जिस तरह ऑर्डिनरी काश्तकार के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उसी तरह ज़ागीरदारों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी तरह की गलत एन्ट्री हो गई हो तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी सुनवाई सैटिलमेंट ऑफिसर, या असिस्टेन्ट सैटिलमेंट ऑफिसर करेगा। मैं तो यहां पर इस बिल के ज़रिये से यह निवेदन कर रहा था कि जिस वजह से सभापति महोदय, इस बिल को लाया गया है, इसके लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के बहुत से केसेज़ हैं जहां ज़ागीरदारों के पास हज़ारों बीघा ज़मीन है जो पहले जोड़ और बीड़ की नहीं थी और जहां पर पहले गांव के मवेशी चरा करते थे और उस ज़मीन पर ज़ागीरदारों ने जोड़ और बीड़ बना कर खुद काश्त में दर्ज करा ली और उनके दर्ज करने से गांव के मवेशी और आस पास के गांव के मवेशियों को चरने के लिये स्थान नहीं मिला और वे मवेशी चरने से महरूम रह गए। इसलिये यह प्रोविज़न लाने की आवश्यकता महसूस हुई है। यदि इसके लिये सैटिलमेंट के अमीन ने गलती की है या किसी अधिकारी ने गलती की हो या जान बूझ कर गलती की है या अनजान में गलती हुई है, तो यह गलत एन्ट्री जो हुई है उसको ओपिन करने के लिये प्रोविज़न होना चाहिये ताकि कम से कम ज़ागीरदार लोग इसका नाज़ायज फायदा नहीं उठा सकें। जहां पर पहले गांव के मवेशी चरते थे, वे चरने से तो महरूम न रहें। इसलिये मैंने यह प्रोविज़न एमेन्डमेंट के रूप में पेश किया है। जब ऑर्डिनरी कोर्स में काश्तकार के सम्बन्ध में लॉ में प्रोविज़न है वैसे ही ज़ागीरदारों के लिये बना दिया है और सैटिलमेंट अधिकारियों को अधिकार है वे फैसला कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि फिर कैसे अन्याय होगा। यह ज़मीन तो सरकार के पास आनी चाहिये थी और जिसको हम भूमिहीन किसानों को वितरण करके उनकी समस्या का हल करते। मगर यह ज़मीन हमारे पास नहीं आई। मैं नहीं समझता कि इससे किसी के हकूकों पर क्या

Page No.67

(श्री दामोदरलाल व्यास)

असर पड़ता है। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है और जिस मंशा से पेश किया है वह केवल उन्हीं ज़मीनों के लिये है जो पहले अनऑक्युपाइड लैण्ड थी और जो पहले ग्रास रिजर्व थे जो कभी खुद काश्त के काम में ज़ागीरदार नहीं लेते थे। सैक्शन १८ में तो हर एन्ट्री को री-ओपिन किया जा सकता था। १० वर्ष बाद भी इसको री ओपिन किया जा सकता था। इसलिये मैं समझता हूं कि वह न तो ज़ागीरदारों के हितकर होगा और न किसी दूसरों के लिये। सरकार की यह मंशा है कि इसको फाइनेलिटी न देकर अनस्टेबल नहीं करना चाहिये। झगड़ा किसी के दर्ख्वास्त पर हो सकता है। अगर कोई अपने नाम पर जमीन दर्ज करा ले तो ऑरडीनरी लॉ में इसके लिये रेमिडी है। राजस्थान ज़ागीर रिजम्प्शन एक्ट में जो गलत फहमी थी उसको साफ कर दिया है। सेक्शन ३७ का प्रोविज़न एक्सक्लुज़िव नहीं रहा। सैटिलमेंट डिपार्टमेंट इस पर भी निर्णय लेगा और इसको भी डील करेगा।

अब यह भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से छोटे छोटे जागीरदार हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है उनको अगर जोड़ और बीड़ से बेदखल किया जावेगा जिन पर वे काश्त करते हैं तो उनके लिए बहुत हार्डशिप पैदा होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने जागीरदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की है उसमें बहुत सी सहूलियतें दी हैं ताकि जागीरदारों को किसी प्रकार की हार्डशिप न हो। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि अगर ऐसे केसेज़ हों जिनके पास काफी खुद काश्त के लिए जमीन नहीं है और जिन्होंने जागीर के जमाने में जोड़ और बीड़ को लेकर काश्त की है तो यह बिल्कुल वाजिब होगा कि उतनी जमीन छोड़ दी जावे जितना कि सीलिंग एरिया में, सीलिंग एरिया अभी हमारे यहां नहीं आया है। जागीरदारों को रिजम्प्शन से पहिले किसी भी जमीन को किसी को अलॉट करने का अधिकार था और वे खुदकाश्त के लिए भी कर सकते थे इसमें कानूनन दो राये नहीं हो सकती हैं। इसलिए जावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव और अमेन्डमेंट पेश किया है उनके प्रोविजन को स्वीकार करता हूँ कि जो टिनेन्सी एक्ट में लिमिट प्रैसक्राइब्ड हो उससे दुगनी जमीन होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a point of order Sir, जो अमेंडमेंट माननीय मंत्री महोदय ने . .

श्री सभापति : What is your point of order ?

श्री मूलचन्द डागा : जो एमेंडमेंट माननीय मंत्री ने पेश किया है उसका नोटिस ही नहीं है।

श्री सभापति : It is no point of order since it has been circulated.

श्री मदनसिंह : On a point of information, Sir. मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी भूदान में बीड़ और जोड़ दिये गये हैं उसका क्या होगा। हजारों गांव बीड़ और जोड़ के दिये गये हैं। दो चार गांव राजस्थान में भी दिये गए हैं।

(श्री मदनसिंह)

जिसमें जोड़ और त्रीड़ और खेजड़े रखे हैं, इस पर असर होगा या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir, this amendment which was moved by Hon'ble Member leader of the Ram Rajya Parishad and the Hon'ble Minister is accepting it was not at all moved and no permission of the Chair was taken for moving it.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is your impression. it was formally moved.

श्री पी० के० चौधरी : No, it has not been formally moved. In the course of his speach, he said that if such an amendment can be accepted, it would be much better, but no formal motion was made, nor the Chair permitted such motion and under these circumstances, I think the Hon'ble Minister cannot accept such an amendment which has been not moved in the House.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, अभी जब लछमणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने एक अमेंडमेंट सदन में पेश किया था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : No, the proceeding may be seen. I think the Hon'ble Member is not making a correct statement.

श्री भैरोंसिंह : You were in the canteen, you were not here.

माननीय सदस्य मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में....

श्री पी० के० चौधरी : I object to this Sir.

श्री सभापति : Order please. Order please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : The Hon'ble Member should have raised objection at the time the amendment was moved.

श्री पी० के० चौधरी : The question of making objection does not arise because the amendment was never moved formally. If no motion for amendment was made, how can a member raise objection ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There was a motion.

श्री सभापति : Order please.

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने एक अमेंडमेंट सदन में पढ़ कर रखा। प्रोसिडिंग्स देख ली जाय उसमें अमेंडमेंट है। मूव किया है। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं और गलतफ़हमी बताते हैं, वे मौजूद होते तो अन्डर रूल्स कोई अमेंडमेंट पेश किया जाय मेम्बर ऑब्जेक्शन ले सकता है और वह तब तक प्रिवेल करता है जब तक कि स्पीकर ओपिनियन न दे। लछमणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव किया था उस समय कोई एतराज़ नहीं आया और इस लेटर स्टेज़ पर जब कि माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे

(श्री भैरोंसिंह)

हैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज उठाया कि वह किसी प्रकार रूल के अन्तर्गत नहीं आता है और इसलिए वह वेलिड नहीं है। जो कुछ अमेंडमेंट मूव हुआ, वह पास भी हो चुका और अब इस लेटर स्टेज़ पर उस पर एतराज किया जाय जिसकी कि कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरा ऑब्जेक्शन उठाया था कि चेयर की इज़ाजत नहीं ली। मैं समझता हूं कि नियमों के अन्तर्गत मूव करने की इज़ाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। जब मूव किया गया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और जब एतराज नहीं किया गया तो चेयर द्वारा नामंजूर करने की भी आवश्यकता नहीं थी।

श्री पी० के० चौधरी : I would like to ask Hon'ble Chairman to refer to the proceedings whether a formal motion was made, and if formal motion was not made, and the permission of the Speaker was not obtained, then the Hon'ble Minister should not accept the amendment.

श्री सभापति : प्रोसिडिंग्स देख कर इसका निर्णय दिया जा सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोसिडिंग्स देख ली जाय।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसिडिंग्स में भी यही है। The motion has been moved,

श्री सभापति : Order please.

(विराम)

The proceedings have been seen. The motion has been moved.

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट पेश किया है इस भावना से, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी मंशा ऐसी नहीं है कि छोटे छोटे जागीरदार जिनके पास मामूली ज़मीन है, अगर उन्होंने जोड़ या बीड़ की ज़मीन खुद काश्त में कर ली है और टोटल एरिया सेक्शन १ में प्रेस्क्राइब्ड हैं उससे दुगुना है, उनके ऊपर हार्डशिप डालना चाहूंगा, जिससे उनको उससे डिप्राइव किया और जावली से आने वाले माननीय सदस्य ने····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जावली से नहीं लक्ष्मणगढ़ से।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry कहीं से आये माननीय सदस्य ने जो उन्होंने अमेंडमेंट रखा है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। इसके अलावा जैसा मैंने अर्ज किया कि स्टेटमेंट किस तरह चेलेन्ज कर सकते हैं या नहीं। एन्यूअल रजिस्टर्स की एन्ट्री को हर वक्त चेलेंज करने का अधिकार है और किसी मुद्दे को लेकर स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया वह एक बात मानी जा सकती है लेकिन हर-एक के लिए रेमेडी है। काश्तकार के लिए है और जागीरदार के लिए नहीं थी इसलिए कल बिल पास कर दिया जो ज़मीन सरकार के पास आना चाहिये उसके लिए प्रोविज़न करते है तो मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से किन्हीं को आपत्ति होनी चाहिये।

जोड़ और बीड़ की ज़मीन हो सकती है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रिजर्वड थी, मवेशी चरा करते थे, आस पास के मवेशी भी चरा करते थे, उन जोड़ बीड़ के मुस्तसना करने की बात है। अगर इस प्रकार की ज़मीन की एन्टरी हो गई है, तो वह आपत्तिजनक बात है। मेरी निगाह में है कि हजारों बीघा ज़मीन जागीरदारों ने रेकॉर्ड ऑफ राइट नहीं होते हुए भी एन्ट्री करवा ली है और इसी कारण से यह अमेंडमेंट पेश किया है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है तथा जावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी संशोधन पेश किया है, उनसे यह प्रकट नहीं होता है कि इसका अब वास्तविक स्वरूप क्या है। मंत्री महोदय जिस रूप में इसको रखना चाहते हैं उसको रीड कर दें ताकि सदन को मालूम हो सके कि इसका वास्तविक रूप क्या है।

श्री भैरोंसिंह : हाऊस को तो है, आपको नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं संशोधित क्लॉज ही पढ़ देता हूं ताकि आपको गलत फहमी की बात न रहे।

सेक्शन १४० इसमें रहेगा और यह रहेगा :

"(1) Notwithstanding anything contained in Sections 125 and 136, where a dispute arises as to the correctness or otherwise of any entry in the record of rights relating to khudkasht. . .

रिलेटिंग खुदकाश्त के बाद में यह आ जावेगा : "in respect of any beer or which was used by a jagirdar as a grass preserve and let out for grazing either after the grass was cut or removed or before, with or without grazing fee ...

इसके बाद में यह आजावेगा कि : "the dicision of such dispute shall be based on possession of the particular piece of land as khudkasht in accordance with the provisions of law for the time being in force regulating and governing the allotment and demarcation of lands as khudkasht. यह तो यह हुआ इसके बाद में प्रोविजो है। सब सेक्शन (१) मैंने पढ़ कर सुनाया उसका प्रोविजो है, वह यह होगा :

"Provided that no such entry shall be liable to be called in question if the total area of khudkast in the possession of the jagirdar does not exceed twice the minimum area prescribed for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 180 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No. 3 of 1955)."

इसका यह पूरा रूप मैंने आपको अर्ज कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैंने अर्ज किया था . . .

श्री पी० के० चौधरी : The amendment of the Hon'ble Minister reads that "after the words 'Khudkasht' in the new section 140 add the follow-

(श्री पी. के. चौधरी)

ing. ." Now the words 'relating to khudkasht' also occur at the top of the section in the heading itself. So this is to be inserted at the top of the section or in the middle ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is only heading.

श्री पी० के० चौधरी : But it can come there as well.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am making an amendment only in the body of the section.

श्री पी० के० चौधरी : You never said body of the section. You said, section.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : मेरी भी एक शंका है जो पूछना चाहता हूं। इसमें पांच वर्ष का समय रखा है और खुद काश्त की जमीन जहां जागीरदारों ने ट्रान्सफर कर दी है दूसरे लोगों को, चाहे जोड़ और बीड़ की जमीन हो, और उनका लिटिगेशन होकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डिसिजन हो चुका है, उसके लिए क्या प्रोविजन रखा है ?

Jagirdars had a right to transfer a beer or jor to a private individual.

और उसको काश्तकारी हक हो गया है इन पांच वर्षों में क्या वे सारे केसेज़ भी खोले जावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, यह पोइन्ट है, वह हाईपोथेटिकल है कि ऐसा हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, there are cases of that nature.

श्री दामोदरलाल व्यास : There may be cases in the knowledge of the Hon'ble Member but then there is a general law. When consideration fails, what is the remedy open to a man who has changed from khudkasht land; that remedy will be available to him also, and there is definite provision in law as to what happens when consideration fails. The consequences will follow and any aggrieved party will try to obtain proper relief in a proper court of law.

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु०): सभापति महोदय। थोड़ी शंका मुझे भी है। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि बेचारे किसान लोग जिन ज़मीनों पर काश्त करते थे उन ज़मीनों को जागीरदारों और बड़े २ जमीन्दारों ने अपने नाम पर करवा लिया है, सैटिलमेंट ऑफिसर से। इसके लिये गांवों के किसानों को मालूम नहीं हो पाया। जोत तो वे ही रहे थे और दर्ज करवा लिया दूसरे लोगों ने। कब्जा किसानों का था और दर्ज करवा लिया जागीदारों ने अपने नाम पर और उस मामले का पता कब लगने दिया, जब कि किसान की मियाद गुजर गई, एतराज़ करने की मियाद निकल गई। जब उनको मालूम हुआ जागीरदारों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने सैटिलमेंट कमिश्नर के पास जाकर दरख्वास्तें की तो उनको कहा गया कि अब तो मियाद निकल गई है। इस तरह से इसको छिपाया गया। आप तो जोड़ और

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

बीड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वे ज़मीनें जिन पर किसान वर्षों से काश्त कर रहे थे, वर्षों से जिनके अधिकार में थी, उनको दर्ज करवा लिया और उनके पास ज़मीन न होने से वे, आज मारे मारे फिर रहे हैं। अदालतों में तो अपीलें खारिज हो गईं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : यह डिबेटेबल पोइन्ट नहीं है।

श्री सभापति : आपने क्लेरिफिकेशन चाहा था। इसको मिनिस्टर महोदय ने सुन लिया है। वे जवाब दे रहे हैं। यह डिबेटेबल पोइन्ट नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जैसा कि मैंने अर्ज किया था जहां तक मियाद का सवाल पैदा होता है जो रिमेडी जागीरदार को अवेलेबल है वही काश्तकार को अवेलेबल है दोनों में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। ऐसे केसेज़ यदि जागीरदारों में हुये होंगे तो काश्तकारों में भी हुये होंगे। जैसा कि अभी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि किसानों को पता न होने की वजह से सैटिलमेंट डिपार्टमेंट में डिटेल्स न होने की वजह से इर्रेग्यूलेरिटी हो गई है उसकी रिमेडी अवेलेबल है। बावजूद सैटिलमेंट ऑफिसर के रिमीटिशन के डिक्लेटरी स्यूट की लिमिटेशन नहीं है, वह हर वक्त कराया जा सकता है लेकिन जहां तक सैटिलमेंट डिपाटमेंट द्वारा लिमिटेशन की बात है जो खुद काश्त में ज़मीन दर्ज हो चुकी है उसके लिये अदब के साथ अर्ज करूंगा कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। तीस दिन की मियाद होती है यदि लगान वगैरह का मामला हो तो उसमें लिमिटिशन का सवाल होता है। जैसा कि सैटिलमेंट होता है कि उसमें यदि किसी प्रकार का गलत इन्द्राजात हो रहे हों तो उस समय के भीतर दरख्वास्त देकर फैसला करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में दरख्वास्त देने पर हो यह कतई मुमकीन नहीं है। सैटिलमेंट जब खत्म हो जाता है ऑर्डिनरी कोर्ट के अन्दर कानून के अन्तर्गत डिक्लेरेशन करवा सकते हैं धारा १३६ के अन्तर्गत हर दफा अमेन्डमेंट कर सकते हैं आपके खयाल में जो बात है वह हो नहीं सकता उसमें कोई मियाद का सवाल पैदा नहीं हो सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैं भी कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री सभापति : अब तो स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है, आपका अमेन्डमेंट वे स्वीकार नहीं करते। आप अपना संशोधन वापस लेते हैं या नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपने संशोधन को वापिस नहीं लूगा तो माननीय मन्त्री महोदय नाराज होंगे, इसलिये मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंह ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : I withdraw my ameudment.

श्री सभापति : प्रश्न यह कि ओनरेबल मिनिस्टर महोदय ने जो संशोधन क्लॉज़

(श्री सभापति)

१८ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि जावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : There is no 'sadasya' form Jawali, Sir.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ५ वां संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १८ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ संशोधितरूप में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १, टाइटिल प्रिएम्बल इत्यादि

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ प्रथम टाइटिल प्रिएम्बल इत्यादि को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटिल, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ राजस्थान लैंड रेवेन्यू संशोधन विधेयक, १६५६ को स्वीकृत किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I object to it under Rule 132. No motion for passing the Bill can be moved on the same day when the amendments have been accepted.

श्री सभापति : The motion is itself very minor and in claus 132...

श्री पी. के. चौधरी : It is not minor Sir.

श्री सभापति : I mean the amendment.

श्री पी. के. चौधरी : It is very rediculous.

श्री सभापति : In Rule 132 (2) it is enumerated that if any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made. So the discretion is given to the Chair and I have allowed the motion to be made.

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू संशोधन विधेयक १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

११. ३८ म० प०

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री): सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेकेन्डरी एज्युकेशन बिल १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

राजस्थान सेकेन्डरी एजूकेशन बिल, १६५६.

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री सभापति : Motion Moved.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चैयरमैन, जो सेकेन्डरी एज्युकेशन बिल रखा गया है। वैसे तो इसे बहुत माइनर बिल समझना चाहिये। मगर जहां तक इसका इफेक्ट का सवाल है इसका इफेक्ट सारे राजस्थान पर पड़ता है, इसलिए इसको ज़रूर हमें देखना है। पहले जो ओरीजनल बिल या उसके अन्दर डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन सेकन्डरी बोर्ड के चेयरमैन हो। लेकिन इसके अन्दर जो एडीशन किया गया है उसके अनुसार एडीशनल डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन इस बोर्ड का चेयरमैन होगा। मेरी समझ में यह नहीं आता जब कि सारे राजस्थान के लिए एक सेड नीति निर्धारित हो, वैसी हालत में जहां तक राजस्थान में शिक्षा का सवाल है, उसमें हम डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को उसके लिये रेस्पोन्सिबल ठहराते हैं, फिर सेकन्डरी बोर्ड चेयरमैन एडीशनल डायरेक्टर को क्यों बनाते हैं? इसमें मैं समझता हूं हम शिक्षा के अन्दर डायर्की इन्ट्रोड्यूस करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जहां दो दिमाग हो वहा पर अलग अलग सोचने का तरीका है, ऐसा संभव हो सकता है कि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन में और एडीशनल डायरेक्टर में किसी प्रकार का क्लेश हो तो फिर सवाल आता है। आखिर एडीशनल डायरेक्टर वह डायरेक्टर का सबोर्डिनेट है, दोनों के अन्दर किसी प्रकार का क्लेश होता है, तो उसको निर्णय करने के लिये हाइयेस्ट अथोरिटी कौन रहे। जहां तक सेकन्डरी बोर्ड का सवाल है एडीशनल डायरेक्टर उसका होल सोल है और जहां तक राजस्थान की शिक्षा पद्धति का सवाल है। वहां डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन उसका जिम्मेदार है, इसलिये इस प्रकार से डयूएल ऑथोरिटी करने से आपका क्या मतलब है। यहां पर जगह क्रिएट की जाती है, राजस्थान के अन्दर कुछ व्यक्तियों को....

हम चाहते हैं कि उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाय, इस हिसाब से अगर नई पोस्ट यह क्रियेट की गई हो उनको एडजस्ट करने के लिये तो बात दूसरी है, समझ में आ सकती है, नहीं तो इन्टेन्शन लेजिस्लेचर का यह था कि बोर्ड में जब पर्सनल रक्खें आप तो वे डिपार्टमेन्टली कनेक्टेड हों। जो जो चीजें सेकन्डरी एजूकेशन में समझाई जावेंगी उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिये हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट रक्खा जावे जैसे डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज, डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर

(श्री श्रीमानसिंह)

ऑफ मेडिकल और हैल्थ । तो वे पॉलिसी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिये रक्खे गये थे, और अगली पंचवर्षीय योजना में सरकार की शिक्षा सम्बन्धी क्या नीति होगी तो उस वास्ट काम को एग्जीक्यूट करने के इरादे से डाईरेक्टर ऑफ एजूकेशन का अपॉइन्टमेंट किया गया था । जनरल स्टडी ऑफ एजूकेशन है, उसका जनरल कैरीकूलम और सरकार की क्या पॉलिसी है किस तरह उसको एग्जीक्यूट सरकार करना चाहती है, इस की रेस्पोन्सिबिलिटी डाइरेक्टर को दी गई है । तो उनकी तो रेस्पोन्सिबिलिटी सारे राजस्थान की है । पर सेकन्डरी एजूकेशन बोर्ड के लिये अलग असिस्टेन्ट डाइरेक्टर क्रियेट करके उसको बोर्ड का अगर चैयरमैन बनाते हैं तो यह डायर्की सिस्टम आप इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि यह कोई अच्छा रिजल्ट लावेगा । इनमें क्लेश इनएवीटेबल है । तो जो हमारी इन्टेन्शन था एजूकेशन के डाइरेक्टर को मान्यता देने का उसको भी यह आपका डायार्की सिस्टम डिफीट करता है ।

शायद यह कहा जावे की टेक्निकल क्वालिफाइड सेकन्डरी एजूकेशन के लिये डाइरेक्टर नहीं है । इसलिये इसको रक्खा जा रहा है, तो मैं कहता हूं अगर ऐसी बात है, तो डाइरेक्टर को ऐसे को रखना नहीं चाहिये, डाइरेक्टर को ही आप ऐसा रक्खें जो इसमें भी टैक्निकली क्वालिफाइड हो । ताकि वह उस का भी चैयरमैन रह सके ।

अब यह जो नई पोस्ट क्रीएट की जा रही है, इसके फंक्शन्स क्या होंगे ? यह समझ में नहीं आता । हो सकता है, हम एजूकेशन डिपार्टमेंट में एक ग्रेडेशन इन्ट्रोड्यूस करें । पर यह भी देखना हमें इकोनोमी भी इन्ट्रोड्यूस करनी है । अब हम यहां यह भी देखें कि डाइरेक्टर का वर्क लोड कितना है । क्या वह ये दोनों काम अकेला नहीं कर सकता । क्या उसके पास इतना काम है कि वह सेकन्डरी एजूकेशन बोर्ड के काम को एफीसियेन्टली टैकल नहीं कर सकता । तो यह रीज़न भी हो सकता है कि सेकन्डरी बोर्ड का चैयरमैन दूसरा हो । पर जहां तक फाइनेन्सियल इन्क्वायरी कमेटी के ऑब्जर्वेशन्स हैं, वे ये हैं कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन का सिवाय फाइलों पर दस्तखत करने के और कोई वर्क नहीं है । और जहां तक इन्सपेक्शन का सवाल है, जो हैड क्वार्टर्स के नज़दीक के टाउन्स हैं, उनमें शायद दौरे के लिये जाते होंगे और जाते भी होंगे तो वापिस जल्दी लौट आते हैं, तो टूरिंग प्रोग्राम उनका नहीं है । एज्युकेशन का वैसे लुक आफ्टर ज्यादा नहीं । खाली जनरल सुपरवीज़न है तो जब उसको इतने मिनिमम पॉवर हैं और हैविली आप पे करते हैं, वर्क लोड भी ज्यादा नहीं, केवल फाइलों पर दस्तखतोंका काम है । तो यह काम भी डाइरेक्टर को करना चाहिये और इस तरह से इकॉनोमी भी हमें इन्ट्रोड्यूस करनी चाहिये । आप के अपने किसी आदमी को लगाना है तो इसके लिये और कई जगहें हैं । यहां यह डायर्की इन्ट्रोड्यूस करने से क्लेश होगा और सारा काम गड़बड़ हो जावेगा, एफीशियेन्सी नहीं आपावेगी । हमारे माननीय एज्युकेशन मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, वे इन बातों पर सोचें और निर्णय करें । अभी भी हमारा यह एज्युकेशन डिपार्टमेंट अनएफीशियेन्टली फंक्शन कर रहा है । जो जो काम हम उनको सौंपे उनको एफीशियेन्टली वह रन नहीं कर सका है । हम देखते हैं कि हमने टैक्स्ट बुक्स बनाई पर टैक्स्ट बुक नहीं

(श्री श्रीभानसिंह)

मिलीं। जो हमने प्रगतिशील कदम उठाने तय किये वे हमेशा डिफीट होते रहे, कभी कोई कदम पूरा नहीं पड़ा। तो इसका शायद एक सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि इस एज्युकेशन विभाग में अफसर ज्यादा हैं और रेस्पोन्सिबिलिटी किसी की नहीं, कोई रेस्पोन्सिबिलिटी फील नहीं करता। जब कभी हम कोई बात इन्ट्रोड्यूस करते हैं, वे अलग पूरा स्टाफ मांगते हैं। सबसे पहले हम एक मशीनरी क्रीएट करते हैं स्टाफ कम्प्रीहेन्सिव चाहते हैं, पर यह वे नहीं बताते कि यह हमारा वर्क है और इसके लिये इतनी मशीनरी क्रीएट करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि एक ही वर्क का डुप्लीकेशन होता है और फिर वह उसको जिम्मेवार ठहराता है, वह उसको। एक दूसरे की जिम्मेदारी में किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती और घोटाले चलते रहते हैं और डुप्लीकेशन का यह लाजिमी और निश्चित इनएवीटेबल कन्क्लूजन्स हैं कि रेस्पोन्सिबिलिटी डिवाइड होगी और एक दूसरे यह भी करेंगे रेस्पोन्सिबिलिटी से शर्क भी करेंगे और जब शर्क करते हैं तो उससे जो पर्पज़ और रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, वह डिफीट हो जाता है। तो इस एज्युकेशन पॉलिसी का सक्सेजफुल न होने का उसका एफीशियेन्टली एग्ज़ीक्यूट न होने का और जो प्रगति हम लाना चाहते हैं, वह न आने का सबसे बड़ा कारण यह डायार्की ऑफ ऑफिशियल्स है। कहीं पर सब–इन्स्पेक्टर है, कहीं पर इन्स्पेक्टर है, असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर है, डाइरेक्टर है, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर है, डिप्टी डाइरेक्टर है, सब इतने मल्टी प्लाई हो गये हैं कि एवरी बडीज कन्सर्न इज नो बोडीज कन्सर्स। इस असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को करने से इस मशीनरी में जो ऑफिशियल्स होंगे, जिनमें पूरा काम नहीं बंटा हुआ है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करेगा और इससे सस्पीशियन क्रीएट होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में गड़बड़ होगी। असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बोर्ड का सर्वेसर्वा अपने को मानकर अपनी अलग पॉलिसी से काम लेगा। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन अपनी अलग पॉलिसी चलावेगा। राजस्थान की एज्युकेशनल पॉलिसी डाइरेक्टर चलावेगा, उसके लिये वह रेस्पोन्सिबल रहेगा और दूसरी तरफ जब हम एडीशनल डाइरेक्टर को बोर्ड में बिठाते हैं। तो इससे या तो यह हुआ कि डाइरेक्टर सुपरफ्लस है तो, उसको हटा देना चाहिये और दूसरा वर्सन यह हो सकता है That the Additional Director is more efficient than the Director. He is qualified to be a Director. तो अगर एडीशनल डाइरेक्टर एफिशियेन्ट है और If he is more educated. तो वह डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन से अपने को ऊपर समझेगा और जब आप उसको चेयरमैन बना देंगे तो अपने को डाइरेक्टर के सबोर्डिनेट भी नहीं मानेगा। अब सबोर्डिनेट ऑथोरिटी कौन होगा यह झगड़ा चलेगा और इससे मिसट्रस्ट डवेलप होगा। एक विशियस सर्किल आप इस तरह से बनाते हैं और डाइरेक्टर समझते हैं कि यह मेरे से एफीशियेस्ट अधिक है और अगर यह बात है तो इनको प्रोमोशन मिलना चाहिये और फिर राजस्थान में सर्विस में मेरिट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। इक्वली क्वालिफाइड और मैरिट के बेसिस पर हुआ तो जब इतने सब फेदर्स दे देते हैं Then the Additional Director has got more claims to be a Director and Chairman and he is qualified to look after the secondary education plus

(श्री श्रीभानसिंह)

the educational policy of the Rajasthan Government. डिसेन्ट्रेलाइजेशन अगर हुआ तो एज्युकेशनल पॉलिसी, राजस्थान की एज्युकेशन पॉलिसी के लिए एक आदमी को रेस्पोन्सिबल होना पड़ेगा और इसके लिये रेस्पोन्सिबल हम डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को कर देते हैं, तो मेरा यह निवेदन था कि यह डायर्की एज्युकेशन सिस्टम में इन्ट्रोड्यस करेंगे। इसमें यह हो सकता है कि डाइरेक्टर एक एक पॉलिसी ले आउट करता है तो सेकन्ड्री बोर्ड का चेयरमैन होकर असिस्टेन्ट डाइरेक्टर उसे केरी आउट नहीं करता। तो इससे इनएफिसिन्येसी बढेगी और मिसट्रस्ट बढेगा। और फिर वह उससे अगर कन्ट्रेरी पॉलिसी ले आउट करने लगे तो इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी किस पर रहेगी। सेकन्ड्री एज्युकेशन बोर्ड एक ऑटोनोमस बोडी हो गया है। अज उसका चेयरमेन डाइरेक्टर रहेगा नहीं और वह पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो वह यह कहेगा कि देखो मेरे से एग्ज़ीक्यूट कराने चाहते हैं तो मुझे चेयरमैन बनाओ, नही तो रेस्पोन्सिबिलिटी इसकी चैयरमैन जो बने उस असिस्टेन्ट डाइरेक्टर पर डालो। जब मेरे को चैयरमैन नहीं रक्खा तो मैं कैसे राजस्थान सरकार की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिये सेकडंरी बोर्ड से कहूं। अगर कहे भी तो वह असिस्टेन्ट डाइरेक्टर He will regret his inability and say that I have no powers to compel the Secondary Education Board to carry out the Government. policy. तो इस तरह की कम्प्लीकेसी पैदी होगी। कैसे सेकन्ड्री एज्युकेशन की सरकार की पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी इसके लिये हमें ग्राउन्ड क्रीएट करना है। ग्राउन्डस गेदरअप नहीं की हैं अभी तक। एक तरफ क्रिटिसिज्म चल रहा है, मासेज आपकी इस सेकन्डरी एज्युकेशन को लाइक नहीं करती उसे वह प्रोफेशनल एज्युकेशन का नाम देती हैं और दूसरी तरफ ड्युअल अथोरिटी उसे और गड़बड़ में डाल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की सुपीरियेरिटी इन्फीरियेरिटी के झगडे में पड़े हैं तो इससे सेकन्ड्री एज्युकेशन का भी फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखता है। इसलिए मेरी मान्यता है कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को चेयरमैन रखे तो एजूकेशन की पॉलिसी का हायर सेकेन्ड्री एज्युकेशन की पॉलिसी का सवाल है. वह सक्सेसफुल हो सकती है, स्मूथली रन कर सकती है और जिस पर्पज से हम एज्युकेशन में जो चेन्ज लाना चाहते हैं, वह फुलफिल हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मन्त्री): सभापति महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं समझता हूं, उससे बहुत मुगालता दूर हो जायगा। हमने लिखा है डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर, वाक्य में दोनों को मान लिया है, उसमें कतई मन्शा यह नहीं है कि एडीशनल डाइरेक्टर को सेकन्ड्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाय, डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन उसका चेयरमैन न हो बल्कि जब चेयरमैन बनाने का सवाल होगा, अभी तो वाइस चान्सलर हैं, हायर सेकन्ड्री बोर्ड का चेयरमैन बनाने का सवाल आयेगा, तो डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ही होगा। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ऐसा सोचा जाय। इतना मानकर चलना चाहिए कि हम भी जानते हैं। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन अलग हो और एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन बोर्ड का चेयरमैन हो इस कल्पना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को लेकर नहीं चलना चाहिए। असल में डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को लुक ऑफ्टर करने का सवाल है। वह आज भी है। चेयरमैन जो सेकन्ड्री बोर्ड का होता है, उसकी पॉलिसी बनाने में बहुत हाथ होता है, हम भी चाहते हैं कि चेयरमैन बनाने का सवाल हो उस समय एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन चेयरमैन हो या डाइरेक्टर चेयरमैन नहीं हो, ऐसी कन्ट्रोवर्सी न आये। असल में बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देखने के लिए रखा है, उसको पॉइन्ट ऑफ व्यू में रख सकते हैं। अगर कोई भ्रान्ति पैदा होती है तो उसको रखने की आवश्यकता है, हमारे दिमाग में रिजर्वेशन न हो, ऐसी कल्पना न हो Not only secondary education but also about the primary education, he has his say. यह प्रश्न नहीं आता कि एडीशनल डाइरेक्टर को चेयरमैन बना देंगे और डाइरेक्टर चेयरमैन नहीं होगा। मैं केटगरीकली विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वही चेयरमैन होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि एक प्रश्न आ सकता है कि एक एडीशनल डाइरेक्टर होना चाहिए। मैं इस चीज को समय को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक समझता हूँ। बात यह है कि हमारे शिक्षा विभाग का सवाल है, वह बहुत ही प्रसारित हो रहा है और जो कागजात हैं. जो कार्य है, वह कुंठित हो रहा है। इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी यह चीज आगे बढ़े। जो हायर सेकन्ड्री एज्युकेशन है. उसको आज कल काम में लाया जा रहा है, और अभी जो हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कॉलेजेज थे, वे धीरे धीरे हायर सेकन्ड्री बनाने चाहिए, इसके वास्ते आयोजन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अत्यन्त आवश्यकता होती है। मेरी समझ में इस समय जिस प्रकार कार्य होना चाहिए और जल्दी कई चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें काफी विलम्ब हो रहा है, इसलिए भी आवश्यकता होती है कि हमारे यहां एडीशनल डाइरेक्टर हो, जैसे एडीशनल कमिश्नर सैटिलमेंट में है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी रखे गये हैं। मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि शिक्षा मन्त्री महोदय यह जरूर करेंगे इस समय जो प्राइमरी एज्युकेशन, सेकन्ड्री एज्युकेशन हाइएस्ट एज्युकेशन के लिए सवाल हो रहा है, यह काम खत्म हो जाय, मेरे ख्याल में तब यह पोस्ट नहीं रहेगी और आप से आप खत्म हो जायगी। एक तरह से देखा जाय तो कई शिक्षा संस्थायें हैं, जैसे कृषि सम्बन्धी संस्थायें हैं, जो कृषि मन्त्री जी के नीचे हैं, जैसे इन्जीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाली संस्थाये हैं, जैसे मेडिकल से ताल्लुक रखने वाली संस्थायें हैं, उनमें यह होता है, कि उनका सेक्रेटरी से सम्बन्ध रहता है, इससे काफी दिक्कत पड़ेती है और जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं होता है। इसलिए मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जो कृषि से ताल्लुक रखने वाली संस्था है, उसका सेक्रेट्री से ताल्लुक न रह कर डाइरेक्टर से ताल्लुक रहे तो ज्यादा सुचारू रूप से काम हो सकता है। जो यह प्रश्न आया है, मैं इसको समयानुकूल और उचित समझता हूँ।

श्री सभापति : मुख्य मन्त्री जी ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है, क्लेरीफिकेशन हो गया है, मैं समझता हूं ···

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे बोलना है।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कुछ समय बच जाय इसका ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैंने यह अर्ज किया कि चूंकि मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है इसलिए अगर आप जरूरी समझें तो बोलिये।

क्लॉज २

श्री रामचन्द्र (डग मु.) : सभापति महोदय, आज सेकन्ड्री एज्युकेशन बिल की क्लॉज़ दो के सिलसिले में जो अमेंडमेंट लाया गया है, वह देखने में तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर कभी इसका बुरा फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाय तो यह जरा सी चीज़ बड़ा भयंकर रूप धारण कर सकती है। निवेदन यह है कि एक तो डाइरेक्टर और एक एडीशनल डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर हायर सेकन्डरी बोर्ड का एक मेम्बर है, इसलिए राजस्थान की एज्युकेशन पॉलिसी तथा बोर्ड की पॉलिसी, इन दोनों से उसका सम्बन्ध है। लेकिन एज्युकेशन का जो डाइरेक्टर है वह राजस्थान की जरनल पॉलिसी से सम्बन्ध रखता है। उसके ऊपर बोर्ड का विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन एडीशनल डाइरेक्टर बोर्ड का मेम्बर होने के नाते उसका सम्बन्ध बोर्ड के दूसरे मेम्बरों के साथ अधिक है और उसकी राय से बहुत ज्यादा सहमत होना पड़ेगा। यद्यपि शिक्षा मन्त्री ने इसको स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इस सिलसिले में, मैं आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात बता देना उचित समझता हूं और वह यह है कि पिछले बार जब यह बिल सदन के सामने पास होने के लिए रखा गया था, उसके बाद एक सलेक्ट कमेटी बनी। उसमें यह प्रश्न आया था। सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स ने कहा था कि इसका चेयरमैन के बजाय डाइरेक्टर के होने के एक इलेक्टेड मेम्बर होना चाहिए। काफी डिस्कशन के बाद यह तय हुआ या नहीं क्योंकि राजस्थान की एज्युकेशन से सम्बन्ध रखता है इसलिए इसका जो चेयरमैन हो, वह राजस्थान की एज्युकेशन की हाइएस्ट अथोरिटी होना चाहिए बल्कि जो हायर सेकन्ड्री एज्युकेशन बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसको देखते हुए सब मेम्बरों की यह राय हुई कि इस बोर्ड के कम्पोजीशन में तमाम मेम्बर्स इस केटेगरी के रखे जाय जो अपने अपने विषय में सबसे ऊंचा ज्ञान रखते हो"

१२ मध्यान्ह

इसी आशय को लेकर इसका जो फौरमेशन किया गया उसमें चेयरमैन डाइरेक्टर एज्युकेशन राजस्थान और अन्य २ फैकल्टीज़ को भी अपने अपने विभाग और कॉलेज़ों के उच्च से उच्चपदाधिकारी रखे गये। इसीलिए इसी आशय को लेकर हमने डाइरेक्टर को रखा था। अब इस समय कोई विशेष कारणों से चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हों या कोई पॉलिसी का कारण हो जो परिवर्तन किया गया है, अगर उसमें शिक्षा मन्त्री जी की यही मन्शा है कि अगर डाइरेक्टर किसी समय अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो और बोर्ड की मीटिंग में नहीं जा सके तो ऐसे मौके पर वह अपने एडीशनल डाइरेक्टर को भी भेज दे। क्योंकि उनके चले जाने पर रुकावट नहीं है। अगर यही मन्शा है तो आपको जो सजेशन है उसको हम वेलकम

(श्री रामचन्द्र)

करते हैं। और अगर केवल इन शब्दों को रखकर बोर्ड का सारा काम एडीशनल डाइरेक्टर से ही कराना है तो यह परिवर्तन भविष्य में भयंकर परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सेकेन्ड्री एज्युकेशन बोर्ड की जैसे जिम्मेदारी आपने रखी है कि यह एज्यूकेशन का वह स्टेज़ है, जिस स्टेज़ पर जाकर हायर एज्युकेशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। जिस स्टेज़ पर टेक्नीकल एज्यूकेशन विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसलिये इस स्टेज़ पर मैं यही निवेदन करूंगा कि एडीशनल डाइरेक्टर के बजाय होल एण्ड सोल चार्ज डाइरेक्टर का हो। हां, यद्यपि किसी समय डाइरेक्टर उपस्थित नहीं हो सके तो अपने एडीशनल डाइरेक्टर को भेज दे लेकिन ज्यादातर कार्य डाइरेक्टर के द्वारा ही होना चाहिए न कि इस संशोधन के द्वारा सारा काम एडीशनल डाइरेक्टर के ऊपर रखकर बोर्ड की परिस्थिति को भविष्य में खतरे में डाल दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया, वह वर्तमान अवस्था में संतोषजनक हो सकता है। लेकिन सारी परिस्थिति को देखें तो इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी स्पष्ट नीति रखनी चाहिये। जो वर्तमान एडीशनल डाइरेक्टर हैं वह स्वयं ही पहले डाइरेक्टर थे। लेकिन सरकार ने जब देखा कि वह प्रशासनिक अधिकारी हैं और जहां तक एज्यूकेशन का संबंध है उसका उनको इतना ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए सरकार ने उनको एडीशनल डाइरेक्टर बना दिया और उनके स्थान पर एक और डाइरेक्टर को रखा। जहां तक हमारा सेकेन्ड्री एज्यूकेशन एक्ट है उसको हम देखते हैं तो यहां पर इनके अधिकारों का जो संबंध है वह प्रशासनिक संबंध नहीं है। बोर्ड का चेयरमैन होगा और उसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे, इस प्रकार की बात नहीं है। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सेक्रेटरी को नियुक्त करेंगे और वह राजकीय उच्च सेवा के अन्दर से आर० ए० एस० का या इसके समान स्तर का होगा। जब वह सारे प्रसाशनिक कार्य करेगा तो फिर उसके बाद में और कौन से कार्य बाकी रह जाते हैं। जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि जो वर्तमान विभाजन कर रखा है वह प्रसाशनिक मामले एडीशनल डाइरेक्टर देखेगा। हम अपने शिक्षा विभाग में इस प्रकार का विभाजन कर दें कि जितने भी प्रशासनिक मामले होंगे वह सारे के सारे एडीशनल डाइरेक्टर तय करेगा और जहां तक पॉलिसी का मेटर है वह सारे के सारे डाइरेक्टर तय करेगा। तो हम मान सकते हैं कि यह उचित विभाजन है। वर्तमान में जो सेकेन्डरी एज्यूकेशन बोर्ड है वह एडीशनल डाइरेक्टर के पास है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास केवल प्रशासनिक ही मामले हैं, उसके पास में पॉलिसी मैटर भी हो सकते हैं। जहां तक प्रशासनिक मामलों के लिए सेक्रेटरी नियुक्त किया है तो सवाल केवल पॉलिसी मैटर का ही है। जहां तक डाइरेक्टर की पोस्ट रखी है तो वह पालिसी मैटर उसके पास ही रहना चाहिये। इस नाते से एडीशनल डाइरेक्टर कहीं भी पिक्चर में नहीं आता है। यह हो सकता है कभी डाइरेक्टर न हो और एडीशनल डाइरेक्टर जाना चाहे तो ठीक है लेकिन....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मन्त्री) : मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वह बहुत ही स्पष्ट कहा और केटेगोरीकली कहा। आप जो कह रहे हैं और मैंने स्पष्टीकरण दिया घूम फिर कर वही मन्शा उसी में इनवॉल्व हो जाती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने कहा कि उनको प्रशासनिक मामलों में क्यों लिया जाता है। आपने जो फर्माया है, वह ठीक है। लेकिन इन्क्लूडिंग डाइरेक्टर का मतलब यह नहीं है कि हमने वाटर टाइट कम्पारटमेन्ट बना दिया है। तो इस दृष्टि से यह आवश्यकता नहीं थी कि हम एडीशनल डाइरेक्टर को इसमें इन्क्लूड करें और डाइरेक्टर पॉलिसी मैटर का काम कर सकता है और प्रशासन का काम सेक्रेटरी के पास है, वह करता ही है। इसलिए यह आवश्यकता नहीं थी कि इसको यहां लाया जाये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One clarification.I wanted to have from the Hon'ble Education Minister, that the Secondary Education Board is a policy making body and it lays down the syllabus and carriculam etc. When the Director becomes Chairman, what will be the position of the Secondary Education Board ? The Additional Director is there then why you bring it ? But after two years the Director will be there. The Additional Director will be the Administrative Officer and the Director may as well be a member of the Secondary Education Board. It is not the Administrative body it is simply a policy making body. What is the hitch there ? Because the same thing will arise when the Director will become Chairman.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह स्थिति बहुत स्पष्ट है कि इसमें डाइरेक्टर होने के और एडीशनल डाइरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव इनचार्ज होने से कोई कनफ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार उनको दिये हैं। पॉलिसी मेकिंग तो आज डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के यों ही देखरेख में हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज स्थिति यह है कि वाइस चान्सलर उसका चेयरमैन हैं जो हमारा सेकेन्ड्री बोर्ड है उसका। हायर सेकेन्ड्री बोर्ड पर न तो एडमिनिस्ट्रेशन डाइरेक्टर का है तो ऐसे भी पॉलिसी मेकिंग करता है तो कन्फिलक्ट नहीं होता है। आज एडीशनल डाइरेक्टर को बोर्ड का चेयरमैन बना दें और डाइरेक्टर जो कि सीनियर आदमी है, उनको चेयरमैन नहीं बनायें तो कॉन्ट्रेडिक्शन होता है। साथ ही साथ साइकोलोजीकली फीलिंग हो सकता है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट उसका चेयरमैन नहीं है और एडीशनल डाइरेक्टर को चेयरमैन बना दिया। तो मैंने कहा कि डाइरेक्टर अगर चेयरमैन हो जायेगा और सारे के सारे प्रशासन के अधिकार दूसरे के पास होंगे तो वह किस प्रकार के होंगे। मैं समझता हूँ कि कोई विरोधाभास नहीं होगा। एडीशनल डाइरेक्टर बोर्ड के मेम्बर होंगे। It is not necessary कि वह उसके चेयरमैन हों तभी काम चल सकता है। आज भी वह चेयरमैन नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा क्वेश्चन यह था कि This is not the question. Even today the Director can be a

श्री पी. के. चोधरी)

member of the Secondary Education Board without having the Additional Director. It is simply a policy making body. What is the necessary amendment then ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस अमेन्डमेन्ट के होने से कभी वह नहीं गये तो एडीशनल डाइरेक्टर जा कर के उस काम की देखरेख कर सकता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, बाज़ार जयपुर) : सभापति महोदय, यह राजस्थान सेकेन्ड्री अमेन्डमेन्ट बिल बहुत ही छोटासा विधेयक है और इसके द्वारा बहुत ही छोटे दो संशोधन चाहे गये हैं। इस विधेयक की भाषा और भाव और माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो स्पष्टीकरण आया है, वह और हायर सेकेन्ड्री बोर्ड जिस प्रकार से अपने प्रान्त में काम कर रहा है, इन सब में बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या है। अभी सन् १६५७ में ही कुछ ही दिन पहले इस सदन में ही हायर सेकेन्ड्री एज्यूकेशन बिल हमने पास किया था और उस समय जब चेयरमैन की बात आई थी तो यहां पर सदन में सारे सदस्यों ने खूब अच्छी तरह से यह कहा था कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड का जो चेयरमैन हो वह डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को न रख कर के एक अलग आदमी को इसके चार्ज में रख देना चाहिए। जिससे यह काम अच्छी तरह से चल सके लेकिन उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसा कि उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि अब ऐसा उन्होंने हाल ही में एक एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन की नियुक्ति की है और इन दोनों अधिकारियों के बीच कार्य वितरण के अनुसार जैसा कि सरकार ने मन्जूर किया है एक एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा। यह बात उस समय सदन में कही गई थी कि बोर्ड का काम सुचारुरूप से चले इसलिए उसका डाइरेक्टर अलग होगा, वह एक स्वतन्त्र रुप से काम कर सकेगा तो अच्छा हो। डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन जिसके ऊपर पूरे प्रान्त की शिक्षा संचालन का बोझ है उसको अलग रहने दिया जाय, लेकिन उस बात को उस समय नहीं मानकर अब सरकार ने पीछे से एक एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन की नियुक्ति की है।

१२. ११ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

उस नियुक्ति को विधिवत करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपत्ति इस बात पर करना चाहती हूं कि चूंकि हमारा काम चला नहीं उसको व्यवहार रूप देने के लिए एक एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की नियुक्ति की उसको वैधानिक रूप देने के लिए हम यह संशोधन यहां पर ले आये हैं। हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम शिक्षा विभाग को अपने कृपा पात्रों को प्रोवाइड करने का या अनुग्रहीत करने का साधन बनाते हैं। किसी व्यक्ति को अमुक जगह पर रखना है, उसके लिए जगह बनाई जाती है, और उसके लिए सारी बातें की जाती हैं। यही कारण है

(डॉ० चन्द्रकला)

कि हमारे राजस्थान में जेबकतरा प्रोफेसर मिलेगा। हमारे यहां बिना किसी डिग्री के आर्ट टीचर मिलेंगे। हमारे यहां ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे, ऐसे लेक्चरार्स मिलेंगे जिनकी वास्तविक कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो मुझे यहां पर भी वही भावना दिखाई पड़ती है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया है कि एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन नियुक्त किया है वह चेयरमैन ऑफ बोर्ड नहीं रहेगा। ऐसी मन्शा है। यह आप बता रहे हैं। यह मन्शा इसी रूप में रहने वाली है, इसका कुछ न कुछ प्रावधान बिल में होना चाहिए। वह कहीं पर बताया गया हो वह यहां पर नहीं है। यहां पर साफ है कि बोर्ड का पूरा इन्चार्ज रहेगा, और पूरा काम वह करने वाला है। वह कभी भी चेयरमैन नहीं होगा, अगर यह मन्शा है जैसी कि आपने कहा कि वह काम चलायेगा तो स्पष्ट लिखना चाहिए। आज नियुक्ति हो गई लेकिन उस समय बराबर सदन की भावना की अवहेलना करके बिना ख्याल रखे इस तरह से किया गया तो उस समय क्यों नहीं जो सदस्यों ने सुझाव रखे थे, उनको मानकर ऐसा क्यों नहीं कर लिया। अब अलग अधिकारी इस काम को करने के लिये रखा जाय यह कैसे उपयुक्त है। बहुत आवश्यकता मालूम पड़ती है इस तरह से करते हैं। यह मन्शा है तो ठीक है कि बोर्ड का इन्चार्ज एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन होगा वह कभी भी बोर्ड का चैयरमैन नहीं होगा। तो यह स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए नहीं तो यह होगा कि कुछ दिन बाद वह एडिशनल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन बोर्ड का इन्चार्ज होने की वजह से उसको अधिकार होगा और उसी अधिकार से जाकर यह संघर्ष पैदा होगा, और संघर्ष पैदा हुआ तो शिक्षा विभाग और शिक्षा प्रणाली पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हाइअर सेकन्ड्री एजूकेशन बोर्ड को दो साल काम करते हुए नहीं हुए कि बिना ही काम उसमें कितनी गड़बड़ चल रही है। परीक्षा हुई तो इतने दिनों बाद परीक्षा हुई और परीक्षा में पेपर्स आउट हुए। यहां तक हुआ कि पेपर पहले दिन खोला गया और खोलने के बाद कोटा में २४ घन्टे परीक्षार्थियों को हाल में नज़रबन्द रखा गया और फिर परीक्षा ली गई। इस तरह से भी हम लोगों को मालूम पड़ा कि कहीं पर पेपर आउट हुए तो कहीं पर कुछ हुआ। हाइअर सेकन्ड्री एजूकेशन बोर्ड का काम अच्छी तरह चल नहीं पाया है और इस तरह के प्रोवीज़न करते चले जा रहे हैं। इस तरह से कोई जिम्मेदार नहीं बना सके किसी को भी। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एक को दे दी है तो पॉलिसी निर्धारण की साइड दूसरे को देदे ते हैं। इससे यह होता है कि सात मामों का भानजा र भूखे का भूखा रहता है, पॉलिसी कहीं से आती है और क्रियान्वित करने वाला और कोई होता है, तो इससे बहुत गड़बड़ होती है और शिक्षा की हालत में खराबी होती है। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा अच्छी हो, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज को बनाने वाली चीज़ है और शिक्षा संचालन करने वाले संगठनों के साथ इस तरह की बातें करें वह ठीक नहीं है। मुझे इस तरह के विधेयक की आवश्यकता नहीं मालूम होती है। उसको इस तरह से यहां पर नहीं लाना चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जवाब नहीं दिया है।

श्री सभापति (मुख्य मन्त्री की ओर देखकर) : प्रश्न यह है कि राजस्थान हायर सेकन्ड्री एजूकेशन एमेडमेंट बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री) : चैयरमैन महोदय, इस विधेयक को पारित किया जाय, ऐसा मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२. १३ म०प०

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (एमेंडमेंट) बिल, १६५६।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज़ (एमेंडमेंट) बिल, १६५६, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, राजस्थान के मन्त्रीगण के वेतन के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ है, यह हमेशा सदन के अन्दर बहुत बार इस बात की चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि इस प्रकार की शिकायतें आती थीं कि पेट्रोल ज्यादा जल रहा है। कई इस प्रकार की शिकायतें आती थीं। इसके प्रति मन्त्री महोदय सदन में बताते थे कि इस प्रकार से तय कर दिया गया है कि दो गैलन प्रति दिन के हिसाब से अधिक पेट्रोल नहीं दिया जायगा। इसके बाद में कोई असंतोष की बात नहीं दिखाई देती है। सारी यह बातें आलोचना का विषय हुई। इन सारी बातों के लिए एक विधेयक सरकार ला रही है। विधेयक लाये तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेकडेअर से कानून बनाने का उन्हें अधिकार नहीं है जैसा कि इसमें कहा गया है कि राज्यपाल महोदय नियम बनायेंगे। नियम बनायेंगे तो इस प्रकार से नियम बनायेंगे जो प्रचलित हैं, लेकिन कम से कम सदन को पता होना चाहिए कि क्या नियम बने हैं और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की गाड़ियां मिली हैं और किस तरीके से उनका उपयोग कर सकते हैं, किस किस प्रकार की फेसिलिटीज़ हैं? कम से कम सदन को उनका परिचय होना चाहिये। आज जो विधेयक आया है उस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है। कब यह नियम बनेंगे? और बनाने के बाद सदन की टेबिल पर रखे जायेंगे या नहीं जिससे सदस्यों को पता हो जाय कि इस प्रकार के नियम बने हैं, क्योंकि हमें डर है कि जो कुछ सेक्रेटेरियेट के द्वारा जायगा उसके ऊपर राज्यपाल महोदय की सेन्क्शन हो जायगी। उसके बाद में लागू हो जायेंगे। तो सदन को क्या मालूम हो कि इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है तो कोई बात नहीं है। कोई नियम बनायें तो कम से कम मन्त्री महोदय इतना प्रावधान रखें कि जो भी नियम बनेंगे वह सदन के सामने रखे जायेंगे और उन पर सदन के सदस्यों की मर्जी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होगी तो उन पर विचार होगा, वर्ना जिस प्रकार की शिकायतें अब तक रही हैं। वही अब भी लोगों के मन के अन्दर शिकायतें रहेगी। बिना सदन की स्वीकृति के नियम जो बनने वाले हैं तो कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। मन्त्री महोदयों की जिस प्रकार से लाभ होगा उस लाभ या बात को देखकर जिस प्रकार से चाहेंगे नियम बनावेंगे। केबिनेट की ओर से जायगा तो राज्यपाल महोदय की स्वीकृति हो जायगी। देकड़ोअर से कानून बनाने का मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। अगर इतना सा प्रोवीज़न रख दें कि बाद में नियमों की प्रतिलिपि सदन के सामने रखी जायगी, और प्रतिलिपि पर सदन के सदस्यों को एतराज होगा तो १५ दिन के अन्दर एतराज रख सकते हैं और उन एतराजों पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार का जो प्रावधान है वह ठीक है। लेकिन केवल इस प्रकार से सदन की स्वीकृति लेकर इस प्रकार का विधेयक लाया गया है, उस विधेयक का मैं विरोध करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I would like to have a little clarification on it. इसमें लिखा है कि "The use and maintenance of the house and State car referred to in sub-sec. I shall be regulated by rules made in this behalf by the Governor." तो यह जानना चाहूँगा कि आज तक यह अनरेग्यूलेटेड था। हाउस का और सारी चीजों का कार का अनरेग्युलेटेड था। उसको अब आप रेग्युलेट करना चाहते हैं। तो वह रेग्युलेशन जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया है सदन के सामने रखना चाहिए The regulation for all this is under the the control of the House. आज जिस ढंग से रखा है उससे कोई डिफरेन्स महसूस नहीं होता है It may be unregulated but there must be some system of regulation. इसके मुताबिक इसका मेन्टीनेंस होगा But there must be some system उस सिस्टम में जो बिल लाये हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो अनरेग्युलेटेड था। किस सिस्टम से हाउस वगैरह कन्ट्रोल किये जाते थे और अब क्या फर्क करना चाहते हैं, उसका क्या डिफरेन्स पड़ेगा After all it is an executive order and these rules are to be framed by the executive. यह इस एमेंडमेंट बिल में नज़र नहीं आता है। इसलिए इस बिल को मैं रिडन्डेन्ट समझता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, इस सदन में कई दफा इस तरह की जो बातें आई हैं..

श्री भैरोंसिंह : क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं या डिबेट का जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब दे रहा हूं और क्लेरिफिकेशन भी कर रहा हूं।

श्री सभापति : Yes, You will have a right to speak.

श्री रामकिशोर व्यास : आप बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : क्लेरिफिकेशन हो जाय उसके बाद में देख लेंगे कि बोलने की आवश्यकता है या नहीं ?

Page No.86

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह है कि क्लेरिफिकेशन के लिए माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं। उनका क्लेरिफिकेशन होने के बाद डिबेट के अन्दर उन बातों को रखना है या नहीं स्पष्ट हो जायगा। इसलिए आप क्लेरिफिकेशन कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें दिया हुआ है। कई दफा सदन में कहा गया है कि रूल्स नहीं है तो यह रूल्स बनाने की बात है। कई दफा कहा गया है कि कोई पाबन्दी होनी चाहिए तो पाबन्दी लगा रहे हैं, आप लोगों की मर्जी के मुताबिक।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मन्त्री वेतन संशोधन विधेयक जिस प्रकार से पेश किया गया है और माननीय मन्त्रीजी के शब्दों में माननीय सदस्यों की इच्छा पूर्ति की गई है, इसके लिये मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं उनको दाद देता हूं, इस बात की कि आखिर सदस्यों की भावना का उन पर असर हुआ है। जो इफेक्ट हुआ है, वह इस प्रकार का हुआ है कि केवल कहने मात्र के लिये यह संशोधन रख दिया जाय और सदस्यों की भावना को एप्रेसियेट किया गया है, यह कह दिया जाय। यह केवल इस दृष्टिकोण से रखा गया है तो इसमें कोई विरोध करने का कारण नहीं पर मन्त्री महोदय का उत्तर आयेगा तो कहा जायगा कि यह दृष्टिकोण नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले ७ वर्षों में कई बार इस सदन में प्रश्न पूछे गये हैं कई बार मन्त्री महोदयों का ध्यान आकर्षित किया गया है, कई बार उन प्रश्नों के उत्तर मिले हैं जिनमें कुछ अंशों में उन्होंने स्वीकार किया है कि रूल्स के अभाव गाड़ियों के उपयोग के बारे में निश्चित बात नहीं कही जा सकती कि किस हद तक गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ है, अब हम रूल्स बनायेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार के बनाने के आसार नहीं हैं, बनाने के आसार होते तो ५२ से ५६ तक इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं थी। पर कुछ विधान सभाओं में सरकारी गाड़ियों के उपयोग और सरकारी भवनों के उपयोग के सम्बन्ध में, इस सेशन में, इससे पहले के सेशन में और ५७ में कुछ राज्यों में कानून बन गये हैं। तो इन्डायरेक्ट प्रेशर हमारी सरकार पर भी आ गया कि मनमाने ढंग से सरकारी गाड़ियों और भवनों का उपयोग करना चाहते हैं, वह अब नहीं चल सकता। अब मन्त्रीजी कहते हैं कि सदस्यों की भावना को एप्रेसियेट करके ये रूल्स पेश किये जाते हैं। एप्रेसियेट करना है तो मन्त्रियों के लिये जो रूल्स बनाते हैं वे गवर्नर के हाथ से नहीं बनाये जायं, गवर्नर मन्त्रियों को जानते हैं, पर सदन के सदस्य मन्त्रीयों को गवर्नर से ज्यादा जानते हैं, किस प्रकार गाड़ियों का दुरुपयोग होता है, हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं पर सदन के सदस्यों को इन सब बातों का पूरा परिचय है इसलिये यदि कोई कानून बनाते हैं तो कोई नियम बनाते हैं और सदन के माननीय सदस्यों के सुझाव लिये जाते हैं, सदस्यों के द्वारा नियम बनवाये जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों की इच्छापूर्ति के लिये ऐसा किया गया है।

पर इसमें बहुत होशियारी से काम

(श्री भैर सिंह)

लिया गया है। राज्यपाल महोदय कानून बनायेंगे मन्त्री महोदयों के लिये। राज्यपाल महोदय के प्रति पूर्ण श्रद्धा बताते हुए यदि मैं यह कहूँ कि राज्यपाल महोदय के पास लॉ डिपार्टमेंट नहीं है, इन्डिपेन्डेन्ट वर्किंग नहीं है, हमारे लॉ डिपार्टमेंट और सरकार की मंजूरी से रूल्स ड्राफ्ट कर के भेजेंगे उस पर राज्यपाल महोदय दस्तखत करेंगे जैसा कि वे करते हैं और कहते भी हैं। तो सरकार उनकी मोहर लगा कर कह दे कि मन्त्रियों के लिये हमने कानून बनवाया है, थर्ड पर्सन से बनवाया है, हमारे लिये कानून बनाने का अधिकार दूसरे को दिया है हमने उपयोग नहीं किया है। वैसे देखा जाय तो सिद्धान्त बड़ा सुन्दर है पर सरकार थर्ड पर्सन से कानून बनवाना चाहती है तो वह थर्ड पर्सन गवर्नर इफेक्टिव होगा या सदन के सदस्य इफेक्टिव होंगे। आज प्रश्नोत्तर काल में जिस तरह का उत्तर दिया गया, हालांकि एक सरकारी अधिकारी के लड़कों को घुमाने के लिये सरकारी गाड़ी हनुमानगढ़ से गंगानगर गई, सरकारी गाड़ी को प्राइवेट कार्य के लिये काम में लिया गया, वैसे गाड़ी में मन्त्री महोदय खुद बैठे हुए हैं और जो मुश्तेहक नहीं हैं गाड़ी चलाने के वे गाड़ी चला लें तो कोई बात नहीं, सदन में आसानी से कह देते हैं रूल्स का कोई वायोलेशन नहीं हुआ।

तो इस तरह सरकार राज्यपाल महोदय की मोहर लगा कर कह दे कि मन्त्रियों के लिये कानून बनाया है। थर्ड पर्सन ने बनाया है, हमने हमारे लिये कानून नहीं बनाया, तो मैं चाहूंगा कि इतनी उदार तो नहीं कहूंगा पर सेंस ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी महसूस करनी चाहिये कि उनके सम्बन्ध में बनने वाले नियमों का किस किस तरह उपयोग होगा, वे नियम वे राज्यपाल की आड़ में स्वयं न बनायें बल्कि सदन में इस प्रकार के नियम बनाने के लिये रखें। दुःख की बात है कि यातायात मंत्रीजी सदन में मौजूद नहीं हैं, वे कई बार कह देते हैं कि यदि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिये सरकारी गाड़ी गई तो गई, सरकार का पेट्रोल खर्च थोड़े ही होता है। इसके पीछे एक बात छुपी हुई है। पेट्रोल के सम्बन्ध में हमने पेट्रोल की लिमिटस रख दी हैं कि ज्यादा खर्चा हुआ तो मन्त्री महोदय का खर्चा होगा पर मोटर का वीयर एन्ड टीयर का खर्चा आता है वह कौन बर्दाश्त करता है? मन्त्री महोदय बर्दाश्त नहीं करते, गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। आज यदि कहा जाय कि मन्त्रियों के बच्चों को ले कर के सरकारी गाड़ियां सेंट जेवियर जाय या और कहीं जांय तो सरकार का खर्चा न हो कर मन्त्रियों का खर्चा होता है तो मैं समझता हूं कि नियमों में कहीं वह प्रावधान नहीं है कि गाड़ियों के वीयर एन्ड टीयर का खर्चा मन्त्रियों से लिया जाय, यह खर्चा गवर्नमेंट को बीयर करना पड़ता है।

प्राइवेट काम में सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है तो जिस प्रकार मन्त्री गण करेंगे उसी प्रकार उनके नीचे के अधिकारी गण भी करेंगे। सरकारी गाड़ी में उनके बच्चे सेंट जेवियर और गर्ल्सस्कूल जाते हैं, तो अधिकारियों के बच्चे भी जायेंगे। जहां मन्त्रियों की गाड़ियां बाज़ार में खड़ी रख कर उन गाड़ियों में सब्जी और कोयले डाले जाते हैं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की गाड़ियों में भी सब्जी और कोयले डाले जायेंगे क्योंकि इनकी गाड़ियां बाज़ार में जाती हैं। तो आगे

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्रियों की गाड़ियां सब्जी कोयले लिये तैयार मिलती हैं। उसका उदाहरण है कि हनुमानगढ़ से दो बच्चों को गाड़ी में गंगानगर भेज दिया गया, उसे हाउस में प्रोटेक्शन दिया गया। इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार का आदर्श जीवन की प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे मंत्रीगण। आप जिस प्रकार की प्रेरणा देंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव पड़ेगा, या आप जिस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, वैसी कार्यवाही अधिकारी करेंगे। मैं समझता हूँ कि मंत्रियों का आचरण अच्छा हो तो उससे प्रशासन का आचरण अच्छा होगा। मंत्रियों पर इल्ज़ाम है कि हाउस में सही उत्तर नहीं देते हैं, तो ऑफिसर भी सही उत्तर नहीं देंगे। मंत्री विधान सभा में क्वेश्चन्स को गलत ढंग से पुट अप करते हैं तो ऑफिसर्स भी करेंगे। लोगों को प्रेरणा देने का, इस प्रकार का स्वभाव बनाने का काम ऊंचे लोगों पर है, ऊंचे लोग इस प्रकार के छोटे छोटे काम करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि मंत्रियों की हालत काफी अच्छी है, माली हालत अच्छी हो या न हो, शरीर की बनावट में तब्दीली हुई है। अगर माली हालत अच्छी नहीं होती तो शरीर अस्वस्थ रहता है। शरीर सुन्दर है, पर्सन-लीटीज़ पहले से बनी है, शरीर का रूपान्तर भी हुआ है, यह इस बात का द्योतक है कि मंत्रियों की माली हालत अच्छी हुई है। जब माली हालत अच्छी है तो वे गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत परिस्थिति यह है कि मंत्री बनने के बाद गाड़ी बेच देते हैं और इसलिए बेच देते हैं कि अगर प्राइः वेट टूर की आवश्यकता हुई तो सरकारी गाड़ियों में टूर होते हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्रियों को ब्रोड माइन्डेड होने की आवश्यकता है, मंत्री एक राजनैतिक जीवन के आदर्श हैं, उनके आदर्श में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसका असर समाजिक जीवन पर पड़ता है और उसका असर राजनैतिक जीवन पर भी पड़ता है और उसका असर प्रशासन पर भी पड़ता है। आज आप अपने नियमों के सम्बन्ध में गवर्नर की आड़ लेकर असेम्बली की मोहर लगवाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी आपको खुश करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ रिटर्न चाहते हैं। एक कानून अगर मंत्रियों के लिए सुविधाजनक बन जायगा तो दूसरी तरफ ऑफिसर्स के लिए आप नियम सुविधाजनक बना सकेंगे। यह एक रेसीप्रोकल अरेन्ज़मेंट है। हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स के रूप में मंत्री लोग हैं, उनकी एफिशियेन्सी इस प्रकार साबित होती है और रेसीप्रोकल अरेन्ज़मेंट के कारण इस प्रकार की व्यवस्था चलती है, जो ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बिल बड़ा इन्नोसेन्ट है, शायद हमारे मंत्री भी कहेंगे यह बहुत इन्नोसेन्ट बिल है, छोटा सा बिल है. इसमें छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन रूल्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सभापति महोदय, अब की बार बजट में एक कटु अनुभव हुआ है। आज के एक वर्ष पहले, जब कि देश के प्रधान मंत्री ने एक मांग की थी कि सरकार के बजट में घाटा है, जनता पर टैक्सेशन का भार है, सरकारी ऑफिसर मितव्ययता का सिद्धान्त स्वीकार करें। इस कारण अल्प बचत योजना के अन्तर्गत पैसा इकट्टा हुआ। गवर्नर राज प्रमुख, राजा महाराजा ने अपने प्रिवी पर्स आदि से वालियन्टरीली कट कराते, तो उसका स्वागत किया जा सकता था। उस समय मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

गए भी जोश में आये, क्योंकि नया नया मंत्री मंडल बना था, प्रधान मंत्री को खुश करने के लिए, अखबारों में नाम छपवाने के लिए, एक दिन अखबार में मुख्य मंत्री का नाम आया कि मुख्य मंत्री ने १० प्रतिशत कटौती स्वीकार की है। दूसरे दिन गृह मन्त्री का नाम आया कि १० प्रतिशत कटौती गृह मन्त्री जी ने स्वीकार की है। किसी किसी के फोटो भी आये, किसी की सराहना हुई, जनता में भावना बनी कि हमारे मन्त्री लोग १० प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं। लेकिन अब क्या देखा कि चुपके से, क्योंकि एक लाइन बजट में छापना जरूरी था, अगर प्रेस पर अधिकार होता तो कुछ वर्ड्स में बता सकते थे जिससे कि लोग समझें नहीं लेकिन बजट में स्पष्ट भाषा में आ गया कि १० रुपये की कटौती वापिस ले ली है, १० रुपये की कटौती राजस्थान के मन्त्री लोगों ने वापिस ले ली, जब कि भारतवर्ष के दूसरे राज्य के मंत्री उसी तरह कटाते रहें। इसके साथ ही लोगों से अल्प बचत के नाम से पैसा लिया जाय, बजट में घाटा है, उसके लिए ५८ लाख के टैक्स लगाये, मोटर रखना जरूरी है, इसलिए उसके लिए प्रावधान रखा जाय। आज आपके लिए मोटर जरूरी है लेकिन जिस समय मंत्रीमण्डल से इस्तीफा देते हैं, राजनैतिक परिस्थितियों से निकाल दिये जाते हैं, उस समय मोटर से रिक्शा और रिक्शे से पैदल और पैदल भी सिर पर बस्ता रख चलते हैं, सिर नीचा रहता है। मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य और मंत्रियों में, जहां तक इलेक्टोरल का सवाल आता है, कोई अन्तर नहीं है सिवाय इसके कि आपके पास कुछ एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स हैं, आप उन पॉवर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके पास सुविधायें इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिनके आधार पर डेमोक्रेसी में चुने हुए व्यक्तियों के ऊपर लांछन लग सके। लांछन उस समय लगता है जब मन्त्रि मण्डल में से निकलने के बाद मोटर से रिक्शे पर, और रिक्शे से साईकिल पर चलते हैं, सिर नीचा करके बाज़ार में निकलते हैं. सब्जी वाले के पास नही जाते हैं, विधान सभा में बैठ कर बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, उस समय ऐसा लगता है और पांच वर्ष का ज़माना याद आता है, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में है। यह हमारे राज्य का सौभाग्य समझिये कि मुख्य मन्त्री जी मंत्रिमण्डल के एक्सपन्शन के लिए सबको कहते हैं, तुम्हारा अब नम्बर आने वाला है, उसके कारण लोगों को तसल्ली रहती है, उसके कारण एक लिमिटेड पीरियेड समझ कर समय गुजार देते हैं और आशा रहती है कि विधान सभा का सेशन खत्म होते ही एक्सपन्शन होगा जब तक मोटर में चलें। सेशन खत्म होने के बाद वे देखते हैं कि अब कि नहीं हुआ तो मोटर से रिक्शे में आये। जिस रोज समझ लेंगे कि एक्सपन्शन होगा तो पैदल चलेंगे। इस स्थिति में आप लोगों की आदत खराब होती है, मुझे रहम आता है। आपकी हालत में कोई रेडीकल चैन्ज न हो, मंत्रियों को यह आदत बनानी चाहिए कि मंत्रिमंडल में से निकलने के बाद अपनी इस प्रकार की हालत को मेन्टेन कर सकें ताकि लोग इल्ज़ाम न लगाये कि जब मंत्री थे उस समय इतना एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर होता था, यह तनख्वाह से होता था या सरकारी स्पेशल प्रिवलेज़ से होता था, या जो फैसेलिटीज़ थी, उससे होता था या कोई अनुचित....एक तरफ तीन चीजें हैं, लेकिन फैसेलिटीज़ को प्रोवाइड करके

(श्री भैरोंसिंह)

उसे जायज़ समझने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। आज कह दिया जाय कि मन्त्री गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उसमें उनके लोग सब्जी खरीदने भी जाते हैं। मैं मंत्री जी को कह सकता हूं कि आप स्वयं चले, सब्जी मंडी में खड़े हों, वहां से कुछ दूर गाड़ी को खड़ी कर दें और फिर जनता की जनरल ओपिनियन देखेंगे कि उस गाड़ी के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार की फीलिंग आज मंत्रियों के लिए है। लेकिन मंत्रीगण एक कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी का एक पिलर हैं, उनके प्रति कोई शिकायत होती है, चुने हुए मंत्रियों के प्रति कोई शिकायत होती है तो डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धान्त पर एक लांछन आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल सादा, साधारण और मैं समझता हूं, आम जनता का जिस प्रकार का रहन सहन है, उसी प्रकार का रहन सहन मंत्रियों का होना चाहिए। उस रहन सहन के लिए नियम बनाने होंगे, उन नियमों में किसी प्रकार बंगले में कमी नहीं होगी, लेकिन किस प्रकार के बंगले होंगे, किस प्रकार फरनिस्ड बंगले होंगे, ऐअर कन्डीशन्स बंगले होंगे या नहीं, जो हाउस की व्यवस्था की है, उसमें गार्डन कैसा होगा, उस पर कितना खर्चा होगा ये सारी बातें उन रूल्स में आने वाली है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि वे सादगी के द्योतक है, वे अपने आपको बताते हैं कि सादगी के द्योतक हैं, कि कम से कम उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह कानून राज प्रमुख नहीं बनाये, बल्कि विधान सभा बनाये और उस पर राजप्रमुख की स्वीकृति हो जाय, जिससे दोनों का मतलब पूरा हो जायगा। विधान सभा में मेम्बर कुछ कह सकेंगे, वे उनकी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठने की इज़ाजत रखी जायगी, बंगले में रहने की इज़ाजत रखी जायगी, खुद का मकान छोड़ कर अगर 'सी' स्कीम में बंगले में चले जांय, तो उसकी व्यवस्था रखी जायगी कोई हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी एम. एल. ए. का जयपुर में मकान है, तो उसे सरकारी बिल्डिंग या बंगला अलॉट नहीं हो सकता। इसके लिए हाउस कमेटी ने रूल बना दिया। लेकिन मन्त्री महोदय का जयपुर में मकान हो वे चाहे सरकारी बिल्डिंग में रहे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। जब इस प्रकार का अलग अलग दृष्टिकोण देखा जाता है तो यह कहा जाता है कि स्पेशल प्रिवलेज़ क्लॉज़ के नाते इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, यह उपयोग धीरे धीरे जनता में भ्रान्ति पैदा करता है, अश्रद्धा पैदा करता है, डेमोक्रेसी के प्रति अश्रद्धा होती है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि ब्लेन्क पेपर पर दस्तखत न करा कर रूल्स का प्रारूप, जिस तरह गवर्नर महोदय से पास करवाना चाहते हैं, वह विधान सभा से पास कराये, उस पर विधान सभा के सदस्यों की राय लें, उसके बाद जिस प्रकार उचित विधान सभा समझे, उस औचित्य के आधार पर उसको पास करे तो समझा जायगा कि ब्लेन्क पेपर पर दस्तखत नहीं कराये और यदि गवर्नमेंट गवर्नर के नाम पर इस बिल को पास कराया जाता है तो सभापति महोदय, आज बहुमत सरकार के साथ है इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती और बहुमत से यह पास हो सकता है। यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार की चीज़ पर

(श्री भैरोंसिंह)

केवल गवर्नर कानून बनाएगा और हमारे पर यह लागू होगा। यह बहुमत से यहां पास हो सकता है। मगर इस बहुमत से पास करने का मतलब यह है कि हर समय बहुमत के आधार पर आप जाय बेजा कर सकते हैं और करते हैं। मगर इस प्रकार बहुमत का उपयोग होता है तो इससे सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको बहुमत के दायरे को छोड़ कर दूसरों के बनाये हुए कानूनों को लागू करने की मोहर यहां से लगवाना और लगवाने की गलत चेष्टा नहीं की जावे। जितने भी कानून मंत्रियों आदि के व्यक्तिगत सुविधा के लिये बनते हैं, उसके बारे में विधान सभा में चर्चा की जावे और अगर ऐसा किया जावेगा तो मैं समझता हूं कि पब्लिक उनका स्वागत करेगी कि मंत्रियों ने भी अपनी जरूरत की चीज़ों को विधान सभा से स्वीकार कराया है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस कानून को विधान सभा से पास कराएंगे और विधान सभा जिस प्रकार इसको पास करेगी उसी प्रकार इसको लागू करना है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यह बातें कही हैं और मैं समझता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो सदन के सामने रखा है उसमें इतनी एतराज़ की बातें बताई उतनी मुझे तो दिखाई नहीं देती बल्कि जो दलीलें उन्होंने विरोध में दी गई हैं मैं समझता हूं कि वे दलीलें पक्ष में जानी चाहिये। यह कहा गया है कि मोटरों को बाज़ार में सब्जी लाने के लिये, कोयला लाने के लिये और लड़कों लड़कियों को पाठशाला और स्कूल में भेजने के लिये उपयोग की जाती है और जितना पेट्रोल खर्च होना चाहिये उससे ज्यादा खर्च किया जाता है। यह सब दलीलें हैं। कायदे बनने चाहिये। इससे नतीज़ा यह निकलता है कि अगर इसके लिये किसी प्रकार के नियम नहीं हैं तो नियम जरूर बनने चाहिये। मैंने जो दलीलें दी हैं, इस बात को ज्यादा मज़बूत करती है कि कायदे बनने चाहिये और अगर इस कमी को पूरा किया जाता है तो उचित है। आप क्यों इस बात पर ख्याल फर्माते हैं कि आपकी जो बातें हैं उन पर ध्यान नही दिया जाता है और उन पर वज़न नहीं दिया जाता है। मान लें कि और सभाओं ने किया है, सूबो मोटो कारण है। इसी कारण से समझिये नतीजा यह है कि जहां नियम बनाने की बात आती है तो नियम बनने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह विरोध नहीं है। आप बनाइये।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सभी बातें कही हैं। इसके लिये ब्रोड प्रिन्सिपल्स हैं। अब यह प्रश्न आता है कि मोटरों का दुरूपयोग होता है। मैं यह कहूंगा कि ज़माना आ रहा है पैदल चलने वाले मिनिस्टर होंगे और जो मिनिस्टर मोटरों में रात दिन फिरते हैं, उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे मोटरों में ही फिरें। आज जो मोटरों में चलते हैं वे किसी रोज फिर उसी तरह आ जावेंगे पैदल चलेंगे या रिक्शे में चलेंगे या तांगे में आ जावेंगे। ऐसे ही लोग मिनिस्टर होंगे जो पैदल चलेंगे। इसलिये कोई इसमें अपमान और बुराई की बात न समझें पैदल चलते हैं। वे लोग किसी दिन मिनिस्टर होंगे

Page No.92

(श्री रामकिशोर व्यास)

और मोटरों में चलेंगे और फिर पैदल चलेंगे। इसमें बुराई की बात नहीं समझते हैं। आज मिनिस्टर हैं उसकी कुछ जिम्मेदारियें हैं आप उसको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये कुछ सहूलियतें देते हैं। अगर आप समझें कि कारों की जरूरत नहीं है या बंगलों की जरूरत नहीं है तो सदन इस बात को तय कर दे। यह तो समझने की जरूरत है। यह तो ब्रोड प्रिन्सिपल्स है कि उनको रहने के लिये मकान दे दिया जावेगा। अगर यह हाउस इस बात का निर्णय लेता है कि उनको मकान नहीं दिया जावे या कार नही दी जावे तो हाउस को निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर आप यह निर्णय लें कि मिनिस्टर को मोटर की जरूरत नहीं है और और जगह ऐसा हो गया है तो यह सोचने की बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन ने इस सम्बन्ध में जो सिद्धान्त तय किये हैं उसके बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं है। सारे बंगलों में रहें और अगर कोई बंगलों में नहीं रहे तो भी आपको चुभते हैं। अगर कोई सरकारी बंगलों में रहते हैं उससे किसी को नाराज़गी हो तो क्यों होनी चाहिये बिना वजह ही नाराज़गी। जो उनके अधिकार हैं उनको पूरा करते हैं। हाउस में मौजूदा रूल के माफिक चलते हैं। जब उनको रेगुलेट करने की बात आती है तो आप कहते हैं कि उसका दुरूपयोग होगा। आपने यह सिद्धान्त रखा है कि मिनिस्टर को एक मकान मिलेगा और एक मोटर मिलेगी जो आपने लिमिटेशन रखी है उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है। मोटर रहेगी तो कितना पेट्रोल का यूज होगा। ६० गैलन के बाद क्या होगा।

श्री भैरोंसिंह : तो आप इस सब को विधान सभा में आने दें।

श्री रामकिशोर व्यास : जो आपने जनरल प्रिन्सिपल्स रखे हैं उसके अनुसार कार्य होता है। अगर आपको गवर्नमेंट में विश्वास नहीं है तो अविश्वास होने पर सारे अख्तियार छीन लेना। जब तक आपको और सदन को विश्वास है तब तक आपको सारे अधिकर देना होगा। बगैर विश्वास के बिना तो कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती और आपको कुछ अधिकार देने ही होंगे। अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट चलेगी कैसे ? नियम आखिर डिस्कस होने चाहिये। आपने सिद्धान्त तय किया है मकान देना चाहते हैं। इसमें किसी दिन आपको भी दिक्कत आ सकती है, आपका नम्बर भी आ सकता है लेकिन अभी तो प्रोबेबली कोई पोसिबिलिटी नज़र नहीं आती है।

श्री भैरोंसिंह : आप इसी प्रोसिबिलिटी से काम करें....

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो मिनिस्टर नहीं था तब भी मोटर रखता था और अब भी रखता हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत बात नही है। यह तो मैं जनरल बात आपके सामने रखता हूं। मैं यह कहूंगा कि जो पैदल चलते हैं और पैदल चलेंगे वे ही लोग आगे आवेंगे और वही रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मोटर वाले वापिस पैदल चलते नज़र आवेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर आवेंगे।

Page No.93

(श्री रामकिशोर व्यास)

मोटर तो आने और जाने वाली चीज़ है। हमेशा किसी के पास रहती नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : चलती का नाम गाड़ी है।

श्री रामकिशोर व्यास : मोटे सिद्धांतों को समझ लें। अब रहा कि जो नियम हैं आपको मालूम कैसे होगा। मैं यह कहूंगा कि वे गज़ट में निकलेंगे और आपको मालूम होगा। बहुत सी बातें हैं जो राजपत्र में निकलती हैं। इसमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती और मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिये। यह नहीं कि हमने उसको चुपके से रख दिया हो।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On a Point of order, Sir, सभापति महोदय, हाउस के सामने रूल्स पेश करने में घबराते क्यों हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : घबराने का सवाल नहीं है। आप इसको पास कर दें आप समझते हैं इसका दुरुपयोग होगा तो वह भी आपके सामने आयगा आपको अविश्वास नहीं होना चाहिये। बिना विश्वास के कोई काम चलने वाला नहीं है।

श्री अर्जुनदास : All that we demand is that let the Rules come before the House and discuss them and consider them. Probably you feel that your grounds are shaky.

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिया की किसी भी धारा सभा में ऐसा नहीं है यह पावर्स गवर्नमेन्ट को होते हैं गवर्नमेंट ही इसको रेग्युलेट करती है। चुपके चुपके करने का सवाल नहीं है। सब की नोलेज का सवाल है गजट में चुपके से रख दिया गया हो यह बात नहीं....

श्री भैरोंसिंह : क्यों रख दिया कौन से काम आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : चौड़े धाड़े रखा है, इसमें छिपाने की बात नहीं है। यह तो आपके फरमाने का तरीका है।

श्री भैरोंसिंह : कटौती क्यों कर दी इसके बारे मे क्या है।

श्री रामकिशोर व्यास : हम लोग जो कहते हैं उस पर आपको कम विश्वास होता है। इसके लिये आपसे निवेदन करूंगा कि आप विश्वास करिये। इतना ज्यादा अविश्वास करना मुनासिब नहीं है। आपको भी देखना चाहिये आजमाना चाहिये। मंत्री मण्डल ने कहां तक ठीक रखा है, यह आपको देखना चाहिये इन शब्दों के साथ नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह नियम बनाने की मामूली बात है इसको आप स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस

(श्री सभापति)

विधेयक को पास किया जाय। जो इसके पक्ष में हों 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस पर हमें बोलना है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : थर्ड रिडिंग पर बोलना है।

श्री सभापति : That opportunity has gone.

The Hon'ble member should be more attentive.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, विचारार्थ लेने का प्रस्ताव जिस समय रखा गया था, उस समय माननीय सदस्य भी खड़े थे और आप भी खड़े थे, यह प्रश्न कि कौन बोलने खड़ा हुआ था यह तो चेयर के निर्णय का है, लेकिन जहां तक माननीय सदस्य के बोलने के लिये कहने का प्रश्न है, वह तो आपके विधेयक को पारित करने के लिये रखने से पहले ही उन्होंने कह दिया था।

श्री सभापति : मैंने जब यह कह दिया कि बिल को पारित किया जाय और जो इसके पक्ष में हां कहें। हां पक्ष हो गया उसके बाद माननीय सदस्य बोले कि मैं बोलना चाहता हूँ।

(प्रोसीडिंग से वेरीफाई करने के बाद)

'हां' पक्ष हो गया। जो इसके विरोध में हों 'ना' कहें।

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

विधेयक को पारित किया गया।

(विराम)

१२.५५ म० प०

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५९

(विचारार्थ लिया जाना)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन : संशोधन विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : It should now be taken up tomorrow Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : There is nothing like that.

श्री पी० के० चौधरी : This legislation should not be passed in such a hurry.

श्री रामकिशोर व्यास : इस पर मैं कुछ अर्ज कर दूँ। इसमें यह था प्रोवीजन अपील के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में अपील को ले करे। उसके बारे में कि रिप्रेजेन्टेशन्स आये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील राइज होनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां लपील नहीं होती है वह इसमें कर दिया गया है अपील वहां पर भी लाइ करेगी वैसी यह बहुत सिम्पल है। अपील

(श्री रामकिशोर व्यास)

का मामला है जो क्लीअर नहीं था वह क्लीअर कर दिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है इसको हम एक हरिड-लेजिस्लेशन की तरह पास न करें इसका यह टिपीकल नमूना है। कई दफा हम देखते हैं कि इस तरह से हरिड लेजिस्लेशन पास करने से यह होता है कि कई दफा हमें अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं उसमें यह कह जाता है कि फलां चीज़ गलत हो गई उसको रेगुलेराइज करना है। इसमें जो अमेन्डमेंट आया है डिस्ट्रिक्ट जज़ एवरी ऑर्डर अन्डर दिस "From every decree or order passed by a court under this Act an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from original decrees and orders passed by such former court."

इसका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्डरीजन्स है उसमें रखा था कि डिस्ट्रिक्ट जज़ के ऊपर अपील नहीं रहेगी। ओरीजनल जो एक्ट है उसके अन्दर यह कैसे डिसाइड होता है कि कहां अपील की गुंजाइश रहती है एनी अपील "An appeal shall lie to the Court of District Judge from every decree or order passed by a Court under this Act." आपने जो लेजिस्लेशन पास किया है उसमें यह विसूलाइज नहीं किया है कि डिस्ट्रिक्ट जजेज़ जो फैसला देंगे, उसकी अपील कहां लाइ करेंगी यहां प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो ओब्जेक्शन उठाया है। यह इस कारण कि हम जल्दबाजी में लेजिस्लेशन पास कर देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें कोई भी लेजिस्लेशन हो खूब सोच विचार कर पास करना चाहिये यह इनटेलेक्चुअल बेंकरप्सी का नमूना है कि हमें बिलों में संशोधन करना पड़ता है। इसलिये यदि हम सोच विचार के कोई बिल पास करते हैं तो कोई न कोई सदस्य की नजर में यह बात आ जाती कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील का प्रोवीजन रखें। जहां तक ओरीजनल केस का ताल्लुक है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइनल होंगे वे कहां रहेंगे वैसी हालत में यह तो एक मिसाल है। इस प्रकार के नमूने हमारे सामने कई दफा आये हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमें कानून जल्दी में पास नहीं करने चाहिये। मेम्बरों को उस पर सोच विचार करने का समय देना चाहिये। ताकि सदन के जो माननीय सदस्य हैं। वे क्लॉज़ के हर पॉइन्ट को देख सकें। और उस पर विचार कर सके। अभी हमने कुछ समय पहले लैंड रेवेन्यू संशोधन विधेयक पास किया है। पहले उसके विषय में राजस्व मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया था कि खुद काश्त के अन्दर बीड़ की जो रोंग एन्ट्रीज़ हो गई उसको ठीक करने के लिये अमेन्डमेन्ट लाया गया है। लेकिन रातों रात क्या होता है कि सारी की सारी पाश्चर लैंड को री-ओपन कर देते हैं। उस पर एक माननीय सस्दय ने बोलते बोलते जो अमेंडमेंट पेश कर दिया उसको भी मन्जूर कर लिया गया। इसका सिगनीफिकेन्स क्या होता है, सदन के मेम्बरों को सोचने का समय नहीं दिया जाता और लेजिस्लेशन को पास करने की कोशिश की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें

Page No.96

(श्री पी० के० चौधरी)

कोई भी कानून जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिये अतः इस बिलपर बहस कल के लिये रखी जाय।

श्री सभापति : यह आप पहले ही कह देते।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय,

कुछ माननीय सदस्य : सभापति महोदय, समय समाप्त हो चुका है....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक २४ अप्रेल, १६५६ के प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक २४ अप्रेल १६५६ के प्रातः आठ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार २३ अप्रेल, १६५६)

स्कम्भ   स्कम्भ

तरांकित प्रश्नोत्तर ८०८६

सादुलशहर से संगरिया रोड व सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ रोड के ठेके के टेन्डर्स ।

नगरपालिका बीकानेर के हरिजन कर्मचारी ।

उत्तरी रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर का सरकारी कर्मचारियों पर ऋण ।

श्री देवनाथ के खिलाफ मुकदमा ।

रामगढ़ पचवारा गांव में रोशनी के लिए दी गई धन राशि ।

सहकारी कृषि के निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अजमेर के दफ्तर में अनियमिततायें ।

धौलपुर नगरपालिका के एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत ।

जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की ट्रकों से हुये एक्सीडेन्ट ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भादरा की अदालत में कोग्नीजेबल ऑफेन्स के चालान ।

ग्राम पंचायतों के चुनाव में हरिजन पंचों की नामजदगी ।

पक्की सड़कों मरम्मत की व्यवस्था ।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा निर्णीत मामले ।

पंचायतों की प्रगति की रिपोर्ट का प्रकाशन ।

जिला जालोर में रबी अभियान ।

अलवर पावर हाउस की असंतोषजनक हालत ।

डिवीजनल पंचायत आफिस बन्द किये जाने के संबंध में ।

तहसील करनपुर में सन् १६५७-५८ में बनी सड़कें ।

नगर विकास मण्डल, जयपुर द्वारा भूमि का अलॉटमेन्ट बन्द कर देने के सम्बन्ध में ।

झालावाड तथा कोटा जिले में पशुओं के चराई के संबंध में भिन्न २ नियम ।

Page No.98

स्कम्भ

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, हनुमानगढ़ की जीप नं० १३८५।

पावटा प्रागपुरा से डाबला तक चलने वाली बसों पर बकाया टैक्स।

राजस्थान केनाल पर इन्जीनियरों की नियुक्ति।

सर्जीकल स्पेशलिस्ट और लेक्चरार बनाने के आधार।

मुकन्दगढ़ नगरपालिका का चुनाव।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

१ राजस्थान लैण्ड रेवन्यू (संशोधन) विधेयक, ५६ ८१५०

उपरोक्त विधेयक के स्थगित खण्ड १८ पर आज विचार किया गया।

इस खण्ड पर रावराजा श्री सरदारसिंह श्री रघुवीरसिंह एवं श्री दामोदरलाल व्यास, प्रभारी मंत्री, द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् रावराजा सरदारसिंह ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा अन्य दो संशोधन स्वीकृत हुए। तत्पश्चात् खण्ड १८ संशोधित रुप से स्वीकार किया गया।

स्कम्भ

खण्ड १ आदि की स्वीकृती के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२ राजस्थान सेकेन्डरी ज्यूकेशन (संशोधन) विधेयक, ५६ ८२३२

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३ राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, ५६ ८२५२

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो विवाद वाद के पश्चात् स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

४ राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, ५६ ८२७३

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

स्कम्भ

शुक्रवार, दिनांक २४ अप्रेल, ५६ की कार्य सूची

(१) राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, ५६

(विचार-विमर्श एवं पारण)

(२) राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, ५६

स्कम्भ

(विचार विमर्श एवं पारण)

(३) राजस्थान गौशाला विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को)

(४) राजस्थान बीज तथा बीज पौध विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ का उत्तर देखिये)

सन् १९५८ में पंचायतों के सम्पन्न हुए निर्वाचन की नामावली

क्रम० सं०	नाम पंचायत	तहसील	चुनाव तारीख
१	२	३	४
१	जैतासर	सुजानगढ़	२०.३.५८
२	जिली	,,	२५.३.५८
३	मासोणा	,,	२७.३.५८
४	थालेरा	,,	२६.३.५८
५	कानोता	,,	३१.३.५८
६	अगरसर	,,	७.४.५८
७	दडीवा	,,	४.५.५८
८	लुहारा	,,	६.५.५८
९	सालासर	,,	२.५.५८
१०	आलसर	,,	१२.५,५८
११	साल्यू	तारा नगर	२.३.५८
१२	रेवसटन्डा	,,	२०.३.५८
१३	युनावास	,,	२३.३.५८
१४	पांच	,,	२४.३.५८
१५	पुनरास	,,	२६.३.५८
१६	गाजूवास	,,	३१.३.५८
१७	झाडसर का दलान	,,	२६.४.५८
१८	मीरवाड़ा (मोलीवाला)	,,	१.५.५८

१	२	३	४
१६	नवा	राजगढ़	२८.२.५८
२०	ददरेवा	[illegible]	२६.४.५८
२१	गोलसर	रतनगढ़	२०.३,५८
२२	लोहा	,,	२६.४.५८
२३	दाऊदेसर	,,	३.५.५८
२४	जैसमसर	सरदारशहर	२८.२.५८
२५	पुलासर	,,	२.३.५८
२६	टाली पाथेरा	,,	२०.३.५८
२७	फोगा	,,	२६.४.५८
२८	अजीतसर	,,	१.५.५८
२६	दुलरासर	,,	२.५.५८
३०	बडसीसर	,,	३.२.५८
३१	मालसर	,,	५.५.५८
३२	मालकसर	,,	६.५.५८
३३	पिचकराई ताल	,,	१०.५.५८
३४	रासूसर	,,	१२.५.५८
३५	जैतासर	,,	१४.५.५८
३६	ओजासर छोटा	,,	१६.५.५८
३७	बंधनाऊ	,,	२.६.५८
३८	खेजडा	,,	८.५.५८
३६	दुसारणा	डूंगरपुर	२७.२.५८
४०	रिडी	,,	२०.३.५८
४१	सूंडसर	,,	२३.३.५८

१	२	३	४
४२	भिग्गा	हसील	२५.३.५८
४३	उदरासर	[illegible]	२७.३.५८
४४	ऊपनी	,,	२८.३.५८
४५	लडासर	,,	३०.३.५८
४६	धीरदेसर चोटीयान	,,	२६.५.५८
४७	भोमासर	,,	२.५.५८
४८	गुलाइसर	,,	४.५.५८
४६	थोडेला	,,	६.५.५८
५०	खातोली	चुरू	२८.२.५८
५१	दूद्वासारा	,,	२.३.५८
५२	मामासी	,,	४.३.५८
५३	सातडा	,,	२०.३.५८
५४	थेलासर	,,	२४.३.५८
५५	मीनासर	,,	२६.३.५८
५६	नाकरासर	,,	२६.३.५८
५७	खन्डवा	,,	५.५.५८
५८	घटेला	,,	७.५.५८
५६	भारियां	,,	१७.७.५८

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के सदस्यों की नामावली ।

क्रम-सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत पंच का नाम
१	दुदवातारा	चुरू	श्री कुरडाराम
२	पटेल	,,	श्री नानगराम
३	पुनरास	तारानगर	श्री जैसाराम
४	खेजडा	सरदारशहर	श्री थेरुराम
५	जेतासर	,,	श्री मालूराम
६	मालसर	,,	श्री इकराम
७	दुलरासर	,,	श्री परसाराम
८	अजीतसर	,,	श्री मालूराम
९	गोआसर छोटा	,,	श्री उसाराम
१०	फोगा	,,	श्री जशुराम
११	ढाणी पाचेरा	,,	श्री कालूराम
१२	तालासर	सुजानगढ़	श्री मोटाराम
१३	गुडाईसर	डूँगरगढ़	श्री सुजाराम
१४	गाड़ेला	,,	श्री अमराराम
१५	खंडसर	,,	श्री जैसाराम

———

जिन २८ पंचायतों में अनुसूचित जाति के पंच निर्वाचित नहीं हुए उनकी सूची

नाम पंचायत	त[illegible]	मन्जूर है
१ जैतासर	सुजानगढ़	प्राप्त नहीं हुआ
२ सालासर	,,	
३ आगसर	,,	
४ रिडी	डूंगरगढ़	
५ गुसाईसर	,,	
६ थाडेला	,,	
७ ललासर	,,	
८ मिग्गा	,,	
९ उदरासर	,,	
१० सुड़सर	,,	
११ दुदवासर	चूरू	
१२ पटेल	,,	
१३ सासडा	,,	
१४ मोलसर	रतनगढ़	
१५ रदा	राजगढ़	
१६ मोलीवाला मीलाला	तारानगर	
१७ बालूवास	,,	
१८ झाडसर का दलान	,,	
१९ पुनरास	,,	
२० रेवाड्न्डा	,,	
२१ खेजड़ा	सरदार शहर	
२२ मोगा	,,	
२३ जैतासर	,,	
२४ ढांणी पाचेरा	,,	

१	२	३	४
२५	मोगासर छोटा	"	
२६	मालसर	[illegible]	
२७	अजीतसर	[illegible]	
२८	दुमरासर	"	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११९८ का उत्तर देखिये)

Name : Kedar Nath Sharma.

Age : 34

Resident : Resident of Rajasthan.

ACEDEMIC QUALIFICATIONS.

M. B. B. S. (1950)

F. R. C. S. (England) F. R. C. S. (Edin) F. R. F. P. & S. (Glas).

ACEDEMIC DISTINCTIONS.

1. Topped in the Calcutta University at the final M. B. B. S. Examination.
2. Stood first in Surgery in the University Examination.
3. Was awarded.
   (a) Maleod Gold Medal in Surgery by Calcutta-University.
   (b) Lt. Col. Sarhadhikari Gold Medal in Surgery by the College.
   (c) Marwari Ledge Gold Medal for being the best Marwari student of the year.

APPOINTMENT AT THE R. G. KAR MEDICAL COLLEGE, CALCUTTA.

1 Pre-Registration Clinical Training	for six Months.
2. Junior House Surgeon.	for six Month.
3. Senior House Surgeon (General Surgeon)	for six Months.

APPOINTMENT AT THE CITY GENERAL HOSPITAL, SHAFFIELD (ENGALAND).

1. Senior House Surgeon General Surgery	for six Months.
2. Registrar in Theracis Surgery	for six Months.

APPOINTMENTS AT THE BENNASTER CATE HOSPITAL, BATHERHAM AND STECHUERT-INFIRMARY.

Resid nt Surgeon	for six Months.

Teaching appointments at Medical College Nagpur.

1. Demonstrator in Anatomy for 18 Months.

2. Curator of the Anatomy for 4 Months.

RECENT APPOINTMENTS.

Cons-ultent Surgeen.

1. At Shri Vishudhanan Saras- Hospital, 118 Anherst Street, Calcutta.

2. At the Marwari Relief Society Hospital, Calcutta.

TRUE COPY

Director of Medical & Health Service.
Rajasthan, Jaipur.

३

(कृपया तारांकि[illegible]ख्या ११६५ का उत्तर देखिये)

१. दो अभियोगों में जो ए[illegible]री के विरुद्ध में ६ मास का कठिन कारावास तथा ५०) जुर्माने के रूप में प्रत्येक अभियो[illegible] प्रदान किया गया तथा जुर्माना अदा न करने पर दो मास दंड और।

२. एक भूतपूर्व पुलिस सरद[illegible] चार मास का कठिन कारावास तथा २५) तथा जुर्माना अदा न करने पर दो मास का कठिन कारावास का दंड प्रदान किया गया।

३. एक एम० सी० के सैनिक को एक अभियोग में १ वर्ष का कठिन कारावास का दंड प्रदान किया गया।

४. एक आरक्षी विभाग के सैनिक को एक वर्ष का कठिन कारावास से दंडित किया गया।

५. एक सादर सैनिक को ६ मास का कठिन कारावास तथा १५ जुर्माने का दंड प्रदान किया गया।

६. एक मुख्य आरक्षी को एक अभियोग में १८ मास का कठिन कारावास तथा ४०० अर्थ दंड स्वरूप प्रदान किया गया।

७. एक अभियोग में एक रोकपाल को १६ मास का कठिन कारावास तथा १०० अर्थ दंड स्वरूप प्रदान किया गया।

८. एक मुख्य आरक्षी और एक उप्टरोही, आरक्षी विभाग के जिनके विरुद्ध एक व्यापारी को लूटने तथा पीटने के आरोप थे तथा १४३ रुपये एक धोती तथा एक तहमत भारतीय दण्ड विधान संहिता ३६२ के अन्तर्गत जब्त किये गये थे निम्नलिखित दण्ड के भागी हुए।

(अ) प्रधान आरक्षी को दो वर्ष का कठिन कारावास तथा २०० अर्थ दण्ड स्वरूप अर्थ दण्ड भुगतान असफलता पर २ मास कठिन कारावास का दण्ड नियत किया गया।

(ब) उप्टरोही को एक वर्ष कठिन कारावास तथा १०० अर्थ दण्ड स्वरूप, अर्थ दण्ड भुगतान असफलता पर १ मास और कठिन कारावास का दण्ड प्रदान किया गया।

९. एक वन विभाग के रक्षक के विरुद्ध भारती दंड विधान संहिता १६१ के अन्तर्गत अभियोग था, दो वर्ष का कठिन कारावास का दंड प्रदान किया गया।

१०. एक सिविक, संयान (रेलवे) विभाग को जिसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की धारा १६१ के तथा ५.२:पी० सी० एक्ट के अन्तर्गत क्रमशः १ वर्ष कठिन कारावास तथा १ वर्ष का कठिन कारावास का दंड दिया गया दोनों दंड सहवर्ती पूर्वक व्यतीत किये जायेंगे ।

११. एक पटवारी राजस्व विभा[illegible]रतीय दंड विधान संहिता की धारा १६१ के अन्तर्गत एक वर्ष का कठि[illegible] दंड [illegible]त किया ।

१२. एक नाजिर मुन्सिफ कोर्ट [illegible] ४४० की सरकारी रकम का गबन किया था ६ माह का कठिन कारावास तथा १०० अर्थ दंड स्वरूप प्रदान किया गया । अर्थ दंड भुगतान न करने पर १ मास का कठिक कारावास का दंड नियुक्त किया गया ।

१३. एक जन-व्यक्ति जो भारतीय दंड विधान संहिता की धारा १६५ ए ४६८ के अन्तर्गत अभियोगी था । को ६ मास का कठिन कारावास तथा १०० अर्थ दंड रूप में दंडित हुआ । अर्थ दंड दाति असफलता पर दो मास का कठिन कारावास और दंडित (प्रदान) किया गया ।

१४. एक जन व्यक्ति को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा १६५ के अन्तर्गत अभियोगी था, ३ मास कठिन कारावास तथा ३००) जुर्माना से दंडित किया गया ।

शुद्धि-पत्र
(गुरुवार, २३ अप्रैल, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशु[illegible]	शुद्ध
१	२	[illegible]	४
८०८६	२	म. प. ८	म. प. ८
८०६२	१६	कराया का सके	कराया जा सके
८११५	अन्तिम से ६	पंचायतों	पंचायत
८११६	,, ,, ४	पंचायत	पंचायत
८११८	,, ,, ४	फुलाद के कोट	फुलाद से कोट
८१२८	,, ,, ४	फोरेंटट	फोरेस्ट
८१४०	,, ,, ११	स्पशलिस्ट	स्पेशलिस्ट
८१४७	४	सुलजाय	सुलझाया
८१४७	६	वेकुम	वेक्यूम
८१४७	१२	इक्वायरी	इन्क्वायरी
८१४७	अन्तिम से २	हैंड	हैड
८१४६	१३	श्री रामकरसिंह	श्री रामकरणसिंह
८१४६	१७	बसेज़	बसेज़
८१५१	१७	केवल क्लॉज १ ही	केवल क्लॉज १८ ही
८१५२	१	नहों	नहीं
८१५४	४	fubstituted	substituted
८१५४	१३	मेम्बर	मेम्बर्स
८१५४	अन्तिम से ४	अनुमनि	अनुमति
८१६०	२१	इसकार	इस प्रकार
८१६१	१	अमेन्डमेन्ड	अमेन्डमेन्ट
८१६१	२	झोड़	जोड़
८१६१	६	विथ आर विदाउत	विथ और विदाउट

१	२	३	४
८१६२	७	sta…	started the debate
८१६५	अन्तिम से ८	एन्ड्री…	एन्ट्रीज
,,	,, ,, २	टेनेन्…	टिनेन्ट्स के
,,	अन्तिम	तरफ…	तरफ
८१७०	अन्तिम से ५	फिबूलस	फीबुलस
८१७१	२२	एट्रीज़	एन्ट्रीज़
८१७२	१६	and to khudkasht	aud not to KhudKasht
८१७६	५	फिबूलस	फेबुलस
८१८४	३	जोड़े	जोड़
८१८७	१२	इन्टर	एन्टर
८१९०	१०	ज्दादा	ज्यादा
८१९४	प्रथमत:	(श्री लच्छूराल)	(श्री लच्छूराम)
८१९४	४	इन्दाराजात	इन्दराज़ात
८१९४	८	थीं	थीं
८१९५	अन्तिम से ८	की धार	की धारा
८१९६	२३	K ubka ht	Khudkasht
,,	,, ,, ६	graziug fee	graring fee
८२००	,, ,, ५	चाहते हैं इस	चाहते हैं
८२०३	अन्तिम	रावत	रावल
८२०४	१३	फीजोलोजी	फ़िजोलोजी
८२०५	८	तोर	तौर
८२०६	प्रथमत :	(श्री अभ्यक्ष)	(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)
८२०७	१०	तोड़	जोड़
८२१०	५	रेवेंग्यू	रेवेन्यु
८२१३	५	रेकर्ड	रेकॉर्ड

(३)

	१	२	३	४
८२१४	२०	एन्ट्री		एन्ट्री
८२१५	अन्तिम से ७	hon. Mini		Hon 'ble Minister
८२१९	,, ,, ७	circu		circulated
८२२०	,, ,, ४	i not		is not
८२२३	२	have be		have been seen
८२२४	९	एन्ट्री		एन्ट्री
८२२८	अन्तिम से ७	डिक्लेटरी		डिक्लेरेटरी
८२२९	,, ,, ३	ameud ment		amendment
८२३१	१४	claus		clause
८२३१	२१	rediculous		ridiculous
८२३३	४	बनाने हैं		बनाते हैं
,,	७	वहा		वहां
८२३५	अन्तिम	टैक्स्क		टैक्स्ट
८२४४	अन्तिम से १२	श्री जगद्रीश प्रसाद माथुर		श्री जगदीशप्रसाद माथुर
८२५०	शीर्षक	१३ अप्रैल, ५९		२३ अप्रैल, ५९
८२५८	अन्तिम	रेस्टोन्सिबिलिटी		रेस्पोन्सिबिलिटी
८२६१	१	ब्रॉड		ब्रोड
८२६७	८	दलोलें		दलीलें
८२७३	अन्तिम से ३	लपील		अपील
८२७५	६	बेकरप्सी		बेन्कप्सी